खण्ड-257, अंक-6
मंगलवार, 7 वैशाख, शक संवत् 1887
(27 अप्रैल, 1965 ई0)

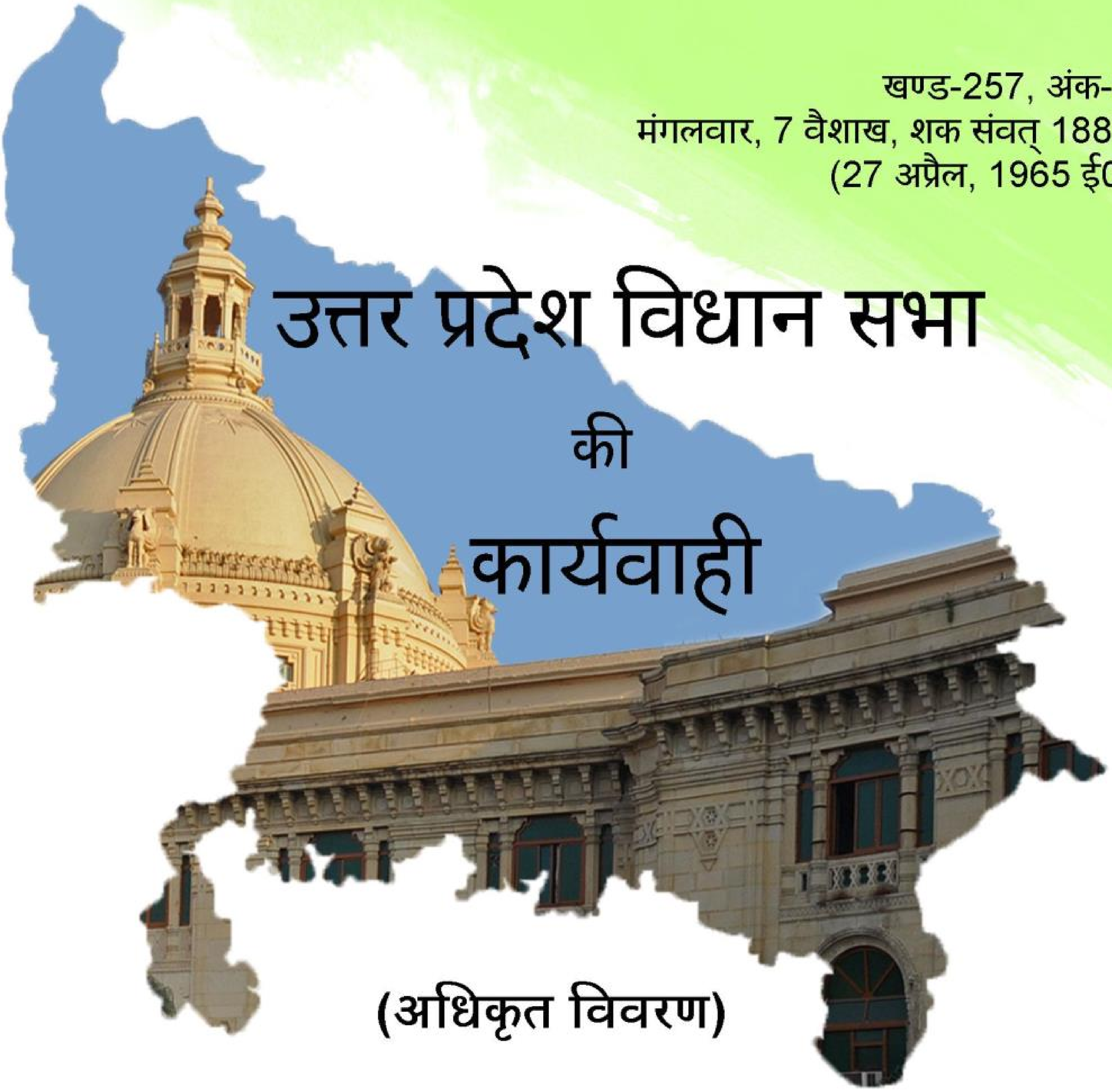

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 257 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६२५–६२९
प्रश्नोत्तर	६२९–६५९
उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	६५९
टीकाराम गर्ल्स कालेज, अलीगढ़ में छात्राओं के साथ छात्रों द्वारा अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	६६०–६६२
प्रदेश में चलती गाड़ियों व स्टेशनों पर पड़ी डकैतियों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६६२–६६६
सदन के भावी कार्यक्रम के संबंध में सूचना	६६६
मंत्रियों की आचार संहिता के संबंध में जानकारी	६६६–६६७
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत प्रशासकीय बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	६६७
कतिपय विषय	६६७–६६८
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित) ..	६६८–७४६
नत्थियां	७४७–७५८

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७४

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रुकुमसिंह राठौर, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सत्यनारायण पांडय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गेहूं और चने का बफर स्टाक

**१—श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) —

क्या सरकार को १९६५ में पैदा की गई रबी की फसल में कृषकों से गल्ले की उगाही की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जी नहीं ।

श्री शिवराजसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष रबी की फसल जिन्स का कुछ बफर स्टाक बनाने की योजना है, यदि हां, तो वह जिन्स क्या हैं और वह योजना क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

गेहूं और चने का बफर स्टाक बनाने का इरादा है और उसको उत्पादकों से न लेकर खुले बाजार से खरीदने की कोशिश करेंगे ।

श्री शिवराजसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बफर स्टाक उत्तर प्रदेशीय सरकार के लिये बना रहे हैं या केन्द्रीय सरकार के बिहाफ पर खरीदने का इरादा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अपने प्रदेश के लिये खरीदने का इरादा है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह वफर स्टाक बनाते समय यानी गेहूं और चना खरीदने के वक्त जिन्स की मैक्सिमम और मिनिमम कीमतें निर्धारित करने का वह विचार कर रहे हैं या कर चुके हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जहां तक निम्नतम कीमतों का प्रश्न है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के द्वारा घोषित कर दी गई है । जहांतक उच्चतम कीमत का प्रश्न है वह अपनी स्टेट में केन्द्र तो लगा नहीं सकती है और हम भी ऐसा विचार नहीं रखते हैं क्योंकि उसको अमल में लाना कठिन होता है और उसके खरीदने के लिये विभिन्न मंडियों में विभिन्न तरीके की कीमत होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय, खाद्य मंत्री के वक्तव्य की ओर उनका ध्यान गया है जिसमें प्रदेशीय सरकारों को गल्ले का भाव निर्धारित करने का अधिकार सिपुर्द कर दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह मैंने कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया उसको नहीं कर रही है । प्रदेशीय सरकार को उन्होंने अधिकार दिया है । अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने यहां अधिकतम कीमत निर्धारित करें या नहीं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गल्ले के क्रय करने का माध्यम क्या होगा और इस क्रय के माध्यम का निर्णय करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उसका माध्यम क्रय विक्रय सोसाइटी भी हों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह बात ठीक है । इस पर विचार किया जायगा ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बफर स्टाक में कितने टन गेहूं और चना रखने की योजना है और वह स्टाक इस प्रदेश के किन-किन शहरों में होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गल्ला इकट्ठा करें लेकिन इसके लिये कहना कठिन होगा कि कितना हम इकट्ठा कर पायेंगे क्योंकि खुले बाजार से खरीदना है और कीमतें न बढ़ें खुले बाजार में इस बात का भी ध्यान रखना है । इसलिये उसका लक्ष्य बताना बड़ा कठिन है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी सरकार ने खरीद शुरू की या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस के लिये आदेश आर० एफ० सीज० को चले गये हैं । किस तरह खरीद करें यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

बफर स्टाक बनाने के सिलसिले में क्या मंत्री जी अनाजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने पर कोई रोक लगाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या और जो मौजूदा प्रतिबन्ध हैं उन पर भी वे प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कोई प्रतिबन्ध इस प्रकार का लगाने का इरादा नहीं है ।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)--

क्या यह सत्य है जैसा कि अखबारों में छपा है कि उत्तर प्रदेश सरकार २२ रुपये के भाव से गेहूं खरीदने बाजारों में जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह मेरे विचार से झूठी खबर है । अलग अलग मंडियों के अलग अलग भाव होंगे ।

श्री रामअवधसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बतलायेगी कि इस प्रकार का जो स्टाक हम बनायेंगे और केन्द्र जो गेहूं देगा उसमें, उसके भावों में एक रूपता नहीं होगी । इस एकरूपता लाने के लिये हम क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस एकरूपता की कोई आवश्यकता नहीं है । पंजाब का जो गेहूं हमने बेचा है उसका भाव दूसरा था ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

हमने देखा है कि बाजार में आज भाव एक रुपये सेर का है । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि साढ़े तीन पाव का खरीदा हुआ गेहूं वह जनता को किस भाव पर देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस समय बाजार में ७०, ७१ रुपये क्विन्टल गेहूं का भाव है । बढ़िया गेहूं एक से ६ छंटांक का मिलता है । इस समय अगर हम खरीद करते हैं तो बाजार में हमारी खरीदारी से भाव बढ़ जायेंगे । इसलिये हम वह तरीका नहीं अपना रहे हैं कि जिससे बाजार में भाव बढ़ जायं इसीलिये हमने अपना लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया है । कीमतों को देखते हुये लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

बाजार में जो सामान है उसके भाव बढ़ने का तथा उसके उपयोग में न जाने का खास कारण रीजनल कंट्रोल है, तो क्या कोई आदेश राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार का इस तरह का मिला है कि यह रीजनल कंट्रोल हटाने की व्यवस्था की जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

रीजनल से मतलब मेरी समझ में जोनल कंट्रोल से है । वह गवर्नमेंट आफ इंडिया हटा नहीं रही है । जहां तक बाजार में अनाज न मिलने की बात है, उसका कारण है कि काश्तकार बाजार में गल्ला नहीं ला रहे हैं ।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

मंत्री जी का उत्तर प्रदेश में गेहूं का स्टाक बनाने का जो निर्णय है वह क्या इस आधार पर है कि वह गेहूं विदेशी गेहूं के बदले में भारत सरकार को देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

भारत सरकार ने ऐसी मांग की है, मगर हम तो यह अपने लिये कर रहे हैं ।

श्री शिवराजसिंह--

क्या खाद्य विभाग की यह विज्ञप्ति जो अखबारों में निकली है कि प्रदेशीय सरकार दो लाख टन गेहूं और दो लाख टन चने की खरीदारी इस वर्ष करना चाहती है, गलत है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सरकार की कोई विज्ञप्ति नहीं है । प्रेस वालों ने अनुमान से इस बात को लिख दिया है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब सरकार खरीदार के रूप में मंडियों में आयेगी तो क्या अच्छे व्यापारी उसकी खरीद को असफल बनाने और उसके प्रयत्नों को असफल करने की कोशिश नहीं करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इन्हीं बातों को सोच कर मुझे कुछ भय है और इसीलिये मैंने इस बात को कहा कि हम अपने लक्ष्य नहीं बता रहे हैं न कीमतें बता रहे हैं । केवल खरीद करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या खाद्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस भय से कि अगर सरकार गल्ला उगाही की नीति अपनायेगी तो उसको मैक्सिमम कीमतें तय करनी पड़ेंगी और उससे बाजार में कीमतें बढ़ जायेंगी । वह नीति नहीं अपना रही है । अगर इस समय बड़े व्यापारियों ने गल्ला होर्ड कर लिया तो उस खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उनके लिये तो यह कह दिया कि केवल व्यापारियों के पास अगर रह गया तो रख ही सकते हैं क्योंकि जमा रहेगा, लेकिन जहां तक खरीद का सवाल है, खरीद हमारी रुकी नहीं है, बल्कि बाजार भाव से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि ७१ रुपया क्विंटल गेहूं का भाव है और यह कि किसान गल्ला ला नहीं रहा है । तो प्रश्न उठता है कि फिर ७१ रुपया क्विंटल किस गेहूं का भाव है और यह होल-सेल भाव है या रिटेल भाव है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह दड़े का ऐवरेज किस्म के गेहूं का होल-सेल भाव है और मन के हिसाब से २८-२९ रुपया पड़ता है ।

आगरा की सूती मिलों को रुई न मिलना

**२--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद) तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा नगर में मार्च, अप्रैल, १९६५ में चार सूती मिलें निर्धारित सरकारी मूल्यों पर रुई न मिलने के कारण बन्द हो गई हैं जिसके कारण २ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने आगरा की सूती मिलों को रूई प्राप्त हो, उसके लिये क्या कदम उठाया है ?

गृह उप-मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

आगरा में तीन मिलें जान मिल्स सं० २, ३, तथा ४ निर्धारित मूल्यों पर रुई न मिलने के कारण क्रमशः ३०-३-१९६५, २०-४-६५ तथा १९-२-६५ से बन्द हैं जिसका प्रभाव आकस्मिक श्रमिक को छोड़ कर १२६३ मजदूरों पर पड़ा है। केन्द्रीय सरकार के काटन कान्ट्रोल आर्डर, १९५५ के अधीन मिलों को निर्धारित मूल्यों पर रुई इत्यादि प्राप्त कराने के लिये मुख्य अधिकारी वस्त्रायुक्त बम्बई है।

ज्ञात हुआ है कि उक्त मिलों ने इस सम्बन्ध में वस्त्रायुक्त, बम्बई को प्रार्थना पत्र आदि भेजा है। राज्य सरकार तो केवल केन्द्रीय सरकार तथा वस्त्रायुक्त को उचित कार्यवाही के लिये अनुरोध ही कर सकती है।

श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब आगरे की मिलें ३०-३-६५ और २०-४-६५ से बन्द होने लगी और जवाब में है कि प्रान्तीय सरकार तो केन्द्रीय सरकार और वस्त्रायुक्त को उचित कार्यवाही के लिए संकेत ही कर सकती है, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई जबकि वह २ महीने से बन्द है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, मैंने जैसा कि कहा कि एक तो २०-४-६५ से बन्द है, तो दो महीने कहां हुए और ३०-३-६५ से बन्द है, एक १९-२-६५ से बन्द है। तो जैसा कि मने पहले उत्तर निवेदन किया है सवाल यह है कि रूई किस भाव से खरीदी जाय, किस भाव न खरीदी जाय, यह टैक्सटाइल कमिशनर तय करता है। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ नहीं है। इन मिलों ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उनको रूई दें। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित नहीं किया। यदि भारत सरकार नहीं देगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उनसे प्रार्थना करेगी कि मिलों को बन्द न होने दें और उनको रुई दिलवाई जाय।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आगरे की चारों सूती मिलें जो मौजूदा प्रबन्धक है उनके पास लीज पर है और वह रूई का बहाना बनाकर मिलों को बन्द करते हैं और मजदूरों को परेशान करते हैं। यदि हां, तो क्या सरकार इन मलों को अपने हाथ में लेने की कृपा करेंगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह सूचना तो मेरे पास है नहीं कि बहाना बनाकर बन्द करते हैं। इस समय तो रूई उनके पास नहीं है। जहांतक सरकार के हाथ में लेने का प्रश्न है, सरकार की सूती मिलों को खोलने की योजना नहीं है इस वक्त।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब मिलें लगभग २ महीने से बन्द है तो भारत सरकार के पास या तो उच्च आयुक्त बम्बई में रहते है उनके पास प्रादेशिक सरकार की ओर से कोई लिखा पढ़ी हुई है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि इतनी देर हो गयी, कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मिल वालों नें लिख रखा है और वह कोशिश कर रहे है रूई प्राप्त करने की।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कारण है कि रूई वहां नहीं पहुंची ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

कारण तो भारत सरकार ही अच्छा बता सकती है, क्योंकि उसी के हाथ में कंट्रोल है। पहुंची नहीं, इसलिए मैंने बताया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

प्रादेशिक सरकार का भी कर्तव्य है कि वह इन मिलों को बन्द न होने दे और उसको अधिकार प्राप्त है, तो क्या प्रादेशिक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को या उच्च आयुक्त को लिखा पढ़ी की या नहीं। अगर नहीं, तो कारण स्पष्ट बतलावें ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि उनका अधिकार है।

श्री चन्द्रजीत यादव--

जो ३ मिलें बन्द है उसके कारण करीब २ हजार मजदूर बेकार हैं। इसलिये क्या सरकार अपने इनीशियेटिव पर, स्वयं भारत सरकार से बातचीत करके रूई के भाव ठीक कराने तथा उसे उपलब्ध कराने की शीघ्र कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)--

जब उत्तर प्रदेश में निर्धारित दर पर रूई नहीं मिल रही है तो क्या कारण है कि कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल, इटावा से प्राइवेट मिलों को रूई भेजी गयी ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री ए० सी० ग्राइस--

काटन टेक्सटाइल मिल तथा हर मिलो के लिये रूई का एलाटमेंट रहता है और हर जिले के लिए एलाटमेंट होता है। उस एलाटमेंट के मुताबिक काटन नहीं पहुंचा, इसका क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मेरे पास यह सूचना है कि इन मिलों के पास काफी स्टाक था। २८-२-६५ को ४२८ गांठें, ३१-३-६५ को ११४ गांठें तथा २८-२-६५ को १९ गांठें, मिल नं० २, ३, तथा ४ के पास क्रमशः थी।

ग्रान्ड होटल, वाराणसी में पांच व्यक्तियों की मृत्यु की जांच

**३-श्री ऊदल (जिला वराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख १७ अप्रैल, १९६५ शनिवार को ग्रान्ड होटेल, बुला नाला, वाराणसी में ५ व्यक्तियों के एक परिवार की मृत्यू रहस्यपूर्ण तरीके से हो गयी है ? मृत व्यक्तियों में ३५ वर्षीय पुरूष ३० वर्षीय स्त्री, ४ वर्ष व १ १/२ वर्ष के बच्चे तथा २ १/२ वर्ष की एक लड़की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां, इस प्रकार की घटना ग्रान्ड होटल, वाराणसी में १७-४-६५ को हुई जिसकी सूचना मिलने पर थाना कोतवाली में एक मुकदमा भा० दं० विधान की धारा ३०२-३२८ के अन्तर्गत दर्ज किया गया और जांच जारी है।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ५ व्यक्तियों की जिनकी मृत्यु हुई है उनके पोस्टमार्टम से क्या पता चलता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

पोस्ट मार्टम में डाक्टरों ने कहा है कि कुछ पता नहीं चलता है, उसको दोबारा जांच के लिये भेजा जा रहा है ।

श्री हिम्मतसिंह--

इस सम्बन्ध में क्या होटेल के मैनेजर या प्रबन्धक को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

होटल के मैनेजर को गिरफ्तार करने का प्रश्न नहीं उठता । उसने तो खुद सूचना दी, अब जांच हो रही है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या मृतक के पास से कोई पत्र निकला है, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां, एक पत्र निकला है जिसमें लिखा है --

"*To the Officer (who will) investigate the case.* I have been tortured and been put in miserable life since 8 years and dejected in life. Since one year just to control myself I have travelled with my family and wife from North to South of India. Inspite of that I could not control myself and I have tried and also made best way to conceal possible clue regarding my whereabouts. So earnestly request you not to take unnecessary trouble to find out my address and waste your time. Simply burn us and shut this case. Thanks a lot. The man who killed his wife (who is innocent and poor kind with himself)."

श्री दीपनारायणसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे यह मरे हुए व्यक्ति कौन से प्रान्त के और कहां के थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

केवल यह मालूम हुआ है कि हिन्दू थे ।

श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि ३०२ का मुकदमा किसके खिलाफ है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

अभी मुकदमा नहीं चला है । रिपोर्ट ३०२ में है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कुदरैल के किसानों को नहरी पानी न मिलने की शिकायत

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

*१—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत भरथना तहसील के मौजा कुदरैल के किसानों को मार्च, १९६५ में नहरों का पानी न मिलने से फसल को भारी क्षति हुई ? यदि हां, तो इसके लिये कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी नहीं ।

श्री सहदेवसिंह—

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि छाता ब्लाक के उप-प्रमुख की शिकायत या नोटिस सरकार को मिला है कि पानी न मिलने के फसल का बहुत क्षति हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नोटिस चाहिये ।

परिवहन विभाग के कर्मचारियों को हटाना

*२—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया), श्री बांकेलाल, (जिला देवरिया), श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ७ हजार साल व साल काम करने वाले कर्मचारी जो परिवहन आयुक्त के आदेश से नियुक्त हुये हैं, २८ फरवरी, १९६५ को निकाल दिये गये और उनकी पुनः नियुक्ति का आदेश न मिलने पर उन्हे मार्च, १९६५ का वेतन काम करने के बाद भी अभी नहीं मिला है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सही नहीं है । मार्च महीने का वेतन दे दिया गया है ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि उन लोगों को मार्च का वेतन किस तारीख को दिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अलग-अलग रीजन्स में अलग-अलग तारीखों को दिया ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या सरकार इनको परमानेंट करने पर विचार करेंगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इनकी संख्या ९८२८ है और कुछ समय बाद इन्हें परमानेन्ट किया जाता है । परमानेंट या टैम्पोरेरी होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है । क्योंकि इनको इन्क्रीमेंट हर साल मिलता है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

जो फैसीलीटीज परमानेन्ट लोगों को, जैसे बोनस वगैरह, मिलती है वे इनको भी मिलती है या नहीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

रोडवेज में बोनस नहीं दिया जाता है। छुट्टियां देते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मंत्रीजी ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि विभाग इनके अनुभव से वंचित न हों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

ये निकाले नही गये। खाली कागजी कार्यवाही है कि नोटिस दिया गया और अगले दिन से फिर रखे गये।

श्री भानुप्रतापसिंह--

क्या कोई अवधि निश्चित है जब इनको परमानेंन्ट करते हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अवधि निश्चित नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह--

६,००० की हर साल यह कागजी कार्यवाही क्यों की जाती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इसे निकाला जाना न कह कर रिन्यूअल कहें तो ज्यादा ठीक होगा। ये सब टेम्पोरैरी पोस्ट्स है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिकारीगण इन टेम्पोरेरी पोस्ट्स की कंटीनुइटी तोड़ने के लिये ही कुछ दिन के लिये इन लोगों को निकाल कर फिर से रखते है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

कंटीनुइटी तोड़ने की बात नहीं है।

श्री भानुप्रतापसिंह--

कुल कितने कर्मचारी हैं और ६,००० हजार उसका कितना प्रतिशत होता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

नोटिस चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

क्या यह सही है कि रिन्युअल हर साल इसलिये किया जाता है कि लेबर ला में एक फूला है, उसका एडवांटेज लेने के लिये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स में यह कायदा चलता है।

[२७ अप्रैल, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

देहरा पत्रिका में रोडवेज विभाग के विरुद्ध आरोप

*१—श्री ऊदल—

क्या सरकार का ध्यान ३७, झण्डा बाजार, देहरादून से प्रकाशित होने वाली पाक्षिक "देहरा पत्रिका" के अंक ९, दिनांक १५ जनवरी, सन् १९६५ की ओर गया है जिसमें मुख पृष्ठ पर रोडवेज विभाग में नौकरशाही का "खुला नाच" की हेडिंग लगाकर उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग और विशेष कर देहरादून रोडवेज विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार, पक्षपात, बेइन्साफी का आरोप लगाया गया है और अलग-अलग (१) चापलूसी सफल, कर्मठता असफल, (२) पक्षपात और अन्याय की प्रयोगशाला, (३) दुर्व्यवहार और जासूसी का कमाल, (४) हसीनों और मशीनों के बीच का द्वन्द (५) रहस्यमय नियुक्ति और त्यागपत्र के नाम से काफी शिकायतें प्रकाशित की गई हैं यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन शिकायतों की जांच कराकर सदस्य की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ऊदल—

मेरे पास कुछ शिकायतें आई है, अगर इनको भी दे दूं तो मंत्रीजी इनकी भी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कंडपाल—

जी हां ।

गोरखपुर के 'बिस्मिल' अखबार में सहायक अभियन्ता डी० एस० सिंह के विरुद्ध आरोप

*२—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद मेमोरियल एसोसिएशन की ओर से शारदा प्रेस, गांधी पार्क, गोरखपुर से छपने वाले 'बिस्मिल' अखबार के २० जनवरी, सन् १९६५ के दूसरे पेज पर जो खबर छपी है कि "नलकूप प्रखण्ड वाराणसी (भाग पंचम) नादिरशाह का लकड़ दादा, गोलमाल में सहायता न करने पर कर्मचारी की नौकरी गई" हेडिंग के साथ नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी (पंचम खंड) के सहायक अभियन्ता श्री डी० एस० सिंह के ऊपर आरोप लगाये गये हैं और वह पेज सात पर भी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और क्या इसकी जांच कराई गई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, शहीद मेमरियल एसोसिएशन की ओर से शारदा प्रेस, गांधी पार्क, गोरखपुर से छपने वाले "बिस्मिल" आखबार में श्री डी० एन० सिंह, सहायक अभियंता (जिनका सही नाम डी० एस० सिंह है) के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है । चूंकि सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी इस समय अवकाश पर हैं, इस कारण जांच अभी पूर्ण नहीं हो सकी है ।

श्री रघुवीर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० एस० सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह किस प्रकार के हैं और किस अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष--

किस अधिकारी द्वारा जांच कराई जा रही है वह बता दें ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जांच जो हमारे सुपरिटेंडिंग इंजिनियर हैं वह कर रहे हैं ।

श्री रघुवीरराम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० एस० सिंह के ऊपर जब यह आरोप लगाये गए उसी वक्त से वे छुट्टी पर हैं और अब तक छुट्टी से वापस नहीं आये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो पता नहीं है लेकिन डी० एस० सिंह साहब का वहां से ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर से पहले वह बीमार पड़ गए, उन्होंने छुट्टी ले ली । वह अभी छुट्टी पर है और जो दूसरे साहब चार्ज लगाने वाले कर्मचारी है, वह भी छुट्टी पर है, सबके सब छुट्टी पर है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डी० एस० सिंह के खिलाफ अखबार में निकले आरोपों के आधार पर ही जांच हो रही है या किसी व्यक्ति विशेष ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया था ? यदि लगाया था तो वह आरोप क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अखबार में यह बात छपी थी और उसमें कुछ डेफिनिट चार्जेज थे, यह कहा गया था कि उन्होंने एक आदमी को पीटा, कुछ रुपया गबन किया, यह तमाम चीजें थीं, तो हमने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से कहा कि इसकी जांच करो ।

श्री अध्यक्ष--

वह जानना चाहते हैं कि किस और व्यक्ति ने भी चार्ज लगाया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मेरी सूचना तो अभी तक यही है कि इसी के ऊपर है । किसी और व्यक्ति ने भी किया होगा तो उसकी सूचना नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

सदन के अन्दर यह हमेशा कहा जाता रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच हो उसे वहां से हटाया जावे, तो डी० एस० सिंह जब वहां नहीं हैं तो उनकी ऐबसेंस में जांच पूरी न होने का कारण क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जिसकी जांच होगी उससे पूछा तो जायेगा कि तुम्हारे खिलाफ ये चार्जेज हैं और जिस नन्द-कुमार का नाम लिखा है कि उसके साथ ज्यादती की, वह भी छुट्टी पर है, तो जांच किस प्रकार हो ।

श्री ऊदल--

क्या अखबार के अलावा विभाग के कुछ लोगों ने और भी चार्जेज उनके ऊपर लगाये हैं जैसे इंजनों की फाउंडेशनों में कम लगी सीमेंट की रिपोर्ट करना, रिपेरिंग में हमेशा नाजायज तरीके से पेमेंट होने देना, बरियासनपुर टी० डब्लू० के इंजन की रिबेयरिंग में ९९ रुपया का

कोटेशन था किन्तु रिपोर्ट करने पर वही ५०० के लगभग पेमेन्ट करना पड़ा, नाजायज संचय किया हुआ १९८ गैलन क्रूड जो बिकने जा रहा था उसमें ए० ई० महोदय को पकड़वा देना, खुद के १८ ड्रम क्रूड व १ ड्रम के लगभग मोबिल को ट्रांसफर दिखाकर बेचकर सामान के रूप में न देना, इत्यादि यह वहां के कर्मचारियों ने इनके खिलाफ इस इस तरह के आरोप लगाये हैं, क्या इनकी भी जांच हो रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी तो सूचना नहीं है लेकिन मेरे पास और इस तरह के कुछ मैटेरिअल्स हैं जिनकी जांच करायी जा रही है लेकिन चूंकि वह वहां है नहीं इसलिये कुछ ठीक कहा नहीं जा सकता। विभाग नें जो कुछ देखा है उसमें बहुत सी चीजें सच नहीं भी पायी गई हैं।

*३--श्री ऊदल--

[हटा दिया गया।]

*४--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

[ग्यारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५-६--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में बिजली

*७--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में बिजली का प्रसार जब बढ़ रहा है और तहसील नरैनी तक बिजली लग रही है तो उससे १३ मील पर कालिंजर तक बिजली पहुंचाने की क्या व्यवस्था है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जिला बांदा में अभी तक संलग्न सूची में दिये गये स्थानों में १९६५-६६ तक बिजली पहुंचने का प्रस्ताव है। कालिंजर के विद्युतीकरण की व्यवस्था राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड से, जिसके अनुसार १००० जनसंख्या पर १ १/२ मील लम्बी ११ के वी लाइन बनाई जा सकती है, संभव पाये जाने पर कर दिया जायगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४७ पर)

*८--श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार इस उपजाऊ क्षेत्र को बिजली शीघ्र देगी ताकि वहां के किसान १९६५ में कुओं में पम्पिंग सेट बिजली द्वारा लगा सकें और वह असिंचित क्षेत्र सिंचित होकर अधिक अन्न पैदा कर सकें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस क्षेत्र में पम्पिंग सेट के लिये बिजली लेने को इच्छुक किसानों द्वारा राज्य विद्युत् परिषद् के निर्धारित नियमों का पालन करने पर बिजली देने की व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि बांदा जिले के कालिंजर क्षेत्र में कुओं के लिये बिजली देने के सरकार के क्या नियम हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कालिंजर क्षेत्र तो बहुत दूर है। मुझे पता नहीं नियमों के अनुसार वहां तक अभी बिजली ले जा सकेंगे या नहीं।

श्री मतोलासिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कालिंजर क्षेत्र एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, फिर सरकार खेती की उन्नति के लिये उसको बिजली क्यों नहीं दे रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारा नियम यह है कि १ हजार की जनसंख्या पर डेढ़ मील की लम्बी लाइन खींच देते हैं और सिंचाई के लिये १० हार्सपावर पर आधी मील की लाइन देते हैं।

माताटीला बांध की बिजली का रेट

*९—श्री कमलासिंह यादव, श्री विजयसिंह (जिला जालौन) तथा श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला डैम पर १९६४ तक बिजली की कितनी मशीनें चल रही हैं और इस योजना के अन्त तक कितनी और चालू हो जायेंगी और वहां पर कितनी मशीनें चलाने की योजना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माताटीला डैम पर १९६४ तक बिजली की एक भी मशीन नहीं चल रही थी। पहली मशीन फरवरी, १९६५ में चालू की गई है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दो मशीनें और चालू हो जायेंगी। कुल तीन ही मशीनें चलाने की योजना है।

*१०—श्री कमलासिंह यादव, श्री विजयसिंह तथा श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त माताटीला डैम में (सिल्टिंग) मिट्टी का जमाव बराबर होता जा रहा है जिससे आगे पानी की कमी से बिजली की मशीनों का चलना कठिन होगा ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार किस उपचार पर विचार कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माता टीला डैम के जलाशय में मिट्टी के जमाव से निकट भविष्य में बिजली की मशीनों के चलने पर असर पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है। फिर भी इस पर अनुसंधान कार्य जारी है और अनुसंधान समाप्त होने के उपरान्त, यदि आवश्यक समझा गया तो, सिल्टिंग की रफ्तार को और भी कम कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

*११—श्री कमलासिंह यादव, श्री विजयसिंह तथा श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड के चारों जिलों के कितने गांवों को उक्त बिजली किस रेट पर दी जा रही है और उससे कितनी जनता को लाभ हो रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उक्त बिजली बुन्देलखंड के चारों जिलों के २० गांवों को दी जा रही है और इन गांवों की समस्त जनता इससे लाभ उठा सकती है। रेट की सूची नत्थी किये गये ब्यौरे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४८ पर)

श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जब तीन मशीनों को चलाने की व्यवस्था इस बांध में है तो सिर्फ एक ही मशीन ही क्यों बैठाई गयी है और दो मशीनें अभी अलग क्यों रखी गयी हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एक मशीन तो चालू हो गयी है। दूसरी मशीन जब आ जायगी तो वह भी लग जायगी ।

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब पानी रुक जाता है तो सिल्टिंग होने लगती है, इसलिये पानी की कमी हो जाती है, इसीलिये एक मशीन लगायी गयी है क्योंकि पानी केवल एक मशीन के लायक ही है ? माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि सिल्टिंग के लिये अनुसंधान हो रहा है, वह कार्य कब तक पूरा हो जायगा और तीनों मशीनें कब तक चलने लगेंगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यहां की पूरी क्षमता १० हजार किलोवाट की है लेकिन पम्पिंग की वजह से १०—१० हजार की तीन मशीनें लगायी जा रही हैं। जहां तक सिल्टिंग का ताल्लुक है, साधारणतः ऐसे जो तालाब बनाये जाते हैं उनमें ऐसा प्राविधान किया जाता है जिससे १०० वर्ष तक सिल्टिंग न हो। वह प्राविधान इसमें भी है फिर भी अनुसंधान हो रहा है। अगर सिल्टिंग हो भी जायगी तो उसको निकाल दिया जायगा।

श्री विजयसिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि बुन्देलखंड के २० गांवों को बिजली दी जा रही है तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इससे जालौन, हमीरपुर और झांसी जिले के कितने-कितने गांव लाभान्वित होंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

२० गांवों को तो अभी बिजली दी जा रही है और भी चारों ओर बिजली बढ़ाई जा रही है। अगर आप चाहेंगे तो उनके नाम भी पढ़ दूंगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माताटीला बांधमें पानी की इतनी क्षमता है कि तीनों मशीनें बराबर चल सकें या तीनों मशीनों के चलने से उसमें पानी की कमी हो जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बहुत सोच समझ कर ही तीन मशीनें लगायी जा रही हैं। इस संबंध में पूरी जानकारी कराने के लिये पिंकिंग का जो लोड फैक्टर होता है उसको समझाने की आवश्यकता होगी। अगर आप मेरे कमरे में आ जायं तो मैं उसको समझा दूंगा।

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो तालिका दी गयी है उसमें घरेलू उद्योग धंधों के लिये २२ पैसा प्रति यूनिट का रेट रखा गया है। १५० यूनिट से ऊपर १४ पैसा और बढ़ेगा। इस प्रकार से ३६ पैसा का रेट हो जायगा, जो बत्ती और पंखों के लिये जो बिजली दी जाती है उसके बराबर ही होगा। तो क्या सरकार बतायेगी कि घर उद्योग धंधों के लिये और भी कम दामों पर वह बिजली देने की कृपा करेंगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसमें तो समझने में कुछ भ्रम पड़ता है ऐसा नहीं है। जो रेट्स सारदा में हैं वही हम माताटीला में रख रहे हैं। वह तो केवल ११ पैसा ही पड़ेगा। आप उसको देख लें।

श्री चिरंजीलाल जाटव—

जो बिजली के अधिक रेट रखे हुये हैं क्या माननीय मंत्री जी उन रेट्स को घटाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो घटे हुए ही हैं। अब घटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि माताटीला पर बिजली लगाने में सरकार ने काफी व्यय किया है तो क्या मंत्री जी को मालूम है कि लाखों रुपयों की मशीनें जो वहां खरीदी गयी हैं, पुरानी मशीनों को नया दिखाकर खरीद लिया गया है ? क्या इसकी वजह से मशीनें ठीक काम नहीं कर रही हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बिलकुल नयी मशीनें हैं। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखा दूं।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन बीस गांवों को बिजली दी जा रही है, उनका कनेक्शन देने का क्या कोई खर्चा भी चार्ज किया जायगा। यदि हां, बिजली किस आधार पर दी जाती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

गांवों में लाइन हम खींच देते हैं। वहां से जो कनेक्शन वे अपने यहां लेंगे उसका पैसा उनको देना होगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार द्वारा जो गांवों में बिजली दी जा रही है। उसके बारे में मंत्री जी को ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि वह बिजली गरीबों को नहीं दी जा रही है और मालदार लोगों के दरवाजे पर लगायी जा रही है ? क्या गरीबों को भी बिजली देने का सरकार का विचार है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी तो माताटीला की बिजली देना ही प्रारम्भ हुआ है फिर ऐसी शिकायत कहां से आनी शुरू हो गयी।

कोंच को बिजली

*१२—श्री विजयसिंह तथा श्री चिरंजी लाल जाटव—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जालौन जिले में कोंच को बिजली उरई से दी गई है और जालौन से नहीं दी गई जब कि जालौन में एक सब-स्टेशन है जो किसी भी प्राविधिक कठिनाई को सरल कर सकता था और सरकार का ४०,००० रु० बचाया जा सकता था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कोंच जिला जालौन को बिजली उरई से दी गई है। उरई में माताटीला योजना के अन्तर्गत एक १३२/३३/११ के० वी० मुख्य सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है और

समस्त भार जो उरई से प्रवाहित होगा जालौन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा उरई से कोंच को बिजली केवल २० मील ले जानी पड़ती है, जबकि जालौन होकर बिजली को करीब ३१ मील ले जानी पड़ती। इसलिये प्राविधिक दृष्टि से उरई से ही लाइन बनाना ठीक समझा गया।

*१३—श्री विजयसिंह तथा श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जालौन से कोंच को जो बिजली नहीं दी गयी उसमें क्या प्राविधिक कठिनाई थी और इस प्रकार की कठिनाइयां होने के कारण कौन-कौन से अन्य प्रपोजल भी सरकार के विचाराधीन रखे गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जालौन में कोंच को बिजली संलग्न तालिका में दिये गये कारणों को देखते हुये नहीं दी गई। कोंच को बिजली देने के लिये और किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७४९ पर)

श्री विजयसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि छोटा रास्ता जालौन से होकर ६ मील कम पड़ता है और केवल १४ मील का ही था तो उससे बिजली ले जाने में क्या परेशानी थी जब कि ६ मील पर ४८ हजार रुपये की बचत हो सकती थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

थोड़ी-सी इसमें समझने की बात है कि उरई के हमारे मेन स्टेशन १३२ से अगर बिजली की लाइन जालौन होकर जाती तो ३१ मील जाना पड़ता और अव्वल तो कुछ पावर कम हो जाती क्योंकि जालौन और कोंच के गांवों में वह कन्ज्यूम होती, छोटी लाइन पर इतना अधिक भार चलना सम्भव नहीं था, इतना वोल्टेज नहीं है इसलिये ऐसा किया गया और हम यह नहीं चाहते कि कोंच और जालौन को बिजली दें और वहां वोल्टेज कम रहें।

श्री विजयसिंह—

श्रीमन्, झांसी से पहले ही उरई और कोंच पड़ जाता। है बराबर ही लाइन में स्टेशन पड़ते हैं, तो उरई हेडक्वार्टर है वहां से डायरेक्ट लाइन क्यों नहीं आई और केवल उरई क्षेत्र में लगी है और क्या मंत्री जी बतायेंगे कि और क्षेत्रों में बिजली क्यों नहीं दी गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आप साइन्स नहीं जानते। होता यह है कि यह बड़ी लाइन झांसी से उरई तक १ लाख ३२ हजार की लगा दी और एक सब-स्टेशन लगा और छोटी लाइन लगायें सब-स्टेशन तक और एक फिर और दूसरा सब-स्टेशन और लगायें तो यह ज्यादा सम्भव और कम खर्च पर नहीं होता इसलिये एक बड़ा सब-स्टेशन लगा देते हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

उन्होंने नियम बताया है कि १००० की आबादी पर डेढ़ मील के बीच में बिजली लगा देंगे। तो क्या मंत्री जी डेढ़ मील के बजाय २ मील का यह नियम बनाने की कृपा करेंगे ? २ मील से कम दूरी पर बड़े-बड़े गांव नहीं हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी तो बहुत काम करना है, इतने गांव हैं इतने ही बहुत हैं।

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

*१४-१५--श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

[हटा दिये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले को बिजली

*१६--श्री होरीलाल यादव तथा श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के किन-किन ग्रामों को बिजली देने की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला फर्रुखाबाद के अनुसूची में दिये गये, ७० स्थानों का विद्युतीकरण करने की सम्भावना है। जिसमें से प्रथम ५४ स्थानों का विद्युतीकरण मार्च, १९६५ तक हो चुका है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७५० पर)

श्री होरीलाल यादव--

जिले का जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका उमरदा, हसेरन और सौरी ब्लाक के गांव ठठिया, उमरदा और हसेरन हैं, जो बड़े व्यापार के केन्द्र है वहां पर बिजली न पहुंचने का कारण क्या है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

हमारे कुछ नियम हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, ५४ में पहुंचा दीं, ७० में और पहुंचा देंगे और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि सारे जिले में पहुंच जाय ।

श्री होरीलाल यादव--

जिन गांवों की सूची उनके सामने रखी है वहां कब तक बिजली पहुंच जायगी क्या मंत्री जी बतावेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

कब तक, यह तो मैं नहीं बता सकता हूं । जो हम करने जा रहे हैं, उसकी सूचना मैंने आपको बता दी है ।

एटा गंजडुंडवारा मार्ग पर लारी चलाने के परमिट

*१७--श्री रामसिंह (जिला एटा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा गंजडुंडवारा सड़क पर मोटर लारी चलाने के लिये कितनी दरख्वास्तें साल सन् १९६४-६५ में प्राप्त हुई और उन पर क्या क्या आदेश हुये और कितनी दरख्वास्तों पर अब तक कोई आदेश नहीं हुए हैं ? इसका क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

सन् १९६४-६५ में केवल एक दरख्वास्त आई जो पुराने परमिट के नवीनीकरण के लिये थी । उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो चुका था ।

श्री रामसिंह (एटा)--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ९-२-६५ को मैंने २ प्रश्न किये थे जिनके उत्तर में यह बताया गया था कि सड़क पर गाड़ियां सिर्फ ५ चक्कर लगाती हैं जबकि राष्ट्रीयकरण के पहले १४ प्राइवेट गाड़ियां चलती थीं । यह भी बताया गया था कि गाड़ियों

[श्री रामसिंह]

को हम इसलिये नहीं बढ़ा सकते है क्योंकि सड़क बहुत खराब हैं। जब हमारी सरकार और गाड़ियों नहीं बढ़ा सकती है, तो क्या सरकार प्राइवेट बस वालों को चलाने की आज्ञा प्रदान करेगी, जो कि प्राइवेट लारियां चलाने के लिये तैयार हैं ताकि जनता को कुछ सुविधा हो सके ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं। चूंकि मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो चुका है इसलिए प्राइवेट लारी वालों को आज्ञा नहीं दी जा सकती है।

लाड़पुर ग्रामवासियों को सिंचाई की असुविधा

*१८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बरेली में रिजौरा के पास स्थित ग्राम लाड़पुर में सिंचाई का कोई साधन नहीं है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ग्राम लाड़पुर में अजीतनगर माईनर के कुलाबा नं० ८ आ तथा ११ से सिंचाई का साधन उपलब्ध है।

*१९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि रूहेलखंड नगर विभाग, बरेली, लाड़पुर, ग्रामवासियों को गत ५ वर्षों से नहर उपलब्ध कराने का आश्वासन देता चला आ रहा है जिसके कारण ट्यूबवेल भी नहीं बनाया जा सका ? यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यकता को देखते हुये एक राजकीय नलकूप लाड़पुर में लगाने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

रूहेलखंड कैनाल डिवीजन, बरेली के अन्तर्गत लाड़पुर ग्राम में एक माईनर सारदार नहर सिस्टम पर धान की सिंचाई के हेतु ६७ मील की लम्बाई की नहरों के निर्माण के प्रोजेक्ट में चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित है। अतः नलकूप बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरीशकुमारगंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुलाबा नं० ८-११ से पिछले ३ वर्षों से कितनी सिंचाई की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सिंचाई कितनी हुयी, इसकी सूची तो मेरे पास है लेकिन यह बात सही है कि ज्यादा नहीं हुयी है। यह १९, २३, २८ या ३७ एकड़ है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह ६७ मील की नहरों के प्रोजेक्ट्स पिछले ५ वर्षों से आपकी सरकार में पड़े हुये हैं और यहां पर सिंचाई का अभाव है, तो क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे यहां भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सिंचाई के साधन उपलब्ध होने के लिये ही यह प्रोजेक्ट बनाया गया है। जब विचार हो जायगा, प्रोजेक्ट बन जायगा, पानी आने लगेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुये कि इस स्थान पर रकबा भी बहुत ज्यादा है और सिंचाई की भी आवश्यकता है क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में यहां पर नहरों का निर्माण करा दें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमने अभी प्रोजेक्ट को भारत सरकार के पास भेजा है। रुपया मिल जायगा तो उस योजना पर अमल हो जायगा।

श्री नाथूराम शिक्षक—

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि नलकूपों से इतनी सिंचाई हुयी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कम सिंचाई हुयी है उससे राजस्व की कितनी हानि हुयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आपको धन्यवाद। मैं तो नहर की बात कह रहा हूं और आप ट्यूबवेल की बात कहने लगे हैं।

श्री होरीलाल यादव—

नहरों की माइनर्स में जहां पर कुलाबे लगे हुये हैं, वहां सिंचाई बहुत कम होती है, तो क्या माननीय मंत्री जी उनको वहां से हटाकर ऐसी जगह लगाने के आदेश देंगे, जहां पर सिंचाई ज्यादा हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इन कुलाबों से कोई सिंचाई नहीं हो पाती और जब आपको ऊपर से रुपया भी नहीं मिल पाता है तो क्या तो कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे जिससे पड़ोस में कोई नलकूप और स्थान हो जिससे सिंचाई का साधन सुचारु रूप से उपलब्ध हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

नलकूप की संभावना रहती है इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है। मैं जानकारी करूंगा कि कोई दूसरा इन्तजाम हो सकता है अथवा नहीं, लेकिन मेरे खयाल में संभव नहीं है।

बुन्देलखण्ड में सिंचाई योजना

*२०—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड के चारों जिलों में सिंचाई का तीनों प्लान के समय का क्या लक्ष्य रखा गया था और कितनी-कितनी सिंचाई के लक्ष्य की पूर्ति हुई ? इसकी सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सिंचन क्षमता का जिलेवार लक्ष्य नहीं रखा जाता है। उक्त क्षेत्र में प्रथम व द्वितीय योजना काल में सिंचन क्षमता की पूर्ति तथा तृतीय योजना काल के अन्त तक सम्भावित सिंचन क्षमता की उपलब्धि के आंकड़े सूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७५१ पर)

श्री विजयसिंह—

जो आंकड़े दिये गये हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में २१ परसेंट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २५ परसेंट और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३० परसेंट सिंचाई के लक्ष्य की पूर्ति हुई है इसको देखते हुये बुन्देलखंड में सिंचाई के साधन बहुत कम हैं तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वहां नहरों द्वारा सिंचाई कम होने के कारण क्या है और अगर नहरों द्वारा सिंचाई कम हो या रही है तो क्या सरकार दूसरे साधन जुटाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रदेश के अन्य भागों में जिस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था है उसके हिसाब से बुन्देलखंड का औसत बुरा नहीं है।

झांसी में आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाली समिति

*२१—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या न्याय मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिये किसी कमेटी का निर्माण सरकार द्वारा सन् १९६४ में किया गया है ? यदि हां, तो उसमें सरकारी व असरकारी कितने व्यक्ति हैं, उनका पद तथा नाम क्या-क्या हैं ? जो कमेटी बनाई गई है उसमें जो व्यक्ति रक्खे गये हैं उनका आधार क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

सन् १९६४ में झांसी में ऐसी किसी कमेटी का निर्माण नहीं किया गया। आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिये मौजूदा कमेटी सन् १९६२ से चल रही है। उसके केवल एक सदस्य, जो जिला बार एसोसियेशन द्वारा चुना जाता है, की नियुक्ति जुलाई, १९६४ में हुई थी। वर्तमान कमेटी के सरकारी व असरकारी सदस्यों के विषय में वांछित सूचना संलग्न है। इन सदस्यों की नियुक्ति आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के नियमों के नियम १-ए के आधार पर की गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७५२ पर)

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि पूरे प्रान्त में इस बात की शिकायतें हैं कि जहां-जहां इस कमेटी का निर्माण किया गया है वहां पर एक ही पार्टी के एम० एल० एज को विशेष रूप से स्थान दिया गया है और विरोधी दल के एल० एल० एज को कोई स्थान नहीं दिया गया है जैसे झांसी में सुदामा प्रसाद गोस्वामी, काशीप्रसाद द्विवेदी तथा श्री कृष्ण चन्द्र को तो लिया गया लेकिन मैं प्रश्नकर्त्ता स्वयं नगर से चुना हुआ हूं लेकिन उस कमेटी में मुझे नहीं रखा गया ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

रूल यह है कि ६ नान आफिशियल होंगे जो कि क्रिमिनल कोर्ट के लाइयर्स नहीं होंगे और जिनको सरकार नामजद करेगी। उनमें से ४ लेजिस्लचर के सदस्य हो सकते हैं और सरकार उनको नामजद करेगी जिनको मुनासिब समझेगी। उसमें कोई आपोजीशन अथवा गवर्नमेंट पार्टी का सवाल नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की सिफारिश के लिये जितनी कमेटियां जिलों में बनी हुई हैं उनमें से किसी कमेटी में भी क्या विरोधी दल का कोई एम० एल० ए० मनोनीत किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—

सवाल चूंकि झांसी जिले के मुताल्लिक किया गया है इसलिये ५४ जिलों की बात नहीं बतला सकता लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि बाज-बाज जिलों में ऐसा हुआ है जहां कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा शहर में रहते हैं और बाकी तीन एम० एल० एज० देहात में रहते हैं तो श्री शर्मा शहर को और अन्य देहात को प्रतिनिधित्व करते हैं, किस दृष्टि से चुनाव किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—

मुमकिन है कि गोस्वामी जी की बात सही हो । दिसम्बर या नवम्बर, ६२ में ये चुनाव हुये थे, इसलिये मुझे याद नहीं है कि क्या बात थी ।

रोडवेज डिपो, बेवर

*२२—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर रीजन में बेवर डिपो पर गाड़ियों की मरम्मत ठीक तरीके पर नहीं होती है और आम तौर पर बसें खराब हालत में हैं ? ठीक समय पर नहीं चलती हैं ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस की है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

स्थिति ऐसी नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*२३—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद संकिसा रूट पर एक ही बस चलाने का क्या कारण है जबकि इस रूट पर बहुत से यात्री छूट जाते हैं जिनको बस में जगह नहीं मिलती है ? यात्रियों की इस आवश्यकता को देखते हुए दूसरी बस चलाने पर विचार किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुजफ्फर हसन—

दिनांक १०–४–६५ से दो गाड़ियां दोनों तरफ से चल रही हैं ।

*२४—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बेवर डिपो के अधिकांश कर्मचारियों के बकाया वेतन और तरक्की का रुपया कई वर्षों से नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और यह बकाया रुपया कब तक मिल जावेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

११५ कर्मचारियों में से केवल ४१ के वेतन आदि का भुगतान शेष है । इनमें से २९ का भुगतान करीब दो सप्ताह में हो जावेगा और शेष का भुगतान इनके बिलों के प्री आडिट के बाद हो सकेगा । देरी के लिये जांच कराई जा रही है ।

नोट—तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

विद्युत् प्रतिष्ठानों के मजदूरों को अन्तरिम सहायता

*२५—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि बिजली बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के अस्थायी और वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के रूप में ६ रु० की मासिक वेतन-वृद्धि क्यों नहीं जा रही है ? बिजली कर्मचारियों के लिये निर्मित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष, श्री जे० के० टण्डन ने क्या कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा अस्थाई कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी जा रही है। वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता नहीं मिल रही है क्योंकि इस प्रश्न पर अभी परिषद् द्वारा विचार हो रहा है।

विद्युत् प्रतिष्ठानों में नियोजित मजदूरों से संबंधित कुछ विषयों में जांच करने के लिये स्थापित समिति के अध्यक्ष, श्री जे० के० टंडन ने अन्तरिम सहायता देने के विषय में समिति की एक अन्तरिम रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है। इस रिपोर्ट में राज्य विद्युत् प्रतिष्ठानों के मजदूरों को अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की गई और तदनुसार इन मजदूरों को पुनरीक्षित दरों पर खाद्य मंहगाई भत्ता देने के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय होने तक ३०-६-६५ अन्तरिम सहायता देने के आदेश विज्ञप्ति संख्या १०४३९/एच आई/२६ सी १६/एस एम/६४ दिनांक ३० सितम्बर, १९६४ जारी किये गये हैं।

लखनऊ—महादेवा बस सर्विस

*२६—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सम्भाग के लखनऊ से महादेवा मार्ग का यात्री बस किराया कितना है ? शिवरात्रि मेला अवसर पर प्रति यात्री कितना-कितना बस का किराया सन् १९६३, १९६४, १९६५ में लिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्रथम श्रेणी का किराया २ रु० २० पैसे हैं जिसमें २० पैसा यात्री कर शामिल है। द्वितीय श्रेणी का १ रु० ८० पैसे हैं जिसमें १६ पैसा यात्री कर शामिल है।

निम्नलिखित किराया लिया गया :—

वर्ष	किराया	यात्री-कर	योग
	रु० पैसा	पैसा	रु० पैसा
१९६३	२.००	२०	२.२०
१९६४	२.००	२०	२.२०
१९६५	२.५९	२६	२.८५

*२७—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ सम्भाग के महादेवा शिवरात्रि मेला के अवसर पर सन् १९६३, १९६४, १९६५ में कितनी-कितनी आय और कितना-कितना व्यय हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—

आय व्यय निम्न प्रकार था :—

वर्ष			आय		व्यय	
			रु०	पैसा	रु०	पैसा
१९६३	..	..	१२,५१७	५४	८,२५५	१४
१९६४	..	..	८,४४१	२०	४,१४७	२०
१९६५	..	..	१३,२५९	२४	६,५८९	९६

फैजाबाद जिले में जलमग्न भूमि

*२८—श्रीमती रामरतीदेवी (जिला फैजाबाद) तथा श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को मालूम है कि फैजाबाद जिले में मड़हा (टौंस) नदी तथा थिरुवा नाला बरसात के दिनों में बढ़कर लाखों एकड़ भूमि तथा कृषि योग्य भमि को जलमग्न कर देता है ? यदि हां, तो क्या किसानों को उक्त विपत्ति को यथाशीघ्र दूर करने के लिये सरकार कोई योजना बनाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, कृषि योग्य भूमि बाढ़ के दिनों में जलमग्न हो जाती है। इसके लिये कोई योजना विभाग द्वारा नही बनाई जा रही है क्योंकि इस कार्य में व्यय की अपेक्षा लाभान्वित क्षेत्र बहुत कम होगा।

खीरी जिले के रोशननगर तालाब से ड्रेन निकालने का सुझाव

*२९—श्री रामभजन (जिला खीरी)—

क्या सिंचाई मंत्री जिला खीरी के अन्तर्गत रोशननगर के तालाब से एक ड्रेन के द्वारा पानी की निकासी की व्यवस्था कराके हजारों एकड़ भूमि में गल्ला के उत्पादन की सहूलियत पैदा करने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां।

लखनऊ में रोडवेज गाड़ियां

*३०—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ केन्द्र में कितनी कारें, जीपें तथा यूटिलिटी टैक्सी के रूप में हैं ? क्या विधायकों को इनके मिलने में कुछ विशेष सुविधायें हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

६ कारें, ३ यूटिलिटी स्टेशन वैगन व १८ जीप गाड़ियां टैक्सी के रूप में हैं। यह टैक्सियां निश्चित किराये की दरों पर किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध हो सकती हैं। विधायकों के लिये इन्हें उपलब्ध करने की किसी विशेष सुविधा की व्यवस्था नहीं है।

*३१—श्री होरीलाल यादव—

[हटा दिया गया ।]

कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप में बसों के पुर्जे

*३२—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मंत्री प्रश्न संख्या १५–१६, दिनांक १ मार्च, सन् १९६५ के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि लेलैण्ड और मरसिडीज गाड़ियों की खरीद के समय क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई इकरारनामा उक्त कम्पनियों से कराया था कि मरम्मत के समय आवश्यक पुर्जों के देने की जिम्मेदारी उनकी होगी ? यदि नहीं, तो इन कम्पनियों से गाड़ी की खरीद क्यों की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

लेलैन्ड व मरसिडीज कम्पनियों से पुर्जे देने के बारे में कोई इकरारनामा नहीं हुआ था। इस किस्म का इकरारनामा कोई भी कम्पनी नहीं करती है । ये गाड़ियां इसलिये खरीदी गईं क्योंकि रोडवेज के लिये यह गाड़ियां उपयुक्त समझी गईं ।

*३३—श्री शिवनाथसिंह—

क्या जो पुर्जे २३·४७ लाख के काम में न आने वाले बेकार पड़े हैं इस फालतू खरीद के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? और अब उन अधिकारियों के खिलाफ, जिनके कारण ११८ बसें पुर्जों के अभाव के कार खड़ी हैं, क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१९५०–५१ व१९५१–५२ में ये पुर्जे जिन चीफ मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा खरीदे गये थे वह नौकरी छोड़कर चले गये । इस कारण उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकी। ११८ बसों की मरम्मत न हो पाने के लिये किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ।

*३४–३५—सर्वश्री राजेन्द्रसिंह आदि—

[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६–३७—श्री रामअधार कनौजिया—

[हटा दिये गये ।]

गम्भीरा ग्राम के नाले का सर्वेक्षण

*३८—श्री रामसिंह (जिला मनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम गम्भीरा वकिरथुआ, जिला मैनपुरी, तहसील करहल से जो नाला नदी में गिरता है और वहां से उसकी लम्बाई ५ मील से ज्यादा है और उसक सर्वे भी हो चुका है, उसे सरकार शीघ्र ही पूरा करने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

अभी सर्वे समाप्त नहीं हुआ है ।

*३९–४०—श्री पंचमदास (जिला हरदोई)—

[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गोविन्द सागर बांध से निकलने वाली नहर

*४१—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री रामसिंह (एटा)—

क्या सिचाई मंत्री इस बात को देखते हुये कि जिला झांसी में गोविन्द सागर बांध से निकलने वाली नहर की क्षमता बहुत कम है, उसे अधिक चौड़ी और गहरी कराने की कृपा करेंगे, जिससे उसकी क्षमता बढ़ सके ?

श्री गिरधारीलाल—

गोविन्द सागर बांध से निकलने वाली ललितपुर मुख्य नहर की क्षमता बढाने हेतु, इसको अधिक चौड़ी व गहरी करने के लिये, एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं।

डुलावन डिस्ट्रीब्यूटरी पर 'एक्वेडक्ट' का निर्माण

*४२—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री रामसिंह (एटा)—

क्या सिचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में डुलावन डिस्ट्रीब्यूटरी पर टोड़ी नाला पर जो पुल बन रहा है, वह कब से बन रहा है और कब तक बन कर तैयार हो जावेगा ? क्या यह सही है कि उसमें निर्माण कार्य होने के कारण इस वर्ष किसानों की हजारों बीघा खेती सूख गई ?

श्री गिरधारीलाल—

डुलावन डिस्ट्रीब्यूटरी पर टोड़ी नाले पर एक एक्वेडक्ट का निर्माण कार्य सन् १९६२–६३ में प्रारम्भ किया गया था और सन् १९६३–६४ में समाप्त हो गया। यह सत्य नहीं है कि इस एक्वेडक्ट में निर्माण कार्य होने के कारण हजारों बीघा खेती इस वर्ष सूख गई।

*४३—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

[बारहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४४–४५—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—

[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४६–४८—श्री राजनारायसिंह (जिला गाजीपुर)—

[हटा दिये गये।]

एटा जिले में सकरौली का जलमग्न क्षेत्र तथा हरनद नदी का पुल

*४९—श्री चिरंजीलाल जाटव—

सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा, तहसील जलेसर में गरकी क्षेत्र पीड़ित सकरौली ग्राम के लिये क्या कदम उठा रही है ? और वह कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।

*५०—श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हरनद नदी पर कब कार्य शुरू होने जा रहा है जो कि सरकार की स्कीम में है ?

श्री गिरधारीलाल—

आशा है कि आगामी वर्षा से पूर्व यह कार्य आरम्भ हो जायेगा।

मड़ियाहूं जलशाखा पर 'साइफन' निर्माण के लिये मशीन

*५१—श्री भगवतीदीन तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जौनपुर जिले में नहर की मड़ियाहूं रजबहा में मौजा आमेपुर (सलारपुर) से एक गंदा नाला निकाला गया है उस पर पुल बनाने के सिलसिले में तीन साल हुआ एक बहुत बड़ी मशीन ईंटा व चूना पेरने के लिये उपरोक्त गांव में सरकार द्वारा भेजी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि उस मशीन से काम नहीं लिया गया और वह अब तक लापरवाही से वहीं पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी सुरक्षा की व्यवस्था और जिस कर्मचारी की लापरवाही से वह मशीन पड़ी है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। इस मशीन से कुछ काम लिया गया है। मड़ियाहूं जलशाखा पर एक बड़े 'साइफन' के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके कारण वह मशीन वहीं पर है। अतः कर्मचारी क खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में फौजदारी की अपीलें

*५२—श्री रामसिंह (सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६०, १९६१, १९६२, १९६३ तथा १९६४ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलग-अलग किस वर्ष में कितने फौजदारी के अपील दायर किये गये और किस वर्ष कितने अपील तय किये गये हैं ? ३१ दिसम्बर, १९६४ तक कुल कितनी अपीलें पेंडिंग हैं ?

*५३—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त चार वर्षों की कुछ अपीलें ऐसी हैं जिनका निर्णय मुल्जिम की सजा भुगतने के बाद हुआ है ? इसका कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—

सूचना इकट्ठा की जा रही है।

लखनऊ—मोहान मार्ग पर प्राइवेट लारियां बन्द रहना

*५४—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से मोहान जाने वाली प्राइवेट लारियां पहली जनवरी से १९ जनवरी, १९६५ तक बन्द रहीं ? यदि हां तो उनके बन्द रहने का कारण क्या था और जनता को असुविधा पैदा करने का जिम्मेदार कौन व्यक्ति था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। इस संबंध में जांच की जायेगी और जांच के बाद ही कारण और जिम्मेदारी के बारे में पता चल सकेगा।

बस्ती जिले में सिंचाई-कर

*५५—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि बस्ती जिला के बढ़पुर, अलीदापुर, सोहरतगढ़, नेउरा इलाकों में (जब जमींदारी प्रथा लागू थी) पुरानी नहरें पर सिंचाई कर नहीं लगता था और अब १९६४ से जमींदारी उन्मूलन के बाद उन्हीं नहरों पर सिंचाई-कर लगता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित इलाकों में नहरों पर जमींदारों के समय में सिंचाई-कर नहीं लगता था।

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् इन नहरों पर सिंचाई विभाग द्वारा खरीफ, १९६३ तक निःशुल्क पानी दिया जाता रहा है। किन्तु चूंकि विभाग को इन नहरों के रख-रखाव व मरम्मत आदि पर प्रति वर्ष काफी धन व्यय करना पड़ रहा है, अतः रबी १९६३–६४ से इन पर नाम मात्र की सिंचाई-दरें लागू कर दी गई हैं।

*५६—५८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५९–६०—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में ट्रान्समिशन लाइन्स बनाने के लिये अर्जित भूमि का मुआवजा

*६१—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर के मुहल्ला मुहद्दीपुर में विद्युत् विभाग द्वारा किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि सन् १९६३–६४ और १९६४–६५ वर्षों में अर्जित की गई है और किस उपयोग के लिये की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—

सन् १९६३–६४ में राज्य विद्युत् परिषद् के लिये ०.७१० एकड़ तथा ६.८५७ एकड़ भूमि अर्जित की गई है। सन् १९६४–६५ में कोई भूमि अर्जित नहीं की गई। जिन-जिन किसानों की जितनी-जितनी भूमि अर्जित की गई है उसका ब्योरा संलग्न सूची 'अ' तथा 'ब' में दिया हुआ है। उक्त भूमि ट्रान्समिशन लाइने बनाने के लिये अर्जित की गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७५३–७५५ पर।)

*६२—श्री रामसूरत प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जिन किसानों की भूमि अर्जित की गई है उस पर विद्युत् विभाग का अधिकार कब हुआ है और उसको मुआवजा किस दर से उन किसानों को कब दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

परिषद् द्वारा उपरोक्त ०.७१० एकड़ भूमि पर अधिकार ६–८–६३ को किया गया था तथा इसका मुआवजा संबंधित किसानों को २३–३–१९६४ को ६,००० रुपया प्रति एकड़ की दर से दिया जा चुका है तथा ६.८५७ एकड़ भूमि पर परिषद् द्वारा अधिकार २२–७–६३ को किया गया था। इसके मुआवजे का निर्णय मार्च, १९६५ में हुआ। इस मुआवजे की शीघ्रातिशीघ्र अदायगी के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है। यह मुआवजा १८,२४१ रुपया तथा १३,८१५.७५ रुपया प्रति एकड़ की दर से निर्धारित किया गया है।

*६३—६५—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी में एलफील्ड गैराज कम्पनी को अप्रूव्ड लिस्ट से हटाना

*६६—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या परिवाहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी के एलफील्ड गैराज (मोटर कम्पनी) के विरुद्ध भ्रष्टाचार इत्यादि क आरोप होने के कारण सरकार द्वारा अप्रूव्ड लिस्ट से उनका नाम सरकारी कामों के लिये हटा दिया गया है ? यदि हां, तो जिलाधीश, झांसी को उक्त सूचना किस तारीख व किस माह में दी गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां ।

जिलाधीश झांसी को सूचना दिनांक ५ सितम्बर, १९६४ को दी गई ।

*६७—६८—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बरेली क्षेत्र में शारदा नहर की शाखाओं की सफाई

*६९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि हेड वर्क्स डिवीजन, शारदा कैनाल, बरेली के रजबहों और माइनर्स की सालाना आवश्यक मरम्मत तथा रेग (सिल्ट) १९६३–६४ पूर्ण प्रकार से साफ नहीं कराई गई, हालांकि कागजात में मरम्मत तथा रेग साफ कराने का खर्च दिखाया गया है, जो कि इतना नहीं हुआ ? तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में उल्लिखित रजबहों तथा माइनरों की सालाना आवश्यक मरम्मत कराई गई थी तथा रेग की सफाई भी आवश्यकतानुसार कराई गई थी । कागजात में जितना खर्चा मरम्मत तथा रेग सफाई में दिखाया गया है वह सही है । अतः इस संबंध में जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*७०—श्री महेन्द्रसिंह (जिला अलीगढ़)—

[हटा दिया गया ।]

*७१–७२—श्री शान्ति चन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

[हटा दिये गये ।]

मेरठ क्षेत्र में उप-परिवहन आयुक्त के विरुद्ध आरोप

*७३—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ रीजन पब्लिक प्रासीक्यूटर ने दिनांक १७ फरवरी, १९६५ को परिवहन आयुक्त को कोई आरोप-पत्र दिया है जिसमें उप परिवहन आयुक्त (इन्फोर्समेंट) के खिलाफ उदाहरणों सहित यह शिकायत की गई है कि विभाग में फैले भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तथा भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, परन्तु इस आरोप-पत्र में उस परिवहन आयुक्त (इन्फरेंसमेंट) के खिलाफ उदाहरणों सहित कोई शिकायत नहीं थी ।

*७४—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री खेमचन्द—

क्या उपरोक्त आरोप-पत्र की प्रतिलिपि मंत्री महोदय को भी भेजी गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई थी ।

*७५—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री खेमचन्द—

अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्रश्न नहीं उठता ।

फरेंदा तहसील में बिजली

*७६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेन्दा तहसील के बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत धानीगांव,बलुआ, सौनौरा बुजुर्ग, सौनौरा खुर्द, मरहठा, सिकन्दराजीतपुर तथा कुनवार जिसकी आबादी अलग-अलग तीन हजार से भी ऊपर है, जांच कराकर कैम्पिरगंज तथा धानीबाजार का विद्युतीकरण सर्वेक्षण कराकर बिजली देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील के बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत धानी बाजार का विद्युतीकरण ३१-१-६५ को हो चुका है । शेष गांवों का सर्वेक्षण करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं । यदि ये गांव राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित मापदन्ड से, जिसके अनुसार १००० जन संख्या पर १ १/२ मील लम्बी लाईन बनाई जा सकती है, विद्युतीकरण के लिये संभव पाये जायेंगे तो इनका विद्युतीकरण उचित समय पर कर दिया जायेगा ।

गोंडा जिले को बिजली

*७७—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिले में जनवरी, १९६५ तक तहसीलदार किन-किन ग्रामों में ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिजली लग चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल—

स्थानों के विद्युतीकरण का रिकार्ड तहसीलवार नहीं रखा जाता वरन् जनपद के अनुसार रखा जाता है । गोंडा जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जनवरी, १९६५ तक ११३ स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है जिनके नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७५६-७५७ पर)

*७८—श्री गंगाप्रसाद तथा श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगले दो वर्षों में गोंडा जनपद में कितने ग्रामों में बिजली देने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

गोंडा जनपद में अगले दो वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग ४० ग्रामों को बिजली देने की योजना है ।

*७९—श्री गंगाप्रसाद तथा श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में पश्चिमी क्षेत्र छितानी कुकूर, मुकवा, डुडवा, बनगाई एवं कोड़िया बाजार, दुबहा बाजार, छिराछ, रामापुरा, गोरवजानीपुर, पूरे बदल ग्रामों में बिजली न देने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों का सर्वेक्षण करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। यदि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंड से, जिसके अनुसार १००० जनसंख्या पर १ १/२, मील लम्बी ११ के० वी० लाइन बनाई जा सकती है, इनका विद्युतीकरण संभव पाया जायगा तो उचित समय पर विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

*८०-८१—सर्वश्री बद्रीप्रसाद पालीवाल आदि—

[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८२—श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

[ग्यारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

पीलीभीत जिले में बिजली

१—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पीलीभीत में इस वर्ष कितने ग्रामों में विद्युतीकरण करने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७५८ पर)

२—श्री दुर्गाप्रसाद—

क्या इस जिले के अन्तर्गत ग्राम रसयां खानपुर में, जिसकी जन-संख्या लगभग ३,००० की है तथा पक्के एवं सुदृढ़ मकान हैं और लगभग डेढ़ मील के अन्तर से विद्युत् धारा भी जाती है, विद्युतीकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम रसयां खानपुर का सर्वेक्षण करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। यदि इसका विद्युतीकरण राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित मापदन्ड से, जिसके अनुसार १००० जन संख्या पर १ १/२ मील लम्बी ११ के० वी० लाइन बनाई जा सकती है, संभव होगा तो उचित समय पर विद्युतीकरण कर दिया जायगा।

३--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

[बारहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सैदपुर ब्लाक में नलकूप

४--श्री राजनाथसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत सैदपुर ब्लाक में सन् १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ में किन-किन स्थानों के लिये ट्यूबवेल प्रस्तावित थे । उनमें अब तक कितने बोर हो चुके हैं ? शेष के बोर न होने का कारण क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--

सैदपुर ब्लाक में १९६२-६३ में कोई नलकूप प्रस्तावित नहीं था । १९६३-६४ में ग्राम नायकडीह, गठोला, मोघा तथा फरीदहा में तथा १९६४-६५ में लोहजरा में नलकूप प्रस्तावित किये गये थे और ये सभी बोर हो चुके हैं ।

५--श्री राजनाथसिंह--

सन् १९६५-६६ में सैदपुर में कितने और कहां ट्यूबवेल प्रस्तावित हैं ? उनके प्रस्ताव का आधार क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--

१९६५--६६ में दो नलकूप दाढीबाढ़ी व पहाड़पुर हल घर में प्रस्तावित है । इन स्थानों में सिंचाई के साधनों की आवश्यकता तथा उसकी पूर्ति के लिये आर्थिक एवं प्रावैधिक दृष्टि से नलकूप निर्माण की उपयुक्तता के आधार पर ही ये नलकूप प्रस्तावित हैं ।

६--श्री राजनाथसिंह--

क्या सैदपुर ब्लाक के अन्तर्गत बेलहरी, इसोपुर, भंवरपुर दाढ़ीवाढ़ी, इटहा दौलतपुर, गैबीपुर में ट्यूबवैल प्रसावित हैं । यदि हां, तो इनके कब तक बोर हो जाने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में से केवल डाढ़ी बाढ़ी में एक नलकूप प्रस्तावित है । इसकी बोरिंग इसी वर्ष चालू करने का प्रस्ताव है ।

*७--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ जो विधान सभा द्वारा २ अप्रैल, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी संशोधन के दिनांक २६ अप्रैल, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है ।

टीका राम गर्ल्स कालेज, अलीगढ़ में छात्राओं के साथ छात्रों द्वारा अभद्र व्यवहार के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ में मैंने माननीय शराफत हुसैन रिजवी और माननीय बालोजी अग्रवाल की सूचना को स्वीकार किया है जो इस प्रकार है--"इस नोटिस द्वारा आपका तथा सदन का ध्यान टीका राम गर्ल्स डिग्री कालेज, अलीगढ़ की २२ और २४ अप्रैल को हुई उस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी वजह से अलीगढ़ शहर तथा उसके आस पास का वातावरण विस्फोटक बना हुआ है, वहां किसी समय भी झगड़ा हो सकता है । घटना इस प्रकार है कि उपरोक्त कालेज में लड़कियां डिग्री क्लासेज की परीक्षाएं दे रही थीं । यह कालेज इस परीक्षाओं का केन्द्र भी है । २२ और २४ अप्रैल को सैकड़ों विद्यार्थियों ने बलपूर्वक परीक्षा के कमरों में घुस कर अन्दर से कमरों के दरवाजे बन्द कर लिये और इम्तहान देने वाली लड़कियों के साथ बहुत ही अभद्र, अपमानजनक, लज्जानक, शील भंग करने वाले कार्य किये जिसका स्पष्ट प्रमाण लड़कियों के मुंह पर, सरों पर और शरीर के अन्य भागों पर चोटों के निशान हैं । इन कार्यों से अलीगढ़-वासियों को गहरी चोट पहुंची है और इस डर से कि पुनः लड़कियों का अपमान न किया जाय, परीक्षा हट गई है । चारों ओर बेचैनी, परेशानी और असंतोष फैला हुआ है । जनता की इज्जत सुरक्षित नहीं है और दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की नहीं है ....

इस पर कब वक्तव्य होगा ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

परसों ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, केवल वक्तव्य से काम नहीं चलेगा । वहां पर इतनी विस्फोटक स्थिति है कि उसके निवारणार्थ सरकार कदम उठाये ताकि वहां शान्ति बनी रहे ।

श्री अध्यक्ष--

इसके ऊपर परसों वक्तव्य दिया जायगा ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, यह देखते हुये कि इतनी गम्भीर समस्या है और यही नहीं कि विस्फोटक स्थिति हो रही है परन्तु हमारी बहिनों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि परसों वक्तव्य न दिला कर आज शाम को या कल सुबह दिला दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप बता सकते हैं ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)--

श्रीमन्, परसों ।

श्री अध्यक्ष---

मैं निवेदन करूंगा कि सदन की इच्छा है कि इस पर शीघ्र से शीघ्र वक्तव्य हो जाय । कल एक वक्तव्य यूनिवर्सिटी के बारे में भी है, यह भी साथ में आ जाय तो अच्छा है ।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

श्रीमन्, शायद यह सम्भव न हो सकेगा, क्योंकि इसकी इत्तिला अभी तक मुझे कुछ भी नहीं है। अखबारों में भी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गृह मंत्री जी, अखबारों में तो आ चुका है और आज भी आया है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप प्रयत्न करके इस संबंध में, कल तक सूचना मंगवा लें और जो बातें मालूम हों उन्हें सदन के सम्मुख रख दें। यदि आप सूचना से सन्तुष्ट न हों तो हम देख लेंगे, लेकिन शीघ्रातिशीघ्र कल आप अवश्य मंगवा लें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, इसे कल और परसों पर टालने की क्या जरूरत है? वायरलेस सरकार के पास है, यदि वह चाहे तो उसके द्वारा सूचना मंगा ले, तो अच्छा हो। वायरलेस से मंगाकर सरकार सूचना क्यों नहीं देती?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में केवल मंत्री जी के वक्तव्य से कुछ होने वाला नहीं है। टीकाराम गर्ल्स कालेज की सुरक्षा के लिये और वहां की परीक्षार्थी छात्राओं की सुरक्षा के लिये मंत्री महोदय कोई पुलिस की व्यवस्था करायेंगे? यह बहुत जरूरी है, यह हो जाना चाहिये, यह आपकी तरफ से आग्रह हो जाना चाहिये, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, जो बात माननीय केशरी प्रसाद जी कह रहे हैं, स्वाभाविक और ठीक मालूम पड़ती है, पुलिस का प्रबन्ध हो जाना चाहिये।

श्री बनारसी दास--

असलियत का पता हो जाये तो इस पर कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष--

ऐसी सूचना समाचार पत्रों में आई है, यह बिलकुल गलत नहीं हो सकती है। तो कम से कम वायरलेस द्वारा, टेलीफून द्वारा या अन्य किसी तरह से हमें कुछ सूचना मिल सकती है। माननीय सदस्य का केवल इतना कहना है कि अगर ऐसी बात है तो कानफिडेन्स रिस्टोर करने के लिये ऐसा प्रबन्ध हो जाये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

इस पर मंत्री जी क्या करेंगे, ? इनका तो कहना है कि अपराध बढ़ेंगे ही जनतंत्र में। श्रीमन्, वहां पर महिला परीक्षार्थियों के साथ लज्जाजनक दुर्व्यवहार हुआ, उनका शीलभंग हुआ ऐसे गम्भीर मामले में हम गृह मंत्री के वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं होंगे क्योंकि गृह मंत्री ने अपना स्टेंट-मेंट अखबारों में दे दिया है कि.....

श्री अध्यक्ष--

मैं देख रहा हूं कि इस तरह की असंगत बातें कहने के आप आदी हो गये हैं, आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप मेरी बात सुन तो लीजिये, बिना सुने आप कैसे असंगत कहते हैं?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, सब सुन लिया है। नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना आयी है, उस पर वक्तव्य देने के लिये मंत्री महोदय ने कह दिया है। अब इस पर जब वक्तव्य होगा तब आप प्रश्न इस सम्बन्ध में कर सकते हैं, आक्षेप कर सकते हैं और मेरा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें। लेकिन आप इस समय इस तरह की बातें नहीं कह सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं केवल यह बात कहता हूं कि बार-बार जिस गृह मंत्री का बयान अखबारों में यह है कि . . .

श्री अध्यक्ष--

देखिये, आप बराबर इस तरह की बातें कह रहे हैं, आप बैठिये, नहीं तो.... विशेष परिस्थिति में, एक विशेष स्थान पर यह बात कही गयी थी। यदि आप चाहते तो उस समय आप प्रश्न उठा देते। लेकिन हम रोज रोज इस प्रश्न को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे, उसे आपने कह दिया कि यह कार्यवाही में नहीं आने चाहिये, तो ऐसा आपने किस नियम से किया? उसको आपने असंसदीय या और कुछ घोषित नहीं किया और बिना इसके आपने कैसे कह दिया?

श्री अध्यक्ष--

आपको कोई अधिकार नहीं है, मुझ से इस प्रकार पूछने का आप नियय देखिये। कोई सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुज्ञा के इस सदन में नहीं बोल सकता है और यदि कोई बोलता है तो वह अनधिकृत बोलता है और वह अभिलेख में नहीं आ सकता।

प्रदेश में चलती गाड़ियों व स्टेशनों पर पड़ी डकैतियों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

दिनांक ८-४-६५ को श्री प्रेमहंस शर्मा, कोषाध्यक्ष तथा श्री मिठाईलाल, सदस्य, साधन सहकारी समिति, गौरा प्रथम, देवरिया, ने सहकारी सोसायटी, सलेमपुर के बैंक से ९०९८० रुपये निकाला तथा सायंकाल साढ़े ६ बजे की गाड़ी से बरहज जाने के लिये एक थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठ गये। उसी डिब्डे में ५ और व्यक्ति आकर बैठ गये और जब गाड़ी सतरांव स्टेशन से चलने लगी तो इन पांचों व्यक्तियों ने जिनके पास छुरे और पिस्तौल इत्यादि थे, समिति के उपरोक्त कार्यकर्त्ताओं पर प्रहार किया और ६-८६५ रुपया छीन कर वे गाड़ी रोककर भाग गये। इस घटना की सूचना श्री प्रेस हंस शर्मा ने पुलिस को ८ ४- ६५ को दी, जिस पर जी० आर० पी० थाना भटनी में मुकदमा कायम किया गया। इस मुकदमें में अभी तक कोई गिरपतारी नहीं हो सकी है तथा अनुसंधान जारी है। रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु सशस्त्र पुलिस के कांस्टेबिलों की व्यवस्था कर दी गयी है।

दिनांक १६-४-६५ को मालगाड़ी डाउन सिन्ड्री स्पेशल रोजा से मुगलसराय के लिये चली तथा काकोरी स्टेशन पर अनुमानतः १ घंटा खड़ी रहने के पश्चात् १० बजकर १५ मिनट रात्रि में वहां से आलमनगर स्टेशन के लिये चली। काकोरी से चलने के उपरान्त यह माल गाड़ी एकाएक कुछ दूर जाकर रुक गयी और मालगाड़ी के ड्राइवर ने इंजिन गाड़ी से काट कर तथा आलमनगर १० बजकर ३५ मिनट पर पहुंच कर इस आशय की रिपोर्ट दी कि गाड़ी

को चोरों ने होज पाइप काट कर रोक दिया है। स्टेशन मास्टर, आलमनगर ने सरकारी रेलवे पुलिस स्थानीय पुलिस स्टेशन, काकोरी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना पाते सब-इंस्पेक्टर सरकारी रेलवे पुलिस, चारबाग, लखनऊ, २ कांस्टेबिलों सहित आलमनगर पहुंचे और वहां से मालगाड़ी के इंजिन ड्राइवर और इंजिन को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। काकोरी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गयी। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि मालगाड़ी के ५ डिब्बों में से ११-ए क्सलों के ब्रास बियरिंग चोरी हो गये हैं। ड्राइवर ने बताया कि जब गाड़ी एकाएक खड़ी हो गयी तो उन्होंने ५–७ व्यक्तियों को टार्च चमकाते हुये गाड़ी के पास देखा। यह देख कर वे डर गये और चुपचाप इंजिन काट कर आलमनगर चले आये। मालगाड़ी के गार्ड ने यह बताया कि गाड़ी रुकने पर जब वे गाड़ी से उतरे तो उनको अपराधियों ने लौट जाने की धमकी दी और वे वापस जाकर ब्रेकवान में बैठ गये। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधी पुलिस दल के पहुंचने के १०-१५ मिनट पहले ही घटनास्थल से जा चुके थे। अपराधियों ने गार्ड तथा ड्राइवर या किसी और व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचायी और न उनके पास कोई आग्नेय अस्त्र थे। इस घटना को धारा ३९५ भारतीय दंड विधान तथा १२८ रेलवे ऐक्ट के अन्तर्गत सरकारी रेलवे पुलिस, चारबाग, लखनऊ में रजिस्टर किया गया। इस संबंध में अभी तक २ अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं और चोरी किये गये ४ ब्रास बियरिंग बरामद हो चुके हैं। जांच अभी जारी है। रेलवे लाइन की गश्त रेलवे सुरक्षा दल (आर० पी० एफ०) द्वारा की जा रही है, तथा मालगाड़ियों में भी सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों को गाड़ियों के रक्षार्थ भेजा रहा है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या इन चोरियों में किसी एक पूरे गैंग का हाथ है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

अभी तक जांच जारी है, लेकिन मालूम ऐसा होता है कि किसी गैंग का हाथ है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या मालगाड़ी के डिब्बों को भी तोड़ने का प्रयत्न किया गया या सारी गाड़ी के अन्दर से ब्रास बियरिंग निकाल कर ले गये ? अगर ब्रास बियरिंग की चोरी हुई तो उनकी कीमत क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

ब्रास बियरिंग की चोरी हुई है उनको वे निकाल कर ले गये और डिब्बों को तोड़ने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में दो बातें कहीं। एक तो यह कि जो लोग वहां मालगाड़ी को लूटने के लिये या ब्रास बेयरिंग निकालने के लिये थे उनके पास कोई हथियार नहीं था और दूसरे यह कि हौज पाइप काट दिया गया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि ड्राइवर स्वयं हौज पाइप काट कर इंजन लेकर भागा या उन्होंने ही हौज पाइप काट दिया था ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

हौज पाइप के कटने पर गाड़ी रुक गयी तो ड्राइवर इंजन को गाड़ी से काट कर दूसरे स्टेशन पर दौड़ा गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि एक बड़ी संख्या में डाकू थे जिन्होंने गाड़ी पर हमला किया और उन्होंने कोई डिब्बा तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया और केवल गाड़ियों के अन्दर से ब्रास

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

बियरिंग ही उन्होंने निकाला, क्या सरकार जांच करते समय इस बात को ध्यान में रखेगी कि यह कोई चोरी, डकैती नहीं थी बल्कि कोई षडयन्त्र था देश विरोधी लोगों का ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हां, यह सम्भव हो सकता है। अभी मालूम हुआ है कि ब्रास बियरिंग निकालने के लिय ही यह प्रयत्न किया गया था।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर गया है कि इधर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी घटनायें पैसेंजर और मालगाड़ियों को लूटने की बढ़ती जा रही हैं ? अगर हां, तो सरकार ने इसकी रोकथाम के लिये कौन सा विशेष प्रयास किया है और उसका अब तक क्या फल हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सशस्त्र पुलिस चलायी जा रही है और गाड़ी की पटरियों का निरीक्षण किया जा रहा है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो मालगाड़ी रोकी गयी उसके डिब्बों में कोई माल लदा था या वे खाली डिब्बे थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे यह घटना प्रथम बार की नहीं है, बल्कि इस प्रकार की घटनायें कई बार हो चुकी हैं और आपने सदन को आश्वासन भी दिया था कि हर प्रकार से पुलिस का इन्तजाम किया जायगा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की घटनायें रोकने के लिये इस गाड़ी पर कोई पुलिस का इन्तजाम था या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसका संबंध आर० पी० एफ० से है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की है। उससे हमारा कोई संबंध नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जब एक वर्ष के अन्दर इतनी अधिक घटनायें घटी हैं, और कुछ महीनों पहले भी उसी लाइन पर एक ट्रेन डकैती पड़ी थी, तो पी० ए० सी० आदि का कोई इन्तजाम गार्ड्स की सुरक्षा की दृष्टि से होना चाहिये था तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गार्ड्स का कोई इन्तजाम सुरक्षा की दृष्टि से करने जा रही है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने उत्तर तो दिया कि इस प्रकार का इन्तजाम है कि पैंसेजर गाड़ियों में हमेशा सशस्त्र पुलिस चलायी जाय।

श्री लखपत राम शर्मा—

जब इस तरह की घटना कोई होती है उसके कुछ दिनों बाद ही गार्ड्स हटा लिये जाते हैं, तो मेरा प्रश्न यह है कि इस तरह की घटनाओं की बढ़ोत्तरी को देखते हुए क्या सरकार गार्ड्स का इन्तजाम मुस्तकिल तौर पर करने का विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह शायद सम्भव नहीं हो सकेगा कि हर गाड़ी में सशस्त्र पुलिस चलायी जाय ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गार्ड गाड़ी के साथ जाते हैं उनको रिवाल्वर क्यों नहीं दी जाती, ताकि वे बदमाशों को रोकने की कोशिश कर सकें ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने उत्तर में बतलाया कि इसका संबंध आर० पी० एफ० से है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

यह बात सही है कि इसका संबंध भारत सरकार से है, लेकिन चूंकि ये घटनायें हमारे प्रदेश में हो रही हैं, इसलिये इन चोरों को हटाने के लिये या पैसेन्जर्स की जान माल की सुरक्षा के लिये इस संबंध में हमारी सरकार भारत सरकार से बात कर रही है कि मालगाड़ी तथा पैसेन्जर गाड़ी पर आर० पी० एफ० की टुकड़ी चले या हमारी पुलिस की टुकड़ी गाड़ी के साथ चले ताकि इसकी सुरक्षा हो सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने उत्तर दिया कि जहां तक पैसेन्जर गाड़ी का संबंध है उसमें हम अपनी तरफ से इस बात का विचार कर रहे हैं कि सशस्त्र पुलिस गाड़ी के साथ चले ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दो आदमी पकड़े गये हैं, क्या वे लोको वर्कशाप में काम करने वाले आदमी हैं या सरकारी मुलाजिम हैं या कोई "प्रोफेशनल" डकैत है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वे रेलवे कर्मचारी नहीं है, लेकिन इनका रिकार्ड बहुत खराब है और बहुत सी चोरियों में सजा पाये हुये आदमी हैं ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन दो स्टेशनों के बीच कोषाध्यक्ष लूटे गये वहां आपकी पुलिस मौजूद थी तो उन्होंने फौरन क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जैसे ही सूचना हुई वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे ।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सवारी गाड़ियों के साथ मुस्तकिल तौर पर सशस्त्र पुलिस का इन्तजाम करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कहा है ।

श्री झारखण्डेराय--

सवारी गाड़ियों में इन्तजाम करने की बात उन्होंने कही कि इन में इन्तजाम होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उसको हटा लिया जाता है। तो वह अभी चल रहा है या हटा लिया गया है ? यह साफ हो जाय।

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह इन्तजाम किया जाता है और जब ऐसी आशंका दूर हो जाती है तो उसको हटा लिया जाता है क्योंकि हमेशा सब गाड़ियों पर पुलिस का चलाना आर्थिक दृष्टि से हमारे लिये असम्भव है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ८-९ अप्रैल की रात में पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद जगह-जगह हमारे यहां सामान की गाड़ियों पर हमले किये जाते हैं। इसके अन्दर सबोटेज करने वाले लोग मौजूद थे। वे लोग इस तरह से गाड़ियों के चलाने में षड़यन्त्र पैदा कर रहे हैं तो क्या सरकार जांच के आधार पर उधर भी ध्यान रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जहां तक इस घटना का संबंध है, प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई आशंका मालूम नहीं होती है।

सदन के भावी कार्य-क्रम के संबंध में सूचना

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सूचना यह है कि हम लोग इस बार ३० तारीख तक बैठेंगे और उसके बाद फिर २ अगस्त को बैठेंगे। यह कार्यक्रम की सूचना है।

मंत्रियों की आचार संहिता के संबंध में जानकारी

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

अध्यक्ष महोदय, एक सूचना मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने एक आचार संहिता मंत्रियों के लिये प्रकाशित की है और वह रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट और कांस्टीट्यूशन पर आधारित है...

(व्यवधान)

तो उस विषय में मैंने भी आप के पास लिख कर भेजा है कि ३१ मार्च, १९६५ तक मंत्रियों की चल और अचल संपत्ति का ब्योरा मुख्य मंत्री जी के पास आ जाना चाहियें। यह फोर्स आफ ला रखता है। यह रेप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के अन्तर्गत है। मंत्रिमंडल में बहुत से मंत्री ऐसे हैं कि जो इस सदन के सदस्य भी नहीं हैं और मंत्रिमंडल इस सदन के प्रति जिम्मेदार है। तो इस सदन में जिन जिन मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का विवरण दिया है वह और जिन मंत्रियों ने नहीं दिया है उनकी सूचना यहां दी जाय। इस संबंध में मैंने प्रस्ताव भी भेजा है।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक बात बतला दूं। इस संबंध में एक प्रश्न उठ चुका है और उसे माननीय काशीनाथ जी ने उठाया था। उस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं। उसके बाद यह प्रश्न फिर दुबारा उठ

नहीं सकता वैसे मैं आप के प्रस्ताव को देख चुका हूं और अगर आप मुझसे मिल लें और यदि आप मुझे संतुष्ट कर सकें तो मैं फिर देख लूंगा।

श्री दीपनारायणसिंह--

मैं आप को संतुष्ट कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

तो ठीक है, लेकिन इस समय आप बैठ जांय।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत प्रशासकीय बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ और ६ के अधीन संघटित प्रशासकीय बोर्ड एवं उसके सदस्यों की पदावधि दिनांक ३० जून, १९६५ को समाप्त होने के कारण पुनस्संघटित किये जाने वाले उक्त प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने के लिये उक्त धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अनुसार तीन सदस्यों का, जिनमें एक महिला होगी, निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उपनेता सदन, यह प्रस्ताव तो आज से १५ दिन पहले आना चाहिये था। आज प्रस्ताव आ रहा है और ३० तक हम लोग बैठेंगे। तो इस बीच में क्या होगा? अगस्त में यह हो सकता है?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आप अधिकार दे दीजिये, मंत्री जी स्वयं चुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ और ६ के अधीन संघटित प्रशासकीय बोर्ड एवं उसके सदस्यों की पदावधि दिनांक ३० जून, १९६५ को समाप्त होने के कारण पुनस्संघटित किये जाने वाले उक्त प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने के लिये उक्त धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अनुसार तीन सदस्यों का, जिन में एक महिला होगी, निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष--

तो अगस्त में किसी तिथि में निश्चित करेंगे जब हम बैठेंगे।

कतिपय विषय

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आप से प्रार्थना की थी माननीय सुदामाप्रसाद की सदस्यता से इस्तीफे के बारे में रूल ४४ के तहत में सूचना दी थी.....

श्री अध्यक्ष--

आज आपने भेजी है, मैं उसे देखूंगा ।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५†

खंड ६ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्रजीत यादव, आप खंड ६ में संशोधन रखेंगे ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

जी हां ।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक निवेदन कर दूं । आप जिसे प्रेस करना चाहें वही पेश करें क्योंकि आज हमको समाप्त करना है और ये संशोधन ४-५ पृष्ठ के हैं । जो आवश्यक हों, उन्हीं को रखें तो अच्छा है और उन पर देर तक बहस कर ली जाय ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

एक सुझाव और है कि अगर आवश्यक हो तो टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ५ मिनट के बाद देखियेगा कि कितने आदमी बैठे रहेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव--

कोरम का हम प्रश्न नहीं उठायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो उठाऊंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

और कोई भी यहां नहीं रहेगा तब भी कमलासिंह बोलते रहेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

आपकी आज्ञा हो तो २१ (क), (ख) और (ग) एक ही साथ रख दूं ?

श्री अध्यक्ष--

जैसी सहूलियत हो वैसे रख दें ।

*श्री चन्द्रजीत यादव--

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त व्यक्ति या तो उच्चतर न्यायालय का अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश होगा या ऐसा व्यक्ति होगा जो

---

†२६ अप्रैल, १९६५ का कार्यवाही से ।

‡१९ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही में छपा है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कभी पूरे कार्यकाल तक देश के किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति रहा हो या जिस विशेष कार्य के लिये वह नियुक्त हो उसके विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो ।"

खंड ६ के उपखंड (३) की अन्तिम पंक्ति में "कार्यकारिणी परिषद्" के उपरान्त "कोर्ट" और "विद्वत परिषद्" जोड़ दिया जाय ।

खड ६ के उपखंड (४) की पंक्ति दो में "परिणाम और प्रबन्धकारिणी" के बीच में शब्द "उपकुलपति और" रख दिया जाय ।

श्री कमलासिंह यादव--

मेरा एतराज यह है कि आप उपखंड ३ और ४ ले लेंगे तो इसके दूसरे खंडों पर हम नहीं बोल सकते ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इनको बोल लेने दीजिये, फिर आपको इजाजत दे दूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

अध्याय ३ के खंड ६ के उपखंड (१) में जो व्यवस्था की गयी है कि यदि राज्य सरकार किसी समय उचित समझे कि विश्वविद्यालय के कार्य में या उसके प्रबन्ध की व्यवस्था में या उसकी जो वित्तीय समस्यायें हैं उनके अन्दर कोई गड़बड़ी हो रही है तो राज्य सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि चूंकि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को अनुदान देती है इसलिये किसी भी व्यक्ति के द्वारा वह चाहे तो विश्वविद्यालय की जांच करा सकती है । मेरी आपत्ति है कि चूंकि विश्वविद्यालय को हम एक आटोनामस बाडी की तरह से ट्रीट करते हैं और वह सब से उच्च कोटि की शिक्षा की पीठ होती है इसलिये विश्वविद्यालय के काम में राज्य सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये और जब कभी राज्य सरकार हस्तक्षेप करे, तो किसी भी प्रकार की जांच ऐसे व्यक्ति द्वारा करायी जानी चाहिये जो एक स्टेटस रखता हो । या तो उसका भार किसी हाई कोर्ट के जज को दिया जाय, या वह रिटायर्ड जज हो या ऐसा शिक्षा विद् हो या वाइस-चांसलर रहा हो जिसको अनुभव हो देश के किसी विश्वविद्यालय में पूरे कार्य-काल तक कार्य करने का । जिसे अनुभव होगा वही इस काम को सही ढंग से और उचित ढंग से कर सकता है । उसके अन्दर लोगों को विश्वास भी होगा कि सरकार एक ऐसे स्टेटस के व्यक्ति से जांच करा रही है ।

दूसरा संशोधन जो मैंने रखा है उसमें मैंने यह मांग की है कि जांच का परिणाम केवल कार्यकारिणी के ही सम्मुख न रखा जाय बल्कि जो और दो प्रमुख संस्था हैं, कोर्ट और विद्वत परिषद्, उनके भी सम्मुख उसे रखा जाय । यह बहुत आवश्यक है । तीसरा यह है कि जब किसी सम्बद्ध कालिज के अन्दर कोई गड़बड़ी हो और उसकी जांच हो तो उसकी जानकारी उसके उपकुलपति को भी होना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह सब संशोधन जो मैंने रखे हैं उनका मकसद इस विधेयक को और बेहतर बनाना है । मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री मेरे इन संशोधनों को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चन्द्रजीत जी के अध्ययन का मैं आदर करता हूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इनके जितने भी संशोधन हैं वे सभी अव्यावहारिक हैं । यदि वे खंड ६ को देखेंगे तो उन्हें विदित होगा कि जो जांच है वह जहां अध्यापन के संबंध में है, वहां अन्य कारणों के संबंध में भी है । जहां पर कोई फाइनेन्शियल मैटर है, तो उसकी जांच तो कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

फाइनेन्शियल आफिसर ही कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है ? इसलिये उनका पहला संशोधन अव्यावहारिक है ।

दूसरा संशोधन भी उनका अव्यावहारिक है । उस संशोधन के जरिये माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उसमें विद्वत परिषद् और कोर्ट को भी जोड़ दिया जाय । कोर्ट जनरल बाडी होती है । उसमें तो कार्यकारिणी की अपील या अत्यन्त महत्व के मामले ही जाते हैं । आम तौर से जांच का परिणाम तो कार्यकारिणी के पास ही जाता है और वही परामर्श देती है । अब कोर्ट के सामने अगर यह चीज जायेगी तो यह उचित नहीं होगा ।

तीसरे संशोधन में वे उपकुलपति को भी उसमें रखना चाहते हैं । इसकी भी जरूरत नहीं है । आप देखें तो आपको मालूम होगा कि प्रबन्धकारिणी में उपकुलपति भी निहित हैं । प्रबन्धकारिणी का जहां संगठन लिखा है उसे आप देखें, तो आपको स्पष्ट हो जायगा कि उसकी जरूरत ही नहीं है । जैसा है वह ठीक है । विधेयक में यह है कि प्रबन्धकारिणी के पास जांच का परिणाम भेज दिया जायगा । उसमें उपकुलपति उसका सदस्य होगा । इसलिये मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुये भी उनके सभी संशोधनों का विरोध करता हूं ।

*श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय कृष्णानन्द राय ने जो जवाब दिया है, वह उन्होंने स्वयं मेरे संशोधन को ध्यान देकर देखा नहीं है, क्योंकि वह यह कहते हैं कि मैंने यह कहा है कि केवल उपकुलपति जो रहा हो या न्यायाधीश या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसकी जांच करे और उन्होंने कहा कि आडिट की जांच करनी हुई तो वह कैसे करेगा, लेकिन मैंने अपने संशोधन में यह कहा है कि "या जिस विशेष कार्य के लिये वह नियुक्त हो उसके विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो ।" तो अगर आडिट की जांच करनी होगी तो उसके लिये उस विषय का एक्सपर्ट जो होगा वह हो सकता है या और जिस काम के लिये जांच करनी हो, उसका एक्सपर्ट हो सकता है, जैसे बिल्डिंग में गड़बड़ हो तो उसके लिये ख्याति प्राप्त इंजीनियर नियुक्त किया जा सकता है, फाइनेंशियल गड़बड़ हो तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नियुक्त किया जा सकता है । इसलिये उनकी यह बात ठीक नहीं है ।

दूसरी बात तो जो उन्होंने कही है कि कार्यकारिणी का वाइसचांसलर खुद सदस्य होगा, तो वह एग्जीक्यूटिव कौंसिल जो होगी विश्वविद्यालय की उसका सदस्य तो वाइस-चांसलर होगा, लेकिन मैनेजिंग कमेटी जो होगी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों की उसका सदस्य वाइसचांसलर नहीं होगा । इसलिये अगर किसी सम्बद्ध कालेज की जांच करायी जायगी तो उसकी रिपोर्ट केवल सम्बद्ध कालेज की कार्यकारिणी के पास भेजी जायगी और वाइसचांसलर को उसकी सूचना नहीं होगी । मेरे संशोधन का मतलब यह है कि चूंकि कालेज सम्बद्ध है विश्वविद्यालय से इसलिये उसकी जांच की रिपोर्ट जो है वह उपकुलपति को भी भेजी जाय ताकि उसको भी उसकी जानकारी हो सके कि उस कालेज के अन्दर क्या गड़बड़ी है और उसका निराकरण करने के लिये कार्यवाही वह कर सके ।

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

श्रीमन्, जो संशोधन दिया गया है, वह जैसा कि इधर से बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा अव्यावहारिक भी है और मेरे खयाल से अनावश्यक भी है । अव्यावहारिक होने के लिये तो उन्होंने बताया कि किसी भी सम्बद्ध संस्था की एन्क्वायरी बहुत-सी बातों के लिये हो सकती है और एक कालेज की किसी की एन्क्वायरी करने के लिये जिनकी संख्या इतनी होती हैं, उसके लिये कहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसी जज को लाया जाय या वाइस-चांसलर जो कहीं रहा हो, उसकी तलाश करायी जाय, तब उसकी इन्क्वायरी करावें, ऐसी चीज मुझे अनावश्यक प्रतीत होती है ।

दूसरी जो बात है कि उपकुलपति को भी इसकी सूचना होनी चाहिये वह मेरा निवेदन यह है कि इसी खंड के उप खंड (२) को आप देखें उसमें दिया है--

"राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा संधारित संस्था की दशा में विश्वविद्यालय को और सम्बद्ध कालेज की दशा में विश्वविद्यालय तथा प्रबन्धकारिणी को अपने इस आशय का एक नोटिस देगी ।"

यह खंड (२) में बात आ गई है कि यदि किसी सम्बद्ध कालेज के विषय में कोई इन्क्वायरी की जाती है तो उसकी सूचना विश्वविद्यालय को मिलेगी । तो जब सूचना मिल जायगी और जब रिपोर्ट उस इन्क्वायरी की आवेगी तो वह उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास भेजी जायगी जो कि उसका प्रबन्ध करती है और वह प्रबन्धकारिणी उस पर कार्यवाही कर सकती है, जैसे कोई वित्त सम्बन्धी विषय है तो जैसे आडिट रिपोर्ट आती है तो उस पर प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं उसका निपटारा कर सकती है और जो वित्त सम्बन्धी नियम है उन नियमों के अनुसार उसको देखा जा सकता है, लेकिन अगर किसी कालेज के सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही करनी हो तो उपकुलपति को तो उससे सूचित करना ही होगा, वह उससे सूचित होगा ही । इसलिये उनका यह रखना कि प्रबन्धकारिणी को भी सूचित किया जाय और उपकुलपति को भी सूचित किया जाय जब कि उपकुलपति को उसकी सूचना होगी ही, मुझे अनावश्यक प्रतीत होता है । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त व्यक्ति या तो उच्चतर न्यायालय का अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश होगा या ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी पूरे कार्यकाल तक देश के किसी विश्वविद्यालय का उप-कुलपति रहा हो या जिस विशेष कार्य के लिये वह नियुक्त हो उसके विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (३) की अन्तिम पंक्ति में "कार्यकारिणी परिषद्" के उपरान्त "कोर्ट और विद्वत परिषद्" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) की पंक्ति दो में "परिणाम और प्रबन्धकारिणी" के बीच में शब्द "उपकुलपति और" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मैं खंड ६ के उप खंड (२) का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

वह इस तरह से करिये कि जब मैं खंड ६ रखूंगा तो आप कमेंट्री कर दीजियेगा ।

श्री सत्यनारायण पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

*श्री कमलासिंह यादव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (५) की प्रथम पंक्ति में "उपकुलपति" के स्थान पर "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिया जाय ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (६) की प्रथम, द्वितीय तथा पांचवीं पंक्ति में "विश्वविद्यालय" के स्थान पर "कार्यकारिणी परिषद" रख दिया जाय ।

श्रीमन्, खंड ६ का सम्बन्ध निरीक्षण यानी जांच से है इसमें यह है कि किसी विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध कालेज के सम्बन्ध में किसी चीज के बारे में चाहे बिल्डिंग हो या कोई और चीज हो, यह सरकार जांच करवाना चाहती है तो उस वक्त प्रक्रिया क्या होगी। खंड ६ के उपखंड (२) में यह दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी और सम्बद्ध कालेज की दशा में प्रबन्धकारिणी को भी यह अख्तियार होगा कि वह अपना रिप्रेजेन्टेटिव वहां पर रख सके जो कि सुनवाई करेगा या उस कालेज या यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेन्ट करेगा। तो जहां तक इसमें यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है उसमें यूनिवर्सिटी शब्द जो रखा है वह मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी भूल है। वह इसलिये कि इसके लिये इसी विधेयक के खंड १४ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। खंड १४ में दिया है---विश्वविद्यालय के निम्न प्राधिकरण होंगे। उसमें सात ऐसे अधिकारी गिनाये गये हैं जो कि विश्वविद्यालय के हैं। १---कोर्ट, २---कार्यकारिणी परिषद्, ३---वित्त समिति, ४---विद्वत परिषद्, ५---फैकल्टियां, ६---अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समितियां,७---ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायं। यह सात किस्म की एथारिटीज हैं, श्रीमन्। तो यूनिवर्सिटी को जब आप यह अधिकार देते हैं कि कोई भी अपना रिप्रेजेन्टेटिव वह भेज सकें तो दिक्कत यह पैदा होगी कि जो आदमी यूनिवर्सिटी से नियुक्त होगा सुनवाई कराने के लिये या उसे रिप्रेजेन्ट करने के लिये, उसको वह कौन सी यूनिवर्सिटी की एथारिटी होगी जो भेजेगी ? मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी भूल है। मैं इसी खंड के उपखंड (३) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, उसमें दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय अथवा उसके द्वारा संधारित किसी संस्था से सम्बद्ध निरीक्षण या जांच की दशा में, राज सरकार, ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम तथा उसके सम्बन्ध में अपने विचारों को, उपकुलपति को सूचित कर सकती है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श दे सकती है तथा उपकुलपति उसे कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह अधिकारी उपकुलपति को सूचना देगा और उपकुलपति कार्यकारिणी परिषद् के सामने उस चीज को रखेगा। तो इस से यह साफ हो गया कि कार्यकारिणी परिषद् जो है उसी को इसके बारे में पावर है। यानी उसके समक्ष उपकुलपति उस चीज को रखेगा। इसलिये इस से यह मालूम हुआ कि वह जो सात किस्म की एथारिटीज दी गई हैं उसमें कार्यकारिणी परिषद् ही एक ऐसी बाडी है जो कि उचित प्राधिकरण इसके लिये है और सरकार को परामर्श दे सकती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो उन्होंने यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किया है उपखंड (२) में, और श्रीमन्, यहीं पर मैं उपखंड (२) के विषय में कह दूं। क्यों सदन का समय अलग से उसके लिये खर्च हो।

तो यह जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उपखंड (२) में तथा दूसरी जगहों पर, वह बिलकुल उनकी भूल है क्योंकि सात किस्म की एथारिटीज में केवल कार्यकारिणी से ही इसका मतलब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है जिसके सामने वाइसचांसलर के जरिये आप उन रिपोर्टों को रखवाना चाहते हैं और जो उसके बारे में कोई कार्य कर सकती है। तो यूनिवर्सिटी शब्द जो माननीय मंत्री जी ने रखा है उसकी जगह कार्यकारिणी परिषद् होना चाहिये क्योंकि वही एक बाडी है जो इन चीजों के लिये रेस्पौंसिबिल है और उसी को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। वही उसके ऊपर विचार करके इसके बारे में अपनी राय सरकार को वाइस चांसलर के जरिये भेजती है। इसीलिये यूनिवर्सिटी शब्द न रखकर कार्यकारिणी परिषद् अगर आप रखें तो ज्यादा सुन्दर होगा।

इसी तरह आप देखें कि सम्बद्ध कालेज के सम्बन्ध में आपने प्रबन्धकारिणी शब्द रखा है कि उसके सामने यह जांच या निरीक्षण का परिणाम रखा जायगा और वह अपनी राय को राज्य सरकार के पास भेजेगी। तो एक जगह तो कालेज के सम्बन्ध में आप प्रबन्धकारिणी समिति रखते हैं और दूसरी जगह केवल यूनिवर्सिटी शब्द रखते हैं, जब कि यूनिवर्सिटीज के बारे में भी श्रीमन्, एग्जीक्यूटिव कौंसिल जो होगी उसके सामने ही यह चीज रखी जायगी और वही एक बाडी होगी जो इसके ऊपर विचार करेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि खंड ६ के उपखंड २,३,४,५,६ में जो दिया है वह बिलकुल गलत है। मैं समझता हूं कि जो विचारधारा आपकी है उसके बिलकुल विपरीत यह बात आयेगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग हुआ है वहां यूनिवर्सिटी न रख कर" कार्यकारिणी परिषद्" आप रख दें। मैंने बतलाया प्रबन्धकारिणी समिति कालेज में ही रिस्पांसिबिल है, कालेज के जो काम होंगे उसकी जिम्मेदारी कार्यकारिणी समिति पर है। तो "यूनिवर्सिटी" न रख कर उसके स्थान पर "कार्यकारिणी परिषद्" रखना मुनासिब होगा। कार्यकारिणी परिषद् तथा प्रबन्धकारिणी समिति ये दोनों विचार करने के बाद अपनी-अपनी बातें, अपने-अपने निर्णय राज्य सरकार को सूचित करेंगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि जिस रूप में इस चीज को विधेयक में रखा गया है स्पष्ट नहीं हैं, बल्कि गलत और भ्रामक है जिसके परिवर्तन के लिये मैंने सुझाव दिया है। आशा है माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव पर विचार करेंगे तथा उसे स्वीकार करेंगे ताकि कोई भ्रामक चीज उसमें न रहे।

*श्री कृष्णानन्द राय--

अध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह सभी बातों को विश्वास के साथ रखते हैं और अपनी गलत बातों को भी दूसरों की गलती बतला कर आरोपित करते हैं। वास्तव में गलती पर वही हैं और इस विधेयक में कोई गलती नहीं है। उनका पहला संशोधन यह है कि खंड ६ के उपखंड (५) में उपकुलपति "के स्थान पर" "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिया जाय क्योंकि उनका विचार यह है कि कार्यकारिणी परिषद् ही एक संस्थान है कार्य करने वाली, जब कि उपकुलपति ही वास्तव में मुख्य कार्यपालक होता है। जितनी सूचनायें जायेंगी उनके लिये उत्तरदायी उपकुलपति होगा। इसलिये उपकुलपति मुख्य कार्यपालक है विश्वविद्यालय का। इसलिये "उपकुलपति" शब्द ठीक स्थान पर रखा गया है।

उनका दूसरा संशोधन यह है कि खंड ६ के उपखंड (६) में विश्वविद्यालय के स्थान पर "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिया जाय। उन्होंने खंड ६ के उपखंड (२) को देखने का प्रयास नहीं किया जिसमें लिखा है कि जो नोटिस दिया जायगा वह विश्वविद्यालय को दिये जाने के लिये लिखा है।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि माननीय कमला सिंह का यह कहना है कि खंड ६ (२) में भी विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिये, बल्कि परिषद् होना चाहिये और इसी पर उन्होंने बहस की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णानन्द राय--

मेरा कहना यह है कि "विश्वविद्यालय" शब्द ही उपयुक्त होगा क्योंकि खंड ६ के उपखंड (२) में यह दिया गया है कि जो नोटिस दिया जायगा वह "विश्वविद्यालय" को दिया जायगा। खंड ६ के उपखंड (२) में कहा गया है "राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा संधारित संस्था की दशा में विश्वविद्यालय को और सम्बद्ध कालेज की दशा में विश्वविद्यालय तथा प्रबन्ध-कारिणी को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षणया जांच करवाना चाहती है..।" उसके बाद जब कार्य पूरा नहीं होगा तो फिर प्रबन्धकारिणी को मंत्रणा दी जायगी। तो इन दोनों में विरोधाभास हो जायगा। या तो वह खंड ६ के उपखंड (२) में ही संशोधन लाते, लेकिन जब उस नोटिस वाले उपखंड में "विश्वविद्यालय" शब्द है तो यहां पर भी यह उपयुक्त हो जाता है।

दो संशोधन उन्होंने रखे हैं। मेरा निवेदन है कि चूंकि उपकुलपति मुख्य कार्य-पालक है, इसलिये उसका यहां प्रयोग ठीक है और इस उपखंड (५) में राज्य सरकार को नोटिस से सूचना दी जा रही है इसलिये यह रखा गया है और मैं समझता हूं इस दृष्टि से उनका संशोधन गलत है।

श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कमला सिंह जी यह मानते हैं कि यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है और वहां के उपकुलपति या जितने भी प्राधिकारी हैं सब उसमें आ जाते हैं, जहां यूनिवर्सिटी का शब्द इसमें आया तो सब अथारिटीज इसमें आ जाती हैं। इसलिये जब नोटिस दिया जायगा जांच का या निरीक्षण का और डाक द्वारा कोई करेसपांडेंस होगी तो वह एग्जीक्यूटिव हेड के द्वारा ही होगी वह और उपकुलपति ही हैं, तो यूनिवर्सिटी में वह सब आ गये। यूनिवर्सिटी शब्द आ गया तो कार्यकारिणी परिषद् के पास करेसपांडेंस भेजेंगे और वह भी वाइस-चांसलर के मार्फत ही आयेगी, इसलिये वाइस चांसलर रख दिया जाय। कोई ऐसी बात नहीं है, पहले यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया जायगा, लेकिन जब जांच का परिणाम होगा तो वह एग्जी-क्यूटिव हेड जो उपकुलपति है उसको दे कर ही होगा। इसलिये यूनिवर्सिटी शब्द ही ठीक है।

श्री कमलासिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मैं कुंवर साहब का बड़ा अदब करता हूं और कुछ कह नहीं सकता इस विषय में। लेकिन कांग्रेस के एडवाइजर श्री कृष्णानन्द जी से आशा थी कि वह इस पर विचार करेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उन्हें समझा नहीं सका। मैंने आरम्भ में ही कहा था कि खंड ८ के उपखंड (२) में बहुत गलतफहमी है। यह दो तरह की चीजों से सम्बद्ध है। दो तरह की बाडीज हैं। एक तो यूनिवर्सिटी है जो अपना रिप्रेजेन्टेशन खुद करती है, दूसरे खुद आटोनामस बाडी है और यूनिवर्सिटी के जो कालेज हैं जिनका इंतजाम चलता है वह भी उस यूनिवर्सिटी में आजाते हैं, लेकिन ऐसे कालेजेज जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा चलाये जाते हैं उनकी कार्यकारिणी परिषद् है जिसके द्वारा संचालन होता है या उसको गवर्न किया जाता है और उसका हेड उपकुलपति होता है। तो मैं यह कह रहा था कि एक तो यूनिवर्सिटी या उससे सम्बद्ध यानी उसके द्वारा चलाये जाने वाले कालेज और दूसरे ऐसे कालेजेज कि जो ऐसी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कर दिये जाते हैं और उनके कार्य संचालन के लिये प्रबन्धकारिणी समिति होती है और उसको चलाने के लिये वह प्रबन्ध करना सीमित होता है जैसा कि उसकी परिभाषा में दिया गया है कि "कार्यकारिणी परिषद्" और "विद्वत् परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्रमशः 'कार्यकारिणी परिषद्' तथा "विद्वत् परिषद्" से है और इसी तरह से "प्रबन्धकारिणी समिति" की परिभाषा में दिया है कि प्रबन्धकारिणी समिति का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति या संस्था से है जिस पर किसी सम्बद्ध कालेज के कार्यों के प्रबन्ध का भार हो। इसी तरह से अगर आप देखें तो उपखंड (३) में भी दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी या उसके द्वारा जो कालेज चलाये जाते हैं उनके बारे में दिया गया है और उपखंड (२) में यह दिया गया है कि "विश्वविद्यालय या उसके द्वारा संधारित संस्था की

दशा में विश्वविद्यालय को"। तो मैं यह कह रहा हूं कि "विश्वविद्यालय" शब्द दिया हुआ है। खंड १४ में यह दिखलाया गया है कि ७ तरह की उनकी अथारिटीज हैं। मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी को तो क्या समझाऊं पर मैं माननीय कुंवर साहब से यह उम्मीद कर रहा था कि वे समझ गये होंगे। अगर यूनिवर्सिटी को नोटिस देंगे तो इसका मतलब यह है कि जो ये सात किस्म की अथोरिटीज दी हुयी हैं, उन सबको आप नोटिस देंगे, लेकिन यह मिसनोमर होगा। माननीय मंत्री जी इस से भ्रम में पड़ जायेंगे। इसकी धारा ३ में दिया गया है कि वाइस चांसलर को सरकार नोटिस देगी। श्रीमन्, एक रिप्रेजेन्टेटिव होना चाहिये यूनिवर्सिटी की तरफ से और दूसरा प्रबन्धकारिणी का जो सम्बद्ध कालेजेज हैं, उनका रिप्रेजेन्टेटिव होना चाहिये जब कि कोई जांच हो। जब यूनिवर्सिटी सम्बद्ध होगी तो वाइस-चांसलर को सरकार नोटिस देगी। जैसा कि खंड ३ में दिया हुआ है कि--

> "विश्वविद्यालय अथवा उसके द्वारा संधारित किसी संस्था से सम्बद्ध निरीक्षण या जांच की दशा में, राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम तथा उसके सम्बन्ध में अपने विचारों को, उपकुलपति को सूचित कर सकती है और की जानेवाली कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श दे सकती है तथा उपकुलपति उसे कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखेगा।"

और उसके बाद खंड ५ में यह दिया हुआ है कि--

> "यथास्थिति, उपकुलपति या प्रबन्धकारिणी, राज्य सरकार को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम पर की गयी अथवा की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही, यदि कोई हो, की सूचना देगी"।

इसका मतलब यह है कि उपकुलपति जो है वह एक व्यक्ति है, जो कि सूचना को रिसीव करता है, कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखता है और वह जो भी निर्णय लेगी, वह राज्य सरकार को सूचित करेगा। इस तरह से प्रबन्धकारिणी उसको सूचना देती है जो निर्णय वह लेती है। प्रबन्धकारिणी एक व्यक्ति नहीं है। एक मैनेजर होता है जो उसके लिये रिसपौंसिबिल होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यकारिणी परिषद् ही एक ऐसी संस्था है जो इस से ताल्लुक रखती है। कार्यकारिणी परिषद् ही एक ऐसी बाडी है जिसके सामने उस नोटिस को रखते हैं और कार्यकारिणी का जो निर्णय होता है, उस से सरकार को सूचित करता है। ये दो बाडीज हैं जिनके रिप्रेजेन्टेटिव होने चाहिये। अतः अगर "यूनिवर्सिटी" शब्द हम रखते हैं तो ७ किस्म की अथौरिटीज जो हैं, उन ७ अथोरिटीज के तो रिप्रेजेन्टेटिव होने चाहिये, लेकिन खंड ३ में साफ दिया हुआ है कि ७ अथौरिटीज जो हैं, उनके सामने रखने का प्रश्न नहीं उठता है। सिर्फ कार्यकारिणी के सामने रखा जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सम्बद्ध कालेजेज व प्रबन्धकारिणी जो हैं, उनके सामने ये चीजें आती हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप यूनिवर्सिटी शब्द को रखते हैं तो यह चीज भ्रामक हो जाती है, क्योंकि कार्यकारिणी परिषद् के सामने वह चीजें रखी जाती हैं, इसलिए वह जिम्मेदार है। अगर यूनिवर्सिटी रखते हैं तो सात किस्म की जो अथारिटीज हैं उनको नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि वह उनसे सम्बन्धित है। आप नहीं कह सकते हैं कि किसी को नोटिस देंगे और किसी को नहीं देंगे। इसमें जो उपकुलपति का नाम दिया गया है वह तो एक आदमी है जिसके जरिए हम कार्यकारिणी के सामने वह चीज रखते हैं। मैंने इसीलिए यह संशोधन रखा है कि अगर प्रबन्धकारिणी के सम्बन्ध में यह लिखा गया होता कि मैनेजर होगा और प्रबन्धकारिणी के साथ यूनिवर्सिटी न दिया होता तब तो यह ठीक था।

श्री अध्यक्ष--

> जरा-सा क्षमा कीजिए, रिपीटीशन हो रहा है।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, वह तो समझाने के लिए कह रहा हूं। माननीय कृष्णानन्द राय जैसे विद्वान् आदमी भ्रम में पड़ गए तो मैं क्या करूं ? इसीलिए मैंने यह सुझाव रखा है कि कार्यकारिणी परिषद् रख दिया जाय और उपकुलपति का नाम हटा दिया जाय।

*श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, जो संशोधन रखा गया है और उसके पक्ष में प्रस्तावक महोदय ने जो बातें कही हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। मेरा काम काफी हल्का माननीय कृष्णानन्दराय और महावीर सिंह जी ने कर दिया है। अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिये जाते हैं तो जो प्रस्तावक महोदय ने रखा है उसमें दोष सा पैदा हो जाता है यद्यपि उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने में बहुत प्रयास किया। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में बहुत सी प्रक्रिया की बातें अधिनियम में नहीं आती हैं, बल्कि अध्यादेश और नियमों में आती हैं और विश्वविद्यालय स्वतन्त्र हो जाता है कि अपना ढांचा वह इस तरीके से बना ले।

दूसरी बात प्रस्तावक महोदय ने कही है कि विश्वविद्यालय एक भिन्न तरीके की व्यवस्था है, इसमें कुछ ऐसी बाडीज होती हैं जिनको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और किन्हीं बातों में, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं है कि उपकुलपति विश्वविद्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर होता है और कार्यकारिणी परिषद् उच्च अधिकारों की परिषद् है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अधिनियम के द्वारा कुछ ऐसी समितियां होती हैं कि कामों के करने का उन्हीं को अधिकार होता है। इसलिए कार्यकारिणी परिषद् यदि किसी काम को करना चाहे और वह अधिकार और किसी बाडी को दे रखा है, जो धारा १४ में है तो कार्यकारिणी परिषद्, उसको नहीं कर सकेगी। उपकुलपति इस तरह का उच्च अधिकारी नहीं है कि जो आदेश वह देना चाहे वह चल जाय। इसलिए इन शब्दों के माने हैं जो यहां रखे गए हैं और विश्वविद्यालय के भी एक माने होते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि खण्ड ६ के उपखण्ड (६) में 'विश्वविद्यालय' के स्थान पर 'कार्यकारिणी परिषद्' रख दिया जाय। उपखण्ड (६) इस प्रकार है कि 'यदि यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबन्धकारिणी' जहां पर शब्द 'विश्वविद्यालय' है इसे कार्यकारिणी परिषद् में परिवर्तित कर दिया जाए। यह उपधारा ६ जो है, यह वह है कि जब सब कार्य हो चुके, जांच हो चुके उनके स्पष्टीकरण हो चुके और जब वह कार्य करने के लिए तैयार न हों, तो अन्त में यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिकार दे सकती है। यहां अगर कार्यकारिणी कर दें, तो कार्यकारिणी को तो वह कार्य करने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए यह उचित नहीं है। इसमें यह होगा कि कार्यकारिणी परिषद् तो करना चाहती है, लेकिन और जो यूनिवर्सिटी की बाडीज हैं वह नहीं करना चाहती हैं तो ऐसा कोई आदेश वैधानिक दृष्टि से दोषपूर्ण हो जायगा। विश्वविद्यालय में यह चीज नहीं होती है, जिस बाडी से वह सम्बन्धित होगी, उस बाडी के पास भी जा सकती है और उस बाडी के लिए उसे करना आवश्यक है और यदि वह बाडी इसे नहीं करती है तो आदेश दिया जा सकता है और वह बाडी अवैधानिक हो सकती है।

उपखण्ड (५) में दिया है, कहा है 'यथास्थिति, उपकुलपति या प्रबन्धकारिणी, राज्य सरकार को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम पर की गयी अथवा की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही, यदि कोई हो, की सूचना देगी।' यहां माननीय सदस्य चाहते हैं कार्यकारिणी परिषद् देगी, कर दिया जाय। कार्यकारिणी परिषद् रखने से कोई विशेष आशय नहीं हल होता है। प्रबन्ध समिति, एकेमेडिक कमेटी, वित्त समिति का जो कार्य होगा करने का, कार्यकारिणी के अन्तर्गत जो बनी है, उसके अगर कार्यक्षेत्र में वह आती है और उस पर जो कार्य करती है या जो कार्य करने का विचार रखती है, उसकी सूचना उपकुलपति दे सकता है। प्रबन्धकारिणी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास बहुत-सी बार उन चीजों के जाने की आवश्यकता हो ही नहीं सकती है, सिवाय इसके कि उसका करना बहुत जरूरी हो। इसलिए यह मुनासिब है और यहां पर प्रबन्धकारिणी समिति के किसी अधिकार में हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, बल्कि हर एक जो समिति है विश्वविद्यालय के अन्तर्गत और कुछ हद तक स्वतन्त्र रूप में काम करती है, उन सबको अधिकार भी प्राप्त होता है और इसके अलावा उनका जो उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उन्हें बाधित भी किया जाता है और जब वह उत्तरदायित्व पूरा नहीं करती है तो कार्यवाही हो सकती है, अन्यथा वैधानिक दृष्टि से वह दोषपूर्ण रह सकता है।

दूसरी बात आती है सम्बद्ध कालेजों की। जो सम्बद्ध कालेजेज होते हैं उनकी प्रबन्धकारिणी समिति होती है और उनका सारा कार्य उसके सामने आता है। प्रबन्ध कार्य के अन्तर्गत जो अधिकार और प्रशासनिक अधिकार हैं और वहां की जो प्रशासनिक कमियां हैं, जिनके बारे में जांच पड़ताल होने वाली हो, उनके बारे में प्रबन्धकारिणी समिति साधिकार है। इसके बाद एक बात यह आयी कि उपकुलपति शब्द न रखा जाय। सम्बद्ध कालेजों में विभिन्न व्यवस्था होती है, कहीं सेक्रेटरी को अधिकार होता ह, कहीं मैनेजर को अधिकार होता है और कहीं चेयरमैन को अधिकार होता है। इसलिए विभिन्न दशा में यदि कोई एक नाम रख लें तो यह उचित नहीं होगा। कहीं मैनेजर को अधिकार हो और हम सेक्रेटरी रख दें, और कहीं सेक्रेटरी को अधिकार हो हम मैनेजर रख दें या चेयरमैन रख दें तो उसमें एक दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जो शब्द रखे गये हैं वह जानबूझकर रखे गये हैं, जिस परिस्थिति में संस्था काम करना चाहे वह इस परिस्थिति में हो सकता है। इसमें इस बात की गुंजाशय है कि धारा को सीमित करके उसमें बाद में कठिनाइयां पैदा हो जायं। यह धारा ऐसी है जिसका कभी-कभी प्रयोग होता है और प्रत्येक विश्वविद्यालय में इस बात की गुंजायश है कि जब कभी असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाय तो इस व्यवस्था का प्रयोग हो सके। इससे समय भी नहीं लगेगा और कार्यकारिणी के अधिकारियों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, उनको अवसर भी प्राप्त होगा कि जल्दी में उनपर कोई आदेश प्रसारित नहीं हो सकेगा। इन सब बातों को देखकर ही यह यहां रखा गया है, यह अन्य विश्वविद्यालयों में भी है और कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ है और अनुभव के आधार पर यह अच्छा प्रतीत हुआ है।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। खंड ६ के उपखंड (३) की दूसरी पंक्ति में लिखा है "राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम तथा उसके सम्बन्ध में अपने विचारों को, उपकुलपति को सूचित कर सकती है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श दे सकती है तथा उपकुलपति उसे कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखेगा।" अभी मन्त्री जी बता रहे थे कि और भी अथारिटीज काम करेंगी। तो मैं पूछता हूं कि फिर कार्यकारिणी के सामने रखने के लिए क्यों रखा गया है? इसमें शब्द 'रखेगा' यानी 'शैल' है, इसलिए जब समिति जो चाहे कार्यवाही करा सकेगी। तो जो अथारिटीज और हैं उनके सामने रखने के लिए क्यों नहीं कहा गया है। मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा?

श्री कैलाशप्रकाश--

कुछ विशेष इस सम्बन्ध में नहीं कहना है। इन दोनों खंडों में फर्क है। जिस धारा की माननीय सदस्य ने चर्चा की है उसमें है कि उपकुलपति को सूचना दी जायगी और यह भी कहा गया है कि उपकुलपति कार्यकारिणी के सामने उन चीजों को रखेगा। और उपखंड (५) में इस बात की चर्चा है कि अगर कार्यवाही नहीं होती है या परामर्श नहीं माना जाता है तो फर्क यह है कि कार्यकारिणी परिषद् यदि किसी काम को चाहे भी तो कोई विश्वविद्यालय की संस्था चाहे ऐकेडेमिक कौंसिल हो अगर न चाहें तो परिषद् स्वतः उस काम को नहीं कर सकती है। इसलिए है कि विशेष रूप से जो कार्यकारिणी समिति है उसको सूचना इस बात की होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को यह खबर दे और यह बात उचित है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखण्ड (५) की प्रथम पंक्ति में "उपकुलपति" के स्थान पर "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखण्ड (६) की प्रथम, द्वितीय तथा पांचवीं पंक्ति में "विश्वविद्यालय" के स्थान पर "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

अब मुझे सूचना देनी है कि डाक्टर रघुनाथसिंह मेरे पास आये थे उन्होंने कहा कि उनकी तबियत बहुत खराब है और ज्वर है इस कारण वे अपने संशोधन नहीं रखेंगे और वापस लेते हैं। तो माननीय रघुनाथ सिंह के जितने संशोधन इसमें छपे हैं वे वापस लिए हुए समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--७

विश्वविद्यालय अधिकारी

७--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:

१--कुलपति,

२--उपकुलपति,

३--कोषाध्यक्ष,

४--रजिस्ट्रार,

५--छात्र कल्याण के डीन,

६--फैकल्टियों के डीन

७--विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

*श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखण्ड (४) में जहां 'रजिस्ट्रार' लिखा है वहां हटा कर 'प्रस्तोता' तथा उपखण्ड (५) में 'डीन' शब्द के स्थान पर शब्द 'संकायाध्यक्ष' रख दिया जाय।

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय, पीठासीन हुए।)

श्री कृष्णानन्द राय--

मेरा निवेदन है कि खंड ७ व ८ में श्री चन्द्रजीत यादव आदि ने जो कुलपति को हटाने या उपकुलपति की क्वालिफिकेशन आदि रखने की बात रखी है उन सब को एक साथ ही विवाद के लिए ले लिया जाय तो हम लोगों को जवाब देने आदि में आसानी होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

न मालूम आपने कौन-सी खिचड़ी भाषा इस विधेयक में रख दी है कि कहीं तो अंग्रेजी का शब्द है और कहीं हिन्दी का शब्द है। जिस तरह से आपने संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक में 'रजिस्ट्रार' के लिए 'प्रस्तोता' शब्द को रखा है उसी तरह से इस विधेयक में भी रख दें, और जहां पर शब्द 'डीन' आया है वहां उसके स्थान पर शब्द 'संकायाध्यक्ष' रख दिया जाय। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपके लिए आपत्ति की बात नहीं है। जहां तक और खंडों में इन शब्दों को रखने की बात है, माननीय अध्यक्ष को इस बात का पूर्ण अधिकार है कि जहां जहां वे उचित समझें व्याकरण और भाषा सम्बन्धी सुधार कर लें। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मानने में माननीय शिक्षा मन्त्री को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक में आपने 'रजिस्ट्रार' के लिए 'प्रस्तोता' और 'डीन' के लिए शब्द 'संकायाध्यक्ष' का इस्तेमाल किया है। आपने उपकुलपति के लिए कहीं पर वाइसचांसलर शब्द नहीं रखा है, फिर मैं नहीं समझता कि आपने अंग्रेजी का रजिस्ट्रार शब्द इसमें क्यों रखा है। हमारी हिन्दी भाषा कोई ऐसी दरिद्र नहीं है कि उसके अन्दर रजिस्ट्रार के लिए पर्यायवाची शब्द न मिल सकें। अस्तु जहां जहां ये अंग्रेजी के शब्द विधेयक में आये हैं उनको माननीय अध्यक्ष स्वतः अपने अधिकार से हटा दें, ऐसा उनको अधिकार है।

*श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, मैंने देखा है कि सदन में वरबल संशोधन बहुत आया करते हैं जो किसी शब्द के बदलने के विषय में होते हैं। तो जितने भी इस तरह से वरबल संशोधन आते हैं कि हिंदी से अंग्रजी में इसको कर दिया जाय या अंग्रेजी से हिन्दी में कर दिया जाय, तो इस तरह से शाब्दिक संशोधन को ठीक करने का अधिकार सचिव के पास रहता है और वह ठीक कर देते हैं। नियम १६१ के अन्दर उनको वह अधिकार रहता है। तो ऐसे संशोधन जो हिन्दी से अंग्रेजी में करने के सम्बन्ध में या और कोई शाब्दिक हैं तो उनके विषय में हम लिखकर मन्त्री जी को दे सकते हैं और वह इस तरह से ठीक हो सकते हैं। उनके ऊपर सदन में बहस करना समय का उपयोग नहीं होगा। सदन में विवाद ऐसे संशोधन पर होना चाहिए जो नीति से सम्बन्ध रखता हो। तो इन सब बातों को आप देख लें और यदि आवश्यकता हो तो ठीक करा दें। इस तरह के संशोधन को यहां पर अलाउ नहीं होना चाहिए।

*श्री कमलासिंह यादव--

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने नियम १६१ का जिक्र किया है। मैं कृष्णानन्द राय जी से यह कहना चाहता हूं कि जो विधेयक यहां पर आते हैं उन के विधेयकों में शाब्दिक हेरफेर करने की आवश्यकता हो तो उसमें सचिव को अधिकार है कि वह ऐसा संशोधन करके कौंसिल को भेजे या गवर्नर के पास भेजे। यह उसको अधिकार दिया है, लेकिन अगर कोई शब्द बहुत पूर्ण है और सरकार उस शाब्दिक संशोधन को करने के लिए तैयार नहीं होती है तब सचिव को अधिकार देना सदस्यों के अधिकार को सचिव के हाथ में देना है। मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई हेरफेर गलत ढंग से हो जाय तो उसके मतलब में अन्तर आ सकता है तो इस प्रकार का अधिकार इस सदन को ही रहता है। सचिव तो केवल शाब्दिक संशोधन ही कर सकता है। यहां पर जो संशोधन दिया गया है इसका अधिकार उनको नहीं दिया जा सकता है। हमारे पांडेय जी ने जो यह संशोधन रखा है उन्होंने साफ बतलाया है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में इस शब्द को रखा गया है और वहां पर रजिस्ट्रार के स्थान पर प्रस्तोता शब्द आया है वह हिन्दी में बहुत चल गया है और दूसरी यूनिवर्सिटीज ने इसका प्रयोग किया है और सदन के द्वारा यह मंजूर किया जा चुका है, इसलिए वहां पर रजिस्ट्रार शब्द का प्रयोग न करके 'प्रस्तोता' शब्द का प्रयोग होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

इसी तरह से डीन शब्द के स्थान पर 'संकायाध्यक्ष' का प्रयोग किया गया है। यह हिन्दी में आपका विधेयक आया है तो इसके अन्दर हिन्दी शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। इस वजह से जो उन्होंने संशोधन पेश किया है वह उपयुक्त है और हिन्दी में आने की वजह से वही परिवर्तन अवश्य होना चाहिए।

*श्री कैलाश प्रकाश--

अधिष्ठाता महोदय, यह शाब्दिक संशोधन है और यह सही है कि रजिस्ट्रार के स्थान पर प्रस्तोता भी कहा जा सकता है और हमारा जो अधिनियम बना है उसमें रजिस्ट्रार के स्थान पर प्रस्तोता शब्द का प्रयोग किया गया है, किन्तु मैं यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी अधिनियम में रजिस्ट्रार के स्थान पर रजिस्ट्रार ही कहा गया है और अब हिन्दी में यह शब्द न होते हुए भी अगर ऐसे शब्दों को जो बहुत प्रचलित हो गये हैं, आम फहम हो गये हैं, बहुत अच्छी तरह से उनको समझा जा सकता है, अगर वह हमारी भाषा में नहीं आते हैं और समझ लेते हैं तो फिर हम को बहुत आग्रह नहीं करना चाहिए। अगर रजिस्ट्रार के स्थान पर प्रस्तोता रख दिया जाता और इस विधेयक में शुरू से उसका प्रयोग होता है तो कोई बुराई की बात न थी। इसी तरह से 'डीन' के स्थान पर 'संकायाध्यक्ष' रखना भी उसी तरह से कठिनाई को पैदा करना है जैसा कि मैंने ऊपर कहा है। डीन शब्द का प्रचलन बहुत हो गया है और विद्यार्थियों में भी इसका बहुत प्रचलन है। ऐसे शब्दों से अगर हमारा काम चल जाता है और हमारी व्यवस्था भी ठीक बैठती है और व्यवस्था में कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है, हमारी भाषा में भी कोई दोष पैदा नहीं होता है। इसलिए ऐसे शब्दों को अगर ले लिया जाय तो कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे आपत्ति न होती अगर शुरू से ही इस एक शब्द का प्रयोग कर लिया जाता, किन्तु जब सारे विधेयक में 'रजिस्ट्रार' शब्द का ही प्रयोग किया गया है और 'डीन' शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मुझे यह उचित नहीं मालूम होता है कि यहां पर इस शब्द को बदला जाय। अगर इस संशोधन को मानकर हम यहां पर बदल दे तो इसमें दोष पैदा हो सकता है। इसलिए मैं इस संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

यह तो मन्त्री जी का दुराग्रह प्रतीत होता है। आप कहते हैं कि जो शब्द प्रचलित हों उन को लेना चाहिए। हमने बहुत से विदेशी शब्द लिए हैं, लेकिन उनको उसी रूप में नहीं रखा है। हमने उसका हिन्दीकरण कर लिया है। जैसे एक शब्द है लैनटर्न, लेकिन उसे हम लालटेन कहते हैं। इसी प्रकार एक प्रचलित शब्द है एडवोकेट जनरल, लेकिन अब महाधिवक्ता को सब लोग जानते हैं। सदन में बार बार उसका प्रयोग होने से वह समझ में आने लगा। आखिर अपनी भाषा का श्रीगणेश इस प्रकार होगा कैसे? इस प्रकार का अंग्रेजी शब्द विधेयक में रखना आश्चर्य की बात ही है। यह एक नीति का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि विधेयक की भाषा खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। भले ही कानून की भाषा क्लिष्ट हो, लेकिन वह शुद्ध ही रहनी चाहिए, इसलिए कि कानून आम लोगों के लिए नहीं, कानून के पंडितों के लिए बनाये जाते हैं। इसलिए मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मन्त्री जी का आशय यह नहीं था। वह जिस प्रकार टेलीफोन, फाउन्टेनपेन, मनीआर्डर शब्द आ गये हैं, उसी प्रकार इसको भी हिन्दी में प्रचलित माना जाय यह उनका आशय था। 'डीन' और 'रजिस्ट्रार' उसी प्रकार प्रयोग में आ सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ७ के उपखण्ड (४) में जहां "रजिस्ट्रार" लिखा है वहां हटा कर "प्रस्तोता" तथा उपखण्ड (५) में "डीन" शब्द के स्थान पर शब्द "संकायाध्यक्ष" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ८

कुलपति ८--(१) उत्तर प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होगा । वह पदेन विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, और कोर्ट का सभापति होगा और उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के कोर्ट की तथा किसी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(२) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार होंगे जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उन्हें दिये जायें ।

*श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ८ के उपखण्ड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१) विश्वविद्यालय का कुलपति एक योग्य, ख्याति प्राप्त, शैक्षिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा जो राज्यपाल न होगा ।"

खण्ड ८ (१) इस प्रकार है : "उत्तर प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होगा । वह पदेन विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, और कोर्ट का सभापति होगा और उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के कोर्ट की तथा किसी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा ।"

श्री अधिष्ठाता--

सन्तसिंह यूसुफ जी, आप भी अपना संशोधन पेश कर दीजिए ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ८ के उपखण्ड (१) की पंक्ति एक में "उत्तर प्रदेश का राज्यपाल" निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"देश का कोई ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्" ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, जो संशोधन सदन में प्रस्तुत है उसका आशय यह है कि राज्यपाल यूनिवर्सिटी का कुलपति न होगा ।

श्रीमन्, यह मानी हुई बात है कि कुलपति का स्थान एक बहुत ही डिग्नीफाइड स्थान है । इसके लिए एक डिग्नीफाइड विद्वान आदमी की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं से यह सम्बन्धित है । इस विधेयक में कहने को तो दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स उसको नहीं हैं, वह केवल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

प्रिसाइड करता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह केवल प्रिसाइड ही नहीं करता। वैसे तो मैं खुद नहीं चाहता कि एक दूसरा सफेद हाथी जैसा कि उपकुलपति के स्थान को भरता है वैसा ही कुलपति के पद पर आ जाय, लेकिन उसको हम एक अधिकार भी देते हैं। उसके नामिनेट किये व्यक्ति भी इस कोर्ट के अन्दर रहेंगे और यहां तक कि वाइस चांसलर को भी नामिनेट कर सकता है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि आप यूनिवर्सिटी को बिला हस्तक्षेप अपना कार्य करने दें और कोई अड़ंगा सरकार की ओर से नहीं लगाया जाना चाहिए। खण्ड १५ में दिया हुआ है १० सदस्यों का नामांकन कुलपति द्वारा और राज्य सरकार भी दो को नामांकित करेगी। इस तरह से अलग-अलग इन चीजों को रखना इस बात का द्योतक है कि सरकार हर माने में चाहती है कि अपने नामिनेशन से कुछ आदमियों को भेजे जिससे उनका पूरा कन्ट्रोल यूनिवर्सिटी पर रहे। लेकिन, श्रीमन्, आप देखें कि हमारी दो यूनिवर्सिटी हैं--बनारस और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी--वहां कुलपति बाई इलेक्शन होता है। इसी तरह से ब्रिटेन में भी कई यूनिवर्सिटियों में होता है। अगर आपको बहुत प्रेम है राज्यपाल से तो जैसा कि वहां दिया हुआ है वह मिनिस्टर की हैसियत से कार्य कर सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति हैं तो वह एजूकेशन मिनिस्टर की हैसियत से राय देते रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुलपति जो रखा जाय वह इसलिए नहीं कि उसके जरिए कन्ट्रोल करना है। ऐसा करने से हस्तक्षेप की भावना रहेगी। इसलिए वहां तो एक योग्य और विद्वान आदमी जाना चाहिए और हम शिक्षा संस्थाओं का इस प्रकार से निरूपण करें कि वहां योग्य और विद्वान व्यक्ति आ सकें जो शिक्षा में उच्च स्तर रखने वाले हों। वही विश्वविद्यालय को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं।

अब एक बात और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं। जब कुलपति के इग्जीक्यूटिव फंक्शन्स नहीं हैं, केवल एडवाइजरी ही हैं, और वे भी उस समय हैं जबकि एजूकेशन मिनिस्ट्री के जरिये आप ऐडवाइस उनको करते हैं, तो उस वक्त कुलपति का स्थान गवर्नर महोदय को देने का कोई सेंस नहीं है। आपको वह स्थान गवर्नर को नहीं देना चाहिये, बल्कि आप वैसा कर सकते हैं जैसा बनारस यूनिवर्सिटी में है। पहले जो यूनिवर्सिटीज बनायी जाती थीं उनके कुलपति का स्थान जो नरेश और बड़े बड़े नवाबों को दे दिया जाता था उसका कारण यह था कि उनसे कुछ पैसे मिलने का प्रलोभन होता था। ज्यादा से ज्यादा पैसा उनसे लेने के कारण उनको यह डिगनीफाइड पद दे दिया जाता था। अब वह नवाब और नरेश रहे नहीं और प्रलोभन का प्रश्न भी नहीं उठता। इसलिये, श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि हर यूनिवर्सिटी का चांसलर अगर गवर्नर होगा तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस तरह से ठीक प्रकार से अपना अंकुश रख सकेगा। वह अंकुश इसी तरह से होगा कि वह कांग्रेस के आदमियों को नामिनेट करके उसमें बिठाल देगा और उसका असर यही होगा कि पार्टीबन्दी, कुनबापरस्ती भ्रष्टाचार आदि बराबर बढ़ता जायेगा और यही हालत होगी जैसा कि आज गोलियां आदि चल रही है और अशांति पैदा है। इसलिये अगर ईमानदारी से आप चाहते है कि इसमें आप हस्तक्षेप न करें। विद्वान आदमी वहां पहुंचे, और शिक्षा का कार्य सुचारु रूप से चले, तो आप इसे स्वीकार करें और कुलपति का स्थान गवर्नर को न दें।

*श्री संतसिंह यूसुफ--

अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि हर यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर को बना देना न तो यूनिवर्सिटी के लिये ही उचित है और न ही गवर्नर के लिये उचित है। दोनों के साथ जस्टिस नहीं होता क्योंकि गवर्नर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वह यूनिवर्सिटी के लिये समय दे सके। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस छोटी-सी बात में को क्यों नहीं मान लेती। शिक्षा मंत्री यह समझते हैं कि गवर्नर तो बराये नाम होता है, असल में काम तो

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वही होता है जिसे शिक्षा मंत्री चाहते हैं । अगर यही है तो आप क्यों नहीं यह कर देते कि चांसलर एजूकेशन मिनिस्टर होगा ? अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा का काम सुचारू रूप से चले, जो आज दिक्कतें हैं वे दूर हों, यूनिवर्सिटीज में पार्टीबन्दी आदि खत्म हो, तो आप इस संशोधन को स्वीकार कीजिये और उसमें एक योग्य, ख्याति-प्राप्त आदमी को जाने दीजिये । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं समझता हूं वह अमेंडमेंट माननीय मंत्री जी को स्वीकार होगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, हम तो राज्यपाल के पद को ही बेकार समझते हैं और जब कभी समाजवादी सरकार होगी तो इसे तोड़ेगी । जहां सावरेन्टी जनता के हाथ में है वहां राज्यपाल का पद वैसा ही है जैसे इंगलैन्ड में राजा और रानी का । मैं काशीनाथ जी की बात को दोहराना नहीं चहता हूं जो उन्होंने श्री राज्यपाल के ओहदे के लिये पारसाल कही थी लेकिन भाव वही है ।

श्री महावीर सिंह--

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि राज्यपाल का ओहदा ही बेकार है, तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि वह तो संविधान में ही है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

यह एक बुनियादी बात मैंने कही । मैं तो बिलकुल इस राय का हूं कि प्रजातंत्र में राज्यपाल का ओहदा बिलकुल व्यर्थ है । परन्तु संविधान में जब तक है वे रहेंगे । अब सवाल यह है कि राज्यपाल को विश्वविद्यालय का कुलपति क्यों बनाते हैं । सिर्फ इसलिये कि राज्यपाल ऐसे समझे जावेंगे जैसे मिट्टी का ढेला रख दिया गया, उनको पता नहीं कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है । माननीय मंत्री जी भी समझते हैं कि राज्यपाल कभी कुछ कर नहीं सकेंगे और उनसे जैसा वह चाहेंगे दस्तखत करा लेंगे । उनके मन में भी यह बात है कि उन्हें बेकार रख रहे हैं । आदरणीय राज्यपाल के मन में भी यह बात होगी कि इसमें मंत्री जी की कुछ ऐसी बात है । जितने भी राज्यपाल हैं सभी पुराने रिटायर्ड लोग, जो चुनावों में हारे हुए हैं, जिनमें कार्य करने की क्षमता बाकी नहीं रह गई है । आपके उत्तर प्रदेश के ही कांग्रेस के अध्यक्ष केरल में जाकर राज्यपाल बन गये और वहां की यूनिवर्सिटी के कुलपति होंगे । यहीं पर जब जब कांग्रेस की गुटबन्दी की बात चलती है तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त के लिये कहा जाता है कि इन्हें कहीं का राज्यपाल बना दिया जाय । हिन्दुस्तान के सारे राज्यपाल एक ही राजनैतिक पार्टी के लोग हैं जिन्हें शिक्षा के मामले में कोई विशेष दिलचस्पी न होकर राजनीति में दिलचस्पी है । कहीं अखाड़ेबाजी की बात हो या कहीं चुनाव की बात हो तो वे अच्छी राय दे सकते हैं । तो विश्वविद्यालय के कुलपति का पद बड़ी योग्यता और विद्वता का है । आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग अगर होते तो उन्हें आप कुलपति रखिये । बिना किसी पार्टी के लोग भी विद्वान मिल सकते हैं, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में सूझ-बूझ बड़ी ऊंची है । लेकिन हर बुर्जुआ किस्म की हुकूमत इसी प्रकार के कार्य करती है । माननीय शिक्षा मंत्री की मरजी है, जैसा चाहें करें । हमने सही तरीके से अपनी बात को रख दिया है ।

*श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये बड़े महत्वपूर्ण संशोधन हैं और हमारे सदन के करीब जितने लायक सदस्य हैं, सभी ने इनको रखा है, जैसे माननीय चन्द्रजीत जी, राधेश्याम जी, कमला सिंह जी, यूसुफ साहेब । मेरा विश्वास है कि अगर माननीय चन्द्रजीत जी हमारी बात को सुन लेंगे तो वह अपने संशोधन को प्रेस नहीं करेंगे । इन संशोधनों में तीन प्रश्न निहित हैं । पहला तो यह है कि कुलपति का पद हटा दिया जाय । यदि वह रहे तो राज्यपाल नियुक्त न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

किये जावें, और तीसरी बात यह है कि कोई अच्छा शिक्षा का विद्वान व्यक्ति नियुक्त किया जाय। हमारा उपकुलपति केवल ३ वर्ष के लिये होगा। वह इस्तीफा दे सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है, वह चार्ज शीट भी किया जा सकता है। परन्तु राज्यपाल कभी मरता नहीं है, जैसे इंगलैन्ड में राजा और रानी कभी नहीं मरते है। वे कंस्टीट्यूशनल हैं। कुलपति एक परमानेंट सिम्बल हैं। इस बात को दृष्टि में रखकर शायद हमारे माननीय सदस्य कुलपति के हटाने वाली बात को प्रेस नहीं कर रहे हैं।

अब प्रश्न यह रहता है कि राज्यपाल को न नियुक्त करके कोई शिक्षा का विद्वान आदमी नियुक्त किया जाय। थोड़ी देर के लिये हम मान लेते हैं कि राज्यपाल की जगह कोई शिक्षा विद् नियुक्त किया जाय। लेकिन उसकी नियुक्त करेगा कौन? इसे भी हमारे माननीय मित्रों को सोचना चाहिये। उसकी नियुक्ति मंत्री जी ही तो करेंगे, या कहिये शिक्षा विभाग द्वारा होगा। तो जब माननीय मंत्री जी को ही नियुक्त करनी है तो अपने प्रदेश के जो सिरमौर है उन्हीं को क्यों न रखा जाय? इससे शिक्षा मंत्री उसकी नियुक्ति में नहीं रहेगा। जब नियुक्ति का अधिकार शिक्षा मंत्री जी को या विभाग को होगा तो वह किसी को भी नियुक्त करेगा और वह आदमी ऐसा होगा जो राज्यपाल के स्टेट्स से नीचे ही होगा, चाहे कोई भी हो, चूंकि राज्यपाल प्रदेश में कंस्टीट्यूशनल हेड हैं। तब यह कहना कि कोई विशेष प्रकार की नियुक्त होगी, यह बात हम समझ सकने में असमर्थ हैं।

एक बात यह कही जाती है कि यूनिवर्सिटियों की आटोनामी समाप्त हो रही है और विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र रूप से अध्यापक का, या अपने यहां के प्रबन्ध का अथवा अनुशासन का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। यह बात जनसंघ के लोग कहते तो हमारी समझ में आ जाती, लेकिन माननीय चन्द्रजीत यादव जो इस बात में विश्वास करते है, उनका और कम्यूनिज्म का सिद्धांत है कि स्टेट को इस बात का अधिकार होना चाहिये कि जो उसकी नीतियां हैं उनको वह विश्वविद्यालयों में, कालेजे में और दूसरी जगहों पर भी लागू करे, जो राज्य द्वारा नीतियों के द्वारा नीतियों के केंद्रीकरण में विश्वास करते है, वह यह कहें कि राज्यपाल जो है वो विश्वविद्यालय के कुलपति न हों यह बात कुछ हमारी समझ में नहीं आयी। काशी विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया कि वहां का कुलपति राज्यपाल नहीं होता। लेकिन काशी विश्वविद्यालय गवर्नमेंट के ग्रांट से नहीं बना था। उसमें दो दो लाख, पांच पांच लाख रुपया श्रद्धेय मालवीय जी कहीं बीकानेर नरेश से, कहीं जयपुर नरेश से, कहीं किसी और नरेश से लाये थे और उनको आनर करने के लिये जिसने सबसे अधिक रुपया दिया, उसको एक आनर की पोस्ट दे दी। लेकिन इन कानपुर और मेरठ के विश्वविद्यालयों में तो ६० लाख रुपया हमारे स्टेट के एक्सचेकर का अभी लगने जा रहा है और जिस दिन यह शैक्षिक विश्वविद्यालय हो जायेंगे उस दिन करोड़ों रुपया देना पड़ेगा जैसा कि और विश्वविद्यालयों में देना पड़ता है। आज राजे महाराजे रह नहीं गये। तो सारा विश्वविद्यालय चलाने का खर्चा तो शिक्षा विभाग या गवर्नमेंट दे और वैसे भी विश्वविद्यालय में अनुशासन का प्रश्न हो या और कोई ऐसी बात हो जाय तो सदैव शिक्षा मंत्री के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप अनुशासन रखने में असमर्थ हो रहे हैं और यह बात सही है कि अनुशासन कायम रखने में हमारे बहुत से विश्वविद्यालय आज सफल नहीं हो रहे हैं, तो अनुशासन का प्रश्न, अनुदान का प्रश्न और हर प्रकार से उसकी और उन्नति के जो प्रश्न हैं उसके लिये तो सरकार और उसकी ट्रेजरी जिम्मेदार हो और कुलपति और उपकुलपति जो हैं उनकी नियुक्ति में उसका कोई स्थान न हो, यह चीज चल नहीं सकती है। जब सरकार को आप इस बात के लिये जिम्मेदार कहते हैं कि विश्वविद्यालय को वह अनुदान दे और उसका प्रबन्ध करावे, वहां शांति और अनुशासन को स्थापित करावे तो सरकार को आपको यह भी अधिकार देना पड़ेगा कि उसके प्रमुख अधिकारी है कुलपति और उपकुलपति, वह कौन हों, उनकी नियुक्ति में उसका स्थान भी हो। अन्यथा

जिम्मेदारी देते हैं और अधिकार नहीं देते हैं, तो यह काम चलने वाला नहीं है । ऐसी स्थिति में राज्यपाल का कुलपति रहना आवश्यक है । वह कोई साधारण आदमी नहीं है, हैड आफ दि स्टेट है । उनके रहने से विश्वविद्यालय की आटोनामी में भी कोई अन्तर नहीं पड़ता । वैसे आटोनामी उस सेंस में रह नहीं सकती है जबकि सारा रुपया तो शिक्षा विभाग देता है । इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

श्रीमन्, मुझे दुख है कि माननीय कृष्णानन्द राय जब अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं तो वह वस्तुस्थिति को नजरअन्दाज कर देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

जरा एक मिनट आप रुक जायें । कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री चन्द्रजीत यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय कृष्णानन्द राय जी, जो विचारों से एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं लेकिन जब वे कार्यरूप में आते हैं तो वहां रूढ़िवादी रूप अख्तियार कर लेते हैं । यह बदकिस्मती है जो नयी दिशा और नया तजुरबा करने में लोग आम तौर से घबराते हैं । उन्होंने जो तर्क दिये हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं ।

पहली बात उन्होंने यह कही कि अगर गवर्नर चान्सलर नहीं होंगे तो स्टेट का जो कंट्रोल यूनिवर्सिटीज पर रहता है, वह नहीं रहेगा । मैं उनका ध्यान नम्रतापूर्वक इसी सरकार द्वारा स्थापित हरिश्चन्द्र यूनिवर्सिटी कमीशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें श्री वी० एन० सप्रू, जो एक सार्वजनिक जीवन के बहुत बड़े शिक्षाविद् रहे हैं, अपने विचार प्रकट किये हैं । कमीशन के चेयरमैन ने जब यह कहा था कि कुलपति की नियुक्ति किस प्रकार से हो, तब श्री सप्रू ने अपने ये विचार प्रकट किये थे । अगर आप इसकी पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि श्री सप्रू ने जो विचार व्यक्त किये हैं या जो इस संबंध में सुझाव दिये हैं वह कमेटी की भावनाओं के अनुरूप ही हैं । इस संबंध में सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में नये कदम उठाने चाहिये और अब तक के अनुभव से उसको लाभ उठाना चाहिये ।

इसी संबंध में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया गया । यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि वहां रुपया देने वाले राजे और महाराजे थे, लेकिन कोई राजा महाराजा वहां कुलपति मनोनीत नहीं होता था । इन दोनों यूनिवर्सिटियों के ऐक्टों में इस बात की व्यवस्था है कि कुलपति को विधिवत् चुना जाय । बनारस यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो यह परम्परा है वह ब्रिटेन से ली गयी थी ।

श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय मित्र इस बात से तो सहमत होंगे कि बनारस यूनिवर्सिटी के कुलपति महाराजा बीकानेर और दूसरे महाराजा रह चुके हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

लेकिन वे कोर्ट के द्वारा ही तो चुने जाते हैं । वे न राजा महाराजाओं द्वारा मनोनीत हुए और न सरकार द्वारा मनोनीत हुए । वहां पर सार्वजनिक जीवन के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को कुलपति चुना जाता है । इस बात को ध्यान में रखते हुये माननीय सप्रू ने कहा था कि यह बेहतर होगा कि हम विश्वविद्यालयों में कुलपति को चुनें, जो ख्याति प्राप्त हों तथा जिनका शिक्षा से कोई न कोई संबंध रहा हो ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

एक बात यह भी कही गयी कि अगर गवर्नर को कुलपति नियुक्त नहीं किया जायगा तो यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था गड़बड़ हो जायगी और सरकार जो ग्रांट उनको देती है उसकी देखभाल न हो सकेगी, लेकिन जिस प्रकार से बनारस और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में विजिटर की हैसियत से उस चीज को राष्ट्रपति देखते हैं उसी प्रकार सरकार द्वारा यहां भी व्यवस्था की जा सकती है कि राज्यपाल विजिटर की हैसियत से यहां बने रहें । मेरी मंशा तो इस संशोधन से केवल इतनी है कि कुलपति कोई ख्याति-प्राप्त व्यक्ति होना चाहिये । श्री सप्रू ने जो इस संबंध में कहा वह इस प्रकार है :

"The work that I have in mind by associating the Chancellor in an honorific capacity requries persons of real eminence in our national life.

हमारे सामाजिक जीवन के ऐसे ख्याति-प्राप्त लोग होने चाहिये जिनको चांसलर बनाया जाय । कैसे लोगों को कुलपति बनाया जाय, इसका तर्क उन्होंने यह दिया--

The Chancellor should be the symbol for the people of their enthusiasm for Vidya Dan."

ऐसे व्यक्ति हों जिनका विद्या पढ़ाने में कुछ स्थान रहा हो जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके ।

लेकिन जो गवर्नरों की नियुक्ति होती है वे आम तौर से राजनीतिक रंगमंच के ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो उस फील्ड में श्रीहीन हो चुके हैं । उनको ही गवर्नर बना कर भेजा जाता है । इस बात के प्रमाण हैं कि अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी-सी भी सक्रियता विद्यमान है वह गवर्नरी पर जाना पसंद नहीं करता है । गवर्नरी पर जाने के लिये जितनी झुंझलाहट होती है उस व्यक्ति को जो राज्यपाल का पद स्वीकार करता है, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है । ऐसे व्यक्ति पर चांसलर बनने का बोझ बेकार ही डाल दिया जाता है । हमारे सूबे में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है । ऐसे भी मौके आये जब गवर्नर ने इंडिपेंडेंट रुख अख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उस पर दबाव डाला और फाइलें महीनों पड़ी रहीं । सरकार की तरफ से कहा गया कि चूंकि चांसलर हेड आफ दि स्टेट है इसलिये चांसलर की कैपेसिटी में भी गवर्नर को यह अधिकार नहीं है कि वह शिक्षा मंत्रालय की सलाह को न माने । शिक्षा मंत्रालय की सलाह उसको लाजिमी तौर से स्वीकार करनी होगी । एक गवर्नर महोदय को इस पर एतराज रहा । उन्होंने कहा कि गवर्नर की हैसियत से मैं वही काम करूंगा जिसकी मंत्रिपरिषद सलाह देगा, लेकिन चांसलर की हैसियत से मेरे लिये यह अनिवार्य नहीं है कि मैं उसको मानूं । यह प्रश्न उठ गया था । और जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, शिक्षा प्रेमी होगा, उसके सामने आगे फिर वही प्रश्न पैदा हो सकता है । इन बातों का ही निराकरण करने के लिये माननीय यूसुफ साहब ने यह सुझाव दिया है । माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस नये प्रयोग को करके देखना चाहिये । जैसा कि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है, नये-नये विश्वविद्यालयों को बनाते समय इस नये दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिये, हमें बड़ी-बड़ी पुरानी व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिये । मैं समझता हूं कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी संशोधन को मान लें तो इससे बड़ा उपकार शिक्षा जगत का होगा और हमारे विश्वविद्यालयों को एक नयी दिशा मिलेगी । यह भी एक नया अनुभव है, इसको भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिये और इसका तजुरबा भी हमें करना चाहिये । कानपुर और मेरठ की यूनिवर्सिटीज में हम इसका अनुभव करके देखें ।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अंग्रेज तो चले गये लेकिन ये काले अंग्रेज अभी उनकी लकीर पर चलना चाहते हैं, क्योंकि उस समय जो कुलपति नियुक्त किये जाते थे वे गवर्नर ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किये जाते थे। हमारे शिक्षा मंत्री जी को तो आज एक नयी दिशा को लेना चाहिये क्योंकि जो भी कुलपति राज्यपाल लोग हुआ करते हैं वे कुछ कार्य नहीं कर सकते। वे केवल शो-ब्वाय होते हैं, केवल आरनामेंन्टेशन के लिये रखे जाते हैं। अगर उनके स्थान में किसी शिक्षाविद् को रखा जाय तो वह शिक्षा को कुछ दिशा प्रदान कर सकता है। राज्यपाल के वहां जाने से केवल खर्चा ही बढ़ जाता है। अयोध्या में ही राज्यपाल महोदय, एक दिन के लिये गये और कितनी बड़ी दुर्घटना हो गयी उनके स्वागत ही में सब लग जाते हैं, काम वह कुछ करते नहीं। जैसा कि माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा कि जहां पर भी राज्यपाल हैं वह सब राजनीतिक दलों के लोग हैं और यहां भी वही राजनीतिक अखाड़ा कायम करना चाहते हैं और उन्हें रखना चाहते हैं। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि इस से स्थायित्व होता हैएक स्टेट का सबसे बड़ा पदाधिकारी होने के नाते और जो सरकार खर्च करती है उसका भी उपयोग हो जाता है इसलिये उनको रखना चाहिये। इस तरह से तो जहां भी सरकार पैसा देती है तो हर जगह सरकार अपने ही आदमी रखा करे, ऐसा नहीं होना चाहिये कि कुलपति गवर्नर ही हों। इसकी मन्शा यह है कि अगर आप किसी शिक्षाविद् को रखेंगे तो उसके संचालन में उसके विकास में हर तरह के सहयोग से संस्था आगे बढ़ सकती है। उनके द्वारा कोई प्रगति नहीं हो पाती, वह तो जैसा मैंने कहा केवल आरनामेंटेशन के लिये होते है, काम वह कुछ नहीं करते। अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं अनुरोध करूंगा कि पुरानी पद्धति को छोड़कर आगे बढ़े और इस को मान लें।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव है कि कुलपति के पद पर राज्यपाल की नियुक्त न कर के उनके स्थान पर किसी शिक्षाविद् को रखा जाय, इसका मैं समर्थन करता हूं। राज्यपाल के कामों के बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती। जब उन को इतना बड़ा अधिकार देते हैं कि उनके कामों की यहां चर्चा न हो सके तो इस संबंध में यह उचित प्रतीत नहीं होता कि वे कुलपति बनाये जायं। सदन से लाखों रुपया विश्वविद्यालय के लिये पास किया जाता है लेकिन वहां का चांसलर ठीक काम करे या न करे, इस सब पर चर्चा का अधिकार नहीं है और न कोई नियंत्रण ही इस तरह से रह सकता है। ऐसी सूरत में राज्यपाल की नियुक्ति करना मेरी समझ में तो निरंकुशता को जन्म देना है। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर की नियुक्ति का सवाल आया, उस की चयन समिति में जस्टिस पाठक और जस्टिस धवन को रखा गया, प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का एक बड़ा पद होता है, वह कोई लेक्चरर या रीडर नहीं होते। जजेज को आपने हर मर्ज की दवा समझ लिया है, रामबाण हैं जहां चाहें लगा दिया जाता है। अगर कोई शिक्षाविद् या इतिहास का जानकार होता तो अच्छा होता। उस पर सदन का नियंत्रण भी रह सकता और उनके कामों पर चर्चा भी यहां हो सकती। ऐसे आदमी हों जो प्रेरणा दे सकें। जिस तरह से हमारे यहां (राज्यपाल) कुलपति नियुक्त होते हैं, उसका यहां पर जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा इसीलिए आज विश्वविद्यालय में अनुशासन का ह्रास, स्तर का ह्रास और शिक्षा का ह्रास हो रहा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि क्रांतिकारी कदम उठाकर देखा जाय और राज्यपाल के स्थान पर शिक्षाविद् को रखा जाय। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को अवश्य मान लें। इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं। बात यह है कि हमारी डेमोक्रेसी, जैसी फंक्शन कर रही है और जैसा कि हमारा लक्ष्य है, उसमें यूनिवर्सिटी में वाइसचांसलर का पद बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी ही चैक्स ऐंड बैलेंसेज पर आधारित है। इसलिए मेरा खयाल यह है कि चांसलर का पद डेमोक्रेसी की फंकशनिंग में अत्यन्त आवश्यक है। मैं

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

यह जानती हूं और स्वीकार करती हूं कि इस पद पर बड़े विद्वान आदमी और चरित्रवान व्यक्ति की ही नियुक्ति अत्यन्त आवश्यक है। इससे न केवल हमारी युनिवर्सिटी की अपितु हमारे सारे प्रदेश की इज्जत बढ़ती है। इसलिए मेरे खयाल से जो हमारे राज्यपाल यहां ही नहीं बल्कि जहां भी उनका नामिनेशन होता है वे बड़े विद्वान होते हैं और मैं तो यह कहूंगी कि उन्हीं को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं कि राज्यपाल को कुलपति के पद पर नियुक्त न किया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ कि एक तरफ तो प्रजातंत्र की दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ गवर्नर की बात नहीं गयी है। मैं माननीया रोहतगी जी को बता देना चाहता हूं कि जहां तक गवर्नर का सवाल है, उनके तो वे भगवान हो सकते हैं..

श्री अधिष्ठाता--

आप पूरे सदन से बात कहें तो अच्छा होगा। किसी एक माननीय सदस्य से बात न करें।

श्री कमलासिंह यादव--

कांग्रेस पार्टी ही गवर्नर महोदय को चुनती है इसलिए वे कांग्रेस के भगवान तो हो सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के भगवान नहीं कहे जा सकते हैं। वे हेड आफ दि इंसटीट्यूशन हैं इसलिए डिगनिफाइड उनका स्थान है। हेड आफ दि स्टेट होने के नाते हम भी उनका आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका चुनाव होता है वह प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुकूल नहीं है। वे एक पार्टी द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वे कांग्रेस के भगवान हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं जो उनके चुनाव का विरोध करती हैं वे इसको भगवान नहीं मानती है।

अभी माननीय कृष्णानन्द राय जी ने राजा महाराजाओं की बात कही है। यद्यपि वे शिक्षा की योग्यता नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी चांसलर होने के नाते युनिवर्सिटी को पैसा देते हैं। इस संबंध में मैं आपके सम्मुख एक ट्रिब्यूट को पढ़े देता हूं जो कि कोर्ट द्वारा लार्ड मैक मिलन को दिया गया था। रिमार्क्स ये हैं --

"That the Court desire to record their deep and sincere regret at the resignation of Lord Mao Milon, their Chairman since the constitution of the Court in 1929. They recognize the University's indebtedness to him, throughout a period of change and new development for this discriminating and far-sighted leardership in matters of financial policy and all questions connected with the welfare of the schools. They felt acutely the loss to their deliberations of his wide experience of men and affairs and also of those great personal qualities, not least as regards the finance of the building scheme in Bloomsbury, so brilliantly successful as advocate of the University in the outside world."

इससे साफ जाहिर होता है कि किस बहादुरी के साथ तथा ज्ञान के साथ उन्होंने उस यूनिवर्सिटी की फायनेन्शियल पोजीशन को डील किया और किस प्रकार उसका संचालन किया, उसे, यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा लास समझा गया। यह भी माना है कि चांसलर जो होता है वह सीमेंटिंग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाडी होता है। कोई बांध है और उसमें कोई गड़बड़ी हो जाय तो सीमेंट से उसे ठीक किया जा सकता है, उसी पर उन्होंने कहा है--

"He can be a cementing bond among various elements in the University."

यूनिवर्सिटी के अन्दर कोई भी खामी होगी तो वह उसे दूर कर सकता है। जो विद्वान लोग हैं वे आसानी से नहीं लाये जा सकते हैं और उनकी ख्याति के आदमियों का मिलना मुश्किल होता है। ऐसे आदमियों को रखा जाय और वह प्रणाली एडाप्ट की जाय जो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तथा इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी आफ लंदन में एडाप्ट की जाती है तभी अधिक से अधिक विद्वान लोग आ सकेंगे और वे बहुत भला देश का कर सकेंगे। जहां तक फाइनेंशियल चीजों का ताल्लुक है यह भी साफ हो जाता है कि लार्ड मेक मिलन बहुत अच्छी तरह से फायनेंस को भी कंट्रोल कर सके थे। यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान आदमी आयेगा तो फायनेंस को कंट्रोल नहीं कर सकेगा जैसा कि स्प्रू साहब ने यूनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट में रिकमेंड किया है, जो कि सन् १९६० में छपी है। जो सिफारिश की गयी है वह बहुत विद्वतापूर्ण डिस्कशन के बाद की गयी है। मैं चाहूंगा कि आपने जो कमेटी नियुक्ति की थी और उसमें विद्वान लोगों ने डिस्कशन करके निर्णय लिया है अगर आप उसको मानने को तैयार नहीं हैं तो कैसे नया चेंज होगा? जब एक्सपर्ट्स की एक कमेटी आपने प्रदेश में बनाई और उसने एक राय दी तो उस राय को आपको मानना चाहिए।

*श्री कैलाशप्रकाश--

अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन इस धारा के अन्तर्गत दिये गये हैं और उन पर जो विचार माननीय सदस्यों ने यहां रखे हैं उनको मैंने ध्यान से सुना है। एक बहुत बड़ी भावना से प्रेरित हो कर वे विचार व्यक्त किये गये हैं कि राज्यपाल को उपकुलपति नहीं होना चाहिए। इसका विश्लेषण मेरे मित्र, कृष्णानन्द राय जी ने और माननीय सुशीला रोहतगी ने किया उसे भी मैंने सुना। यूनिवर्सिटी कमीशन की चर्चा की गयी जो विश्वविद्यालयों को जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। और उसमें माननीय स्प्रू का यह भी विचार था। पहली बात तो यह है कि यह विचार इस कारण उत्पन्न होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति ऐसी होती है कि जो कहा गया कि उनमें राजनीति के खिलाड़ी होते हैं, इस पर कुछ टीका टिप्पणी करना यहां अधिक उचित नहीं है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति या राष्ट्रपति की नियुक्ति लोक तांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान बना हुआ है उसके विषय में आज तक किसी ने यह राय जाहिर नहीं की कि यह लोकतंत्रिक पद्धति के ऊपर नहीं है, अगर की गई है तो यह कि कहीं बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई है। जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है क्योंकि उनका भी स्थान और पद लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार प्रदेश में और शासन में सर्वोच्च होता है, तो नियुक्ति करते समय इस पद के उत्तर-दायित्व, अधिकार और गंभीरता के अनुसार देश के विशेष व्यक्तियों में से की जाती है। अब यह बात मैं सही नहीं मानता हूं कि जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आ गया वह विशेष व्यक्ति नहीं रहा। विशेष व्यक्ति राजनीति में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है और माननीय सदस्यों को जानकारी भी है कि जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो राजनीति के क्षेत्र से भी होती है, जो विशेष रूप से क्षमता रखते हों या अर्हता रखते हों और राजनीति के क्षेत्र के बाहर भी हो जाती है।

श्री राधेश्याम शर्मा--

राजनीति के बाहर का एक नाम भी बता दें?

श्री अधिष्ठाता--

वह सब जानते हैं। अगर वे चाहेंगे तो लिस्ट दे देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाश प्रकाश--

श्रीमन्, उनको मालूम है और मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य इतने अनजान हैं कि वह यह न समझें ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

जो आये हैं वे भी दलगत राजनीति के लोग थे ।

श्री कैलाशप्रकाश--

आज लोकतांत्रिक प्रणाली में दलगत राजनीति को हर जगह लगाया जाता है । दलगत राजनीति के आरोप प्रत्येक के लिए लगाये जा सकते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली में दलों का स्थान है और दलों के नेताओं का स्थान है । जो दल के बाहर काम करते हैं उनका भी एक स्थान है और दलों के अन्दर काम करते हैं उनका भी एक स्थान है । सभी जगह दलों को मान्यता है और किसी दल में होने से ऐसी बात नहीं कि उसकी ऐसी स्थिति हो जाय कि उसमें योग्यता न रहे ।

(इस समय २ बज कर ३३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए ।)

मैंने निवेदन किया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है तो इस बात का ध्यान रख कर की जाती है कि वह योग्य हों और क्षमता रखता हो । अब विश्वविद्यालय में दो पद हैं । एक कुलपति का है और दूसरा उप कुलपति का । कुलपति के जो अधिकार हैं उसके अनुसार उनका पद उच्च होता है । इसका पद करीब करीब ऐसा हो सकता है कि जब कोई संकट का समय आ जाय, जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाय और जब कहीं उच्च सत्ता के अवसर पर कोई चीज देखने की आवश्यकता हो जाय तो ऐसे अधिकारी के लिए और ऐसे पद के लिए मैं समझता हूं कि यह सबसे अच्छी बात हो सकती है कि राज्यपाल हो । एक बात यह भी है कि अपने प्रदेश में कई विश्व-विद्यालय हैं और एक विश्वविद्यालय भी दूसरे विश्वविद्यालय के काम आ भी सकता है कि एक थोड़ा-सा संबंध रहे और यह भी विश्वविद्यालय के लिए अच्छा हो सकता है । तो उपकुलपति प्रथम है, उनका पृथक् काम है, उनको स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करनेका अधिकार है तो वह सब रहते हुए एक थोड़ा-सा संबंध रहता है, जो अपने शासन में सर्वोच्च स्थान रखता है । अगर उसका इन विश्वविद्यालय से भी संबंध रहे तो वह लाभप्रद होता है, उसमें हानि नहीं होती है । अगर जरा देर के लिए मुझे यह बात महसूस होती और मैं स्वीकार करता कि राज्यपाल के रहने से विश्वविद्यालय की उन्नति में, या उनके विकास में कोई बड़ी भारी आपत्ति आती है तो संभवतः इस संशोधन पर भी विचार करने की आवश्यकता हो जाती ।

एक बात और है जिसकी ओर माननीय कृष्णानन्द राय जी ने ध्यान दिलाया कि यदि आप कहें कि कुलपति की भी यह योग्यता होनी चाहिए । यदि उप कुलपति के लिए जो चीज रखे जायं और वही कुलपति के लिए भी रखी जाय, तो उसका क्या नतीजा होगा ? चुनाव इसके लिए मैं निवेदन कर दूं कि इस सदन में उपकुलपति की नियुक्ति के बारे में बार-बार नियमों में संशोधन करने की जरूरत पड़ी । उपकुलपति के चुनाव को लेकर यूनवर्सिटी में जो थोड़ा बहुत दोष उत्पन्न हो जाता है वह और ज्यादा न बढ़े, इसके लिए भी आवश्यक है कि यह व्यवस्था रहनी चाहिए । नियुक्ति आदि जो भी हों, वह अच्छे तरीके से और योग्यता के आधार पर हों । पहले उपकुलपति की नियुक्ति के जो तरीके थे, वह दोषपूर्ण अनुभव किए गए तो उसमें संशोधन किया गया और फिर जब वे भी उचित नहीं समझे गये तो उनमें फिर संशोधन हुआ और उसके बाद पुनः संशोधन हुआ । तो उपकुलपति की नियुक्ति के बारे में ही विभिन्न विचार रहे हैं । और एक कुलपति की नियुक्ति के लिए भी उसी तरह की बातें आ जायं तो यह सब अनुचित होगा, वह सब अनावश्यक प्रतीत होता है । इस व्यवस्था को मान लेने से कुलपति का वह सम्मानित पद जो प्रशासन में है वह स्वतः फेल हो जाता है, इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

यह तो मैं जानता ही था ।

श्री कैलाशप्रकाश--

यह आप समझ रहे थे कि जो बात आपने कही वह हम इस बात को माननेवाले नहीं हैं यह आपको मालूम है । तो आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये । आप जानते हैं कि इधर उन विचारों से कोई सहमत ही नहीं हो सकता है, तो विचार व्यक्त हो चुके, काम हो चुका अब आप अपने संशोधन वापस ले लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उप खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(१) विश्वविद्यालय का कुलपति एक योग्य, ख्याति प्राप्त, शैक्षिक योग्यता रखनेवाला व्यक्ति होगा जो राज्यपाल न होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति एकमें "उत्तर प्रदेश का राज्यपाल" निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"देश का कोई ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ८ इस विधेयक के अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९-१०

९--(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वह कुलपति द्वारा उन व्यक्तिओं में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उस विश्वविद्यालय के लिए उसे उप-धारा (४) के उपबन्धों के अनुसार संघटित समिति द्वारा प्रस्तुत किये जायं : उपकुलपति

प्रतिबंध यह है कि प्रथम उपकुलपति की नियुक्ति तथा कोई अनुवर्ती नियुक्ति, जिसे समिति के इस प्रकार संघटित होने तक के लिए करना अपेक्षित हो, कुलपति द्वारा की जा सकती है ।

(२) उपकुलपति, अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़ कर, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा, किंतु वह कुलपति को संबोधित लिखित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है । साधारणतया यह त्यागपत्र उस दिनांक से जब उपकुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायगा ।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपकुलति को उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायें ।

(४) (१) उपधारा (१) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात्--

(क) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति होगा जो विश्वविद्यालय, संघटक कालेज, संबद्ध कालेज या छात्रावास की सेवा में न हो और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, बोर्ड या संस्था अथवा किसी ऐसे कालेज के प्रबंध समिति का सदस्य न हो ।

(ख) उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों अथवा सेवा निवृत्ति न्यायाधीशों में से एक व्यक्ति ;

(ग) एक व्यक्ति जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और वह समिति का संयोजक भी होगा ।

(२) समिति, यथासंभव, उस दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व, जब उपधारा (२) के अधीन उपकुलपति का पद कार्यकाल की समाप्ति अथवा पद त्याग करने के कारण रिक्त होने वाला, हो, और जब कभी भी कुलपति द्वारा यह अपेक्षित हो, कुलपति को तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो उपकुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त हों । समिति, नाम प्रस्तुत करते समय कुलपति को एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी जिसमें उक्त तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं तथा अन्य विशिष्टताएं दी जायेंगी, किंतु उसमें कोई अधिमान क्रम इंगित न होगा ।

(३) यदि खंड (२) के अधीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये एक या अधिक व्यक्ति उपकुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिए उपलब्ध न हों, और कुलपति को तीन से कम व्यक्तियों में से चयन करना हो तो यदि वह चाहे तो समिति को नाम वापस भेज सकता है और तदुपरांत समिति तीन उपयुक्त व्यक्तियों के नाम, जो उपकुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए सम्मत और उपलभ्य हों, पुनः प्रस्तुत करेगी ।

(५) यदि उपकुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा, पद त्याग या कार्यकाल की समाप्ति को छोड़कर, किसी अन्य कारण से रिक्त हो आप अथवा उसके रिक्त होने की संभावना हो तो, रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा, जो

(क) यदि रिक्ति छः महीने से अधिक अवधि के लिए हो अथवा होने की संभावना हो, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करेगा ;

(ख) यदि रिक्ति छः महीने से कम अवधि के लिए हो, अथवा होने की संभावना हो तो वह उपकुलपति के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

(६) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में दिये गये उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु इस धारा में कहीं भी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कुलपति किसी आपातिक दशा में, जिसका निर्णय वह स्वयं करेगा, अथवा किसी ऐसी दशा में जब रिक्त की पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा से तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपकुलपति के पद पर नियुक्त कर सकता है :

प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः महीने से अधिक अवधि के लिए न की जायगी;

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गयी नियुक्ति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति हो जाने पर समाप्त हो जायगी ।

(७) जब उपधारा (६) के अधीन नियुक्ति की जाय तो कुलपति, यथाशक्य-शीघ्र, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करेगा।

(८) उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन कुलपति द्वारा नियुक्ति की जाने तक, रजिस्ट्रार, उपकुलपति के नैत्यक कर्त्तव्य को करेगा, किन्तु कोर्ट के किसी बैठक की अध्यक्षता न करेगा।

उपकुलपति के अधिकार तथा कर्त्तव्य।

१०--(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक अधिकारी होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में कोर्ट की बैठकों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा। वह कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा। उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था की बैठकों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु केवल इस उपधारा के कारण, उसे उस सभा में तब तक मत देने का हक न होगा जब कि वह उस प्राधिकरण या संस्था का सदस्य न हो।

(२) उपकुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, और धारा ८ के अधीन कुलपति के अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो तदर्थ आवश्यक हों।

(३) उपकुलपति को कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्युत् परिषद् की बैठकें बुलाने का अधिकार होगा :

प्रतिबंध यह है कि वह इस अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

(४) उपकुलपति विश्वविद्यालय तथा संघटक और संबद्ध कालेजों के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(५) यदि किसी ऐसे आवश्यक मामले में, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो किन्तु जिस पर उस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही न की जा सकती हो जो उसे करने के लिए इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अधिकृत हो, तो उपकुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट कुलपति को तथा साथ ही कार्यकारिणी परिषद् को देगा, और कार्यकारिणी परिषद् या तो उपकुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकती है अथवा उसे विखण्डित कर सकती है। या उसे ऐसी रीति से परिष्कृत कर सकती है जो वह उचित समझे। यदि उपकुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही विखंडित या परिष्कृत की जाय तो वह इस प्रकार विखण्डित या परिष्कृत किये जाने के दिनांक से या तो प्रभावी न रह जायगी अथवा परिष्कृत रूप में प्रभावी होगी :

प्रतिबंध यह है कि--

(क) प्रत्येक मामले में जिसमें इस उपधारा के अधीन उपकुलपति द्वारा कार्यवाही की जाय, वह ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा;

(ख) इस उपधारा की किसी बात से उपकुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा तो यथा-विधि प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो;

(ग) यदि इस अधिकार के प्रयोग में उपकुलपति विश्वविद्यालय में कोई कधिकारी या अध्यापक नियुक्त करे तो ऐसी नियुक्ति, नियत रीति से नियुक्त की जाने पर अथवा उपकुलपति के आदेश के दिनांक से छः महीने की समाप्ति पर,, इसमें जो भी पहले हो, समाप्त हो जायगी।

(६) यदि उपधारा (५) के अधीन उपकुलपति को किसी कार्यवाही से विश्व-विद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो, वह व्यक्ति कार्यवाही की सूचना पाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कार्यकारिणी परिषद् को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(७) उपकुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का संपादन तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किए जायें।

*श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उप खंड (१) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "नियुक्त" के स्थान पर "मनोनीत" रख दिया जाय।

श्रीमन्, जहां तक उपकुलपति के चुनाव का सम्बन्ध है, वह एक संगठित कमेटी के द्वारा होगा। वह संगठित कमेटी तीन व्यक्तियों, एक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा चुने हुये सदस्य, दूसरे इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य तथा तीसरे कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, की एक समिति होगी। जहां तक न्यायाधीश का सम्बन्ध है जो कार्य-संचालन कर रहा हो और रिटायर न हुआ हो उस पर तो मुख्य न्यायाधीश का कन्ट्रोल हो सकता है लेकिन जो रिटायर हो गया हो उस पर मुख्य न्यायाधीश किस तरह से कन्ट्रोल करेगा? अब जो रिटायर्ड हो गये हैं उनका नामिनेशन इस बात का प्रमाण है कि अपने आदमियों को इस में रखा जायगा। लोगों ने यह मिसाल दी थी कि सफेद हाथियों को किसी तरह से प्रोवाइड करने की योजना है। तो यहां पर तो स्पष्ट है कि रिटायर्ड जजेज को प्रलोभन देकर, कभी उन को एलेक्शन ट्रिब्युनल में रख कर, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में उनको कोई न कोई स्थान देने की व्यवस्था की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस से कौन-सा भला शिक्षा संस्थाओं का करना चाहती है? शायद आपने सोचा होगा कि मुख्य न्यायाधीश इन्डिपेन्डेन्ट होगा इसलिए उसका नामिनी भी इण्डिपेंडेंट होगा, लेकिन रिटायर्ड आदमी पर मुख्य न्यायाधीश का कंट्रोल न होने से वह कैसे इन्डिपेंडेंट हो सकेगा?

दूसरी बात यह है कि समिति के लिए तीन नाम कुलपति के पास भेजे जायेंगे और उन में से वह चुनेगा उपकुलपति को। आप देखें कि यह नामिनेशन तो तब होगा जब उन के पास कोई लिस्ट नामों की न भेजी जाय और वे खुद ही नामिनेट कर दें। दूसरे, अप्वाइन्टमेंट तो तब होगा जब नामिनेशन हो जायगा। अब सेलेक्शन और एलेक्शन बचता है जो चुनाव के लिए कहा जा सकता है। सेलेक्शन तो वहां होगा नहीं, इसलिए एलेक्शन ही शब्द बचता है और सेलेक्शन शब्द के लिए हिन्दी में उपयुक्त शब्द "मनोनीत" है "नियुक्त" नहीं। जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखा गया है वह उचित नहीं है क्योंकि "मनोनीत" के माने ही "सेलेक्शन" होंगे "नियुक्त" के माने "सेलेक्शन" नहीं है। यह शाब्दिक परिवर्तन है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी "नियुक्त" शब्द के स्थान पर "मनोनीत" शब्द रखना अधिक उचित समझेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, मुझे तो इस शब्द "नियुक्त" में कोई दोष प्रतीत होता नहीं है। इसलिए मुझे संशोधन स्वीकार करने में कठिनाई है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "नियुक्त" के स्थान पर "मनोनीत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री चन्द्रजीत यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (२) की पंक्ति एक में "तीन वर्ष" के स्थान पर "६ वर्ष" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है। हमारे उपकुलपति का कार्यकाल कितना होगा--तीन वर्ष या ६ वर्ष, इस सम्बन्ध में मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मौजूदा विधेयक में इस बात की आवश्यकता है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति ३ वर्ष के लिए होगी। परन्तु यह प्रश्न बहुत दिनों से विवादग्रस्त रहा है और समय-समय पर इस पर बहुत विचार किया गया है कि वाइस चांसलर का कार्यकाल कितना लम्बा होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों को माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने यह कहा है कि आप चाहे कितना तर्क दें, चाहे कितनी बातें कहें, लेकिन वे निश्चय कर चुके हैं कि वे किसी संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री कैलाशप्रकाश--

मैंने यह बिलकुल नहीं कहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव--

यदि आपने नहीं कहा है तो इसको मैं वापस लेता हूं। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय कृष्णानन्द जी राय भी इस संशोधन का विरोध इस बार नहीं करेंगे, इस लिए कि यह संशोधन केवल मेरा नहीं है, बल्कि यह संशोधन जो मैंने प्रस्तुत किया है...

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है कि उपकुपलति से सम्बिन्धत जितने संशोधन आये हैं, खंड ९ में उन सब को आप एक साथ ही रखवा दें ताकि नीति सम्बन्धी विवाद हो सके और उधर से जो बातें कही जायं उन सब का हम लोग समाधान कर सकें।

श्री चन्द्रजीत यादव--

उसका नेचर अलग-अलग है, इस लिए अलग-अलग ही विवाद होना चाहिये।

मैं यह कह रहा था कि जो यह संशोधन है केवल मेरा नहीं है, बल्कि सन् १९४८-४९ में युनिवर्सिटी कमीशन राधाकृष्णन् कमीशन के नाम से बना था युनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में, उस कमीशन के अन्दर न केवल हमारे देश के मौजूदा राष्ट्रपति जैसे स्थापित प्राप्त शिक्षाविद् अध्यक्ष की हैसियत से थे बल्कि विदेश की कई युनिवर्सिटीज के माने जाने प्रोफेसर्स और वाइस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

चांसलर उस कमीशन के अन्दर काम कर रहे हैं थे। उस कमीशन ने बड़े विस्तारपूर्वक इस प्रश्न पर विचार किया कि वाइस चांसलरर्स के कार्यकाल क्या होने चाहिये। इसके सम्बन्ध में उन्होंने युनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट के पृष्ठ ४२३ पर जो कहा है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

"Tenure of Office—Practically all our witnesses agree that a fulltime, paid-vice-Chancellor needs a longer tenure of office than has been the custom hitherto. He will not be able to play his full part as we have tried to describe it until he has made himself known and trusted both in and outside the university. Many of our witnesses have suggested that he should be appointed for five years and should be eligible for reelaction."

जितने साक्षी कमीशन के सामने उपस्थित हुये उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि अब तक जो प्रथा रही है उसके अनुसार वाइस चांसलर का कार्यकाल जो (तीन वर्ष के लिए था वह अपर्याप्त है)। जब तक यूनिवर्सिटी के अन्दर और इस के बाहर की कार्यप्रणाली से वह पूर्ण रूप से परिचित न हो जाय, लोगों का विश्वास न प्राप्त कर ले और अपनी जानकारी न प्राप्त कर ले तब तक एक वाइस चांसलर की तरफ से सक्षम रूप से वह अपना काम नहीं कर सकता है। उसके ऊपर विचार करते समय कमीशन ने यह कहा कि पहले दो साल के लिए वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है और फिर उसका पुनः चुनाव होता है, उसका नतीजा यह होता है कि विश्वविद्यालयों में राजनीति प्रवेश करती है अध्यापकों और प्राध्यापकों के अन्दर जिसका असर हमारे विश्वविद्यालय की शिक्षा के ऊपर बुरा पड़ता है। इस बात को ऐवायड करने के लिए कि हमारी शिक्षा का वातावरण दूषित न हो, अध्यापकों के अन्दर राजनीतिक बातें पैदा न होने पायें, उन्होंने यह कहा है कि अच्छा तरीका यह होगा कि—

"The simplest way of avoiding reelction would be to make his tenure of office indefinite, as in U.S.A. or subject only to the same retiring age as professors, as in the unitary universities of Great Britain. Some of us believe that this is the ideal plan, but yield reluctantly to the opinion of our majority that this involves a more drastic change from present practice than it would be wise to commend. We therefore, unanimously recommend that all Vice-Chancellors should be appointed for six years and should be eligible for re-election."

राधाकृष्णन् कमीशन ने सर्वसम्मति से एक राय होकर यह बात कही है। उस कमीशन के अन्दर देश विदेश के विज्ञ लोग थे। इसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है कि उपकुलपति की नियुक्ति आप ६ वर्ष के लिए करें। उस कमीशन ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है। अब इसमें न तो कृष्णानन्दराय जी को कोई दिक्कत हो सकती है और न मन्त्री जी को कोई कठिनाई उसमें होने वाली है। हम कमीशन की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करते हैं। और उसकी सिफारिश का लिहाज करते हैं इस लिए जो उस कमीशन की सर्वसम्मति से राय है और सिफारिश है कि उपकुलपति की नियुक्ति ३ साल के स्थान पर ६ साल के लिए की जाय, उसको हम आशा करते हैं मन्त्री जी मान लेंगे।

*श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र चन्द्रजीत जी यादव को यह भ्रम है कि मैं उनकी सब बातों का विरोध करता हूं। मैं सब बातों की उनके विरोध में नहीं हूं। उन्होंने उस कमीशन के बड़े-बड़े आदमियों का नाम अधिकारी के रूप में यहां पर उपस्थित किया। मैं किसी का नाम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेने से प्रभावित नहीं होता। मैं तो उनके व्यवहार से होता हूं। इस विधेयक में यह देखने की बात है कि उपकुलपति को निकालने का प्राविजन इसमें नहीं है कि मन्त्री जी या कुलपति उस उपकुलपति को निकाल सकते हैं। उपकुलपति अपने विश्वविद्यालय का एक प्रमुख कार्य करने वाला होता है। इस सदन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब उपकुलपतियों के ऊपर आरोप लगाये जाते हैं। कहा जाता है कि अमुक उपकुलपति ठीक प्रबन्ध नहीं कर पा रहा है, भ्रष्ट है, लेकिन उनको निकाल नहीं सकते हैं। यह महत्वपूर्ण पद है और इसको साधारण सरकारी कर्मचारी की तरह से करना कुछ उचित नहीं मालूम होता है। उस स्तर पर इनको नहीं लाना चाहिये। अगर उनकी नियुक्ति ६ वर्ष के लिए कर दी जाती है और इस बीच में वह प्रबन्ध ठीक नहीं करते हैं, कोई अव्यवस्था करते हैं या किसी को उनके विरुद्ध और कोई बात का अनुभव होता है तो ६ वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो या तो वह खुद त्यागपत्र दे दें और अलग हो जायं नहीं तो उनके विरुद्ध और क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में व्यावहारिक दृष्टि से बीच में उपकुलपति को निकाल नहीं सकते हैं। उनकी नियुक्ति का काल ३ वर्ष ही रहने दें जिससे अगर कोई गड़बड़ हो तो ३ वर्ष के बाद उनको अलग कर दें।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

जो राय साहब ने दलील दी हैं वे स्वयं भी कंविंस्ड हैं?

श्री कमलासिंह यादव--

जो संशोधन चन्द्रजीत जी यादव ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी कृष्णानन्द राय जी की बात सुनी। उन्होंने यह तर्क उपस्थित किया कि इसमें वाइस चांसलर को निकालने की कोई बात नहीं रखी गयी है कि उनको किस तरीके से हटाया जायगा।

मैं माननीय कृष्णानन्द जी को बतलाना चाहता हूं कि आप देखें कि आप किस तरह से उनका चुनाव करते हैं? एक कमेटी है जिसमें ३ आदमी होते हैं और वे वाइस चांसलर का चुनाव करते हैं। अगर आप उसे दो साल बाद ही हटा देते हैं तो यह वाइस चांसलर की नहीं उस कमेटी की अयोग्यता प्रदर्शित करता है। आपने जो तीन साल की मियाद रखी है उसमें एक साल तो उसे जानकारी में ही लग जाता है। एक साल उसे काम करने का मौका मिलता है और फिर तीसरे साल में उसके रिटायरमेंट का मौका आ जाता है। तो वह अनुभव करके जो उसका फायदा उठाना चाहता है, उसका मौका उसे नहीं मिलता। चन्द्रजीत जी ने राधाकृष्णन् कमीशन का जिक्र किया और उस कमेटी में इस देश के ही नहीं विश्व के ख्याति प्राप्त विद्वान राधाकृष्णन् जी के अतिरिक्त विदेशी विशेषज्ञ भी थे और उन्होंने वाइस चांसलर का टर्म ६ वर्ष रखने की सिफारिश की है, तो उसे मानना अनुचित न होगा।

इसके साथ ही अलीगढ़ युनिवर्सिटी की मिसाल देना चाहता हूं, वहां आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, न वहां कभी वाइस चांसलर को तीन साल बाद निकाल देने का मौका आया है। या यह कहा गया कि अलीगढ़ युनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नालायक है उसे हटा देना चाहिये। अलीगढ़ युनिवर्सिटी ऐक्ट के शैडयूल में लिखा हुआ है --

"The Vice Chancellor shall hold office for a term of 6 years and shall not be eligible for reappointment :

Provided that notwithstanding the expiry of 6 years he shall continue in office until his successor is appointed and entered upon his office."

यह ऐक्ट १९२० में बना था और इसी सदन द्वारा वाइस चांसलर के लिए ६ वर्ष की मियाद रखी गयी थी, और इसको कोई दलील काटती नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां भी वाइस चांसलर की मियाद ६ वर्ष की रखी जाय जैसा कि राधाकृष्णन् कमीशन ने सजेस्ट किया है और अलीगढ़ युनिवर्सिटी में है। आशा है मन्त्री जी इसे मान लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बहुत से भाई जो कह रहे हैं कि नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है उनसे नया मार्ग प्रदर्शन भी होना चाहिये, नयी दिशा हमको फालो करना चाहिये। जब हम नये विश्वविद्यालय बना रहे हैं तो वहां वाइस चांसलर भी नया व्यक्ति होगा और सम्भव है कि सारा कार्यभार समझने में उसे कुछ समय लग जाय। यह भी हो सकता है कि वह अपने कार्य अच्छी तरह से न कर सके, इसलिए हमेशा हमको तैयार रहना चाहिये कि अगर वह अच्छी तरह से अपने कार्य को नहीं चला सकता है तो हम दूसरे को भी मौका दे सकें। लेकिन अगर ३ साल के अन्दर वाइस चांसलर ने अपना कार्य भार अच्छा संभाला है तो इस विधेयक के अन्दर कोई ऐसा प्रतिबन्ध भी नहीं है कि वह पुनः उस स्थान के लिए न खड़ा हो सके। इसलिए मैं सम्मानित विरोधी भाइयों से निवेदन करूंगा कि जिस विश्वविद्यालय के वह हितैषी हैं और चाहते हैं कि वह सुदृढ़ बने तो वह भी चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे वाइस चांसलर साबित हों और अगर न हो सकें तो दूसरे को मौका दे सकें। इसलिए ३ वर्ष की ही अवधि रहनी चाहिये।

श्री ऊदल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रखा गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय शिक्षा मन्त्री जी हंस रहे हैं। अभी कुछ देर पहले राधेश्याम जी की बात पर वह कह रहे थे कि पार्टियों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और हर पार्टी जिसकी सरकार होती है उसको वह प्राथमिकता देती है। तो अगर ६ वर्ष हो जायगा तब भी आप अपनी पार्टी के लोगों को ही नियुक्त कर देंगे, इसलिए आप को तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये जब हमको नहीं है। (व्यवधान)। कृष्णानन्द जी ने अपना नियम बना लिया है कि सही बात हो तब भी उसका विरोध करेंगे। राधाकृष्णन् कमेटी में बड़े-बड़े लोग शिक्षाविद् थे और जितने लोगों ने गवाहियां दी हैं उनकी भी राय है उस सबको भी वह मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनके लिए हम क्या कहें? मैं तो शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप चाहते हैं कि दिल से कि ६ वर्ष की अवधि हों, लेकिन आपकी कुछ मजबूरियां हों, वह दूसरी बात है। आपने गोरखपुर और आगरे का नियुक्त किया, लखनऊ के लिए भी कर दिया, तो इसमें भी अपनी मरजी से जिसको चाहें कर दें। इसलिए ६ वर्ष का कार्य-काल आपको मान लेना चाहिये। और उन सम्मानित महानुभावों की राय का आदर करना चाहिये जिन्होंने ६ वर्ष के पक्ष में अपनी राय दी।

*श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, यह संशोधन श्री चन्द्रजीत यादव जी की तरफ से आया है, मैं उनकी राय का आदर करता हूं, क्योंकि वह बड़े अध्ययन के बाद चीजों को रखते हैं। फिर ऊदल जी ने समर्थन किया। वह इतने करीब हैं कि उन्होंने मेरे दिल में और दिमाग में क्या है मेरे शब्दों से ज्यादा वह जानते हैं। फिर ऐसा प्रस्ताव आवे और उसका ऐसा समर्थन हो तब तो मुझ पर बड़ा-भारी बोझा पड़ता है। लेकिन साथ ही कृष्णानन्द राय जी और श्रीमती सुशीला रोहतगी ने भी कुछ व्यावहारिक आधार पर अपनी राय दी है। जिस कमीशन का जिक्र किया गया है, माननीय सदस्यों को याद होगा कि जब इस कमीशन ने रिपोर्ट दी उस समय स्थिति उपकुलपति के नियुक्त करने की कुछ भिन्न थी। उस समय विश्वविद्यालय की एक्जीक्युटिव कमेटी के द्वारा नियुक्तियां होती थीं और यह बात अपनी जगह है कि किसी उपकुलपति की नियुक्ति एक्जीक्युटिव कमेटी के द्वारा हो और उसकी अवधि कम हो तो यह सम्भवतः हो सकता है कि थोड़ा समय जानकारी प्राप्त करने में लग सकता है और फिर थोड़ा समय समर्थन प्राप्त करने में भी लग सकता है। लेकिन जब राधाकृष्णन् कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसके पश्चात् से परिस्थिति में बहुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काफी मौलिक परिवर्तन आ गया और कम से कम उपकुलपति के विषय में। अब चाहें नियुक्ति ३ साल के लिए हो, या ५ साल के लिए, उसकी नियुक्ति में एक्जीक्युटिव कमेटी या विश्वविद्यालय का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं रहता और अब यह जरूरी नहीं है कि उसे अपनी नियुक्ति के लिए एक्जीक्युटिव कमेटी या विश्वविद्यालय की ओर देखना पड़े।

श्रीमन्, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें बहुत समय तक उपकुलपति की जगह पर काम करने का अवसर मिला है। हमारे नियमों में उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो ३ साल काम करने के पश्चात् भी समिति उसकी नियुक्ति के विषय में विचार कर सकती है। अगर किसी ने विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए अच्छा काम किया है, उसकी सेवाओं की पुनः जरूरत है, तो जो समिति होगी वह उसकी नियुक्ति पर पुनः विचार कर सकती है और उसकी नियुक्ति पुनः हो सकती है। अगर कोई खराब व्यक्ति की नियुक्ति हो जाती है और इस संशोधन को अगर हम मान लेते हैं, तो फिर ६ साल तक उसको छू नहीं सकते। किन्तु जो वर्तमान व्यवस्था इस विधेयक में हमने रखी है उसके द्वारा आप ६ साल तक नहीं, बल्कि ९ साल तक उसको रख सकते हैं। ३ सदस्यों की एक समिति होगी, वह उसकी पुनः नियुक्ति पर विचार करेगी और उसको फिर रखा जा सकेगा। अच्छे व्यक्ति को फिर मौका दिया जा सकता है। ६ साल तक जो संशोधन आप रखना चाहते हैं उससे कहीं अच्छी व्यवस्था यह है कि जो हमने रखी है। माननीय चन्द्रजीत जी की बात में तो शायद थोड़ा सा भी तर्क हो तो भी उनकी भावना का मैं बड़ा आदर करता हूं। लेकिन जो चीजें मैंने कही है वह विश्वविद्यालय के अधिक हित में हैं और इस कारण मुझे उनका संशोधन स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है, जिसका मुझे दुख भी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, अच्छे, उचित और आवश्यक सुझाव देना हमारा कर्त्तव्य है, मानना या न मानना मन्त्री जी का काम है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (२) की पंक्ति एक में "तीन वर्ष" के स्थान पर "६ वर्ष" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (३) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि सर्वसम्मति से समिति द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा।"

यह संशोधन मैंने.....

श्री कृष्णानन्द राय—

व्वयस्था का प्रश्न है, यह संशोधन गलत है। वह खंड ९ के उपखंड (३) में संशोधन रख रहें हैं कि "प्रतिबन्ध यह है कि यदि सर्वसम्मति से समिति द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा। "लेकिन खंड ९ का उपखंड (३) तो नियुक्ति के संबंध में है ही नहीं वह यह है कि "उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उपकुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगीं जो नियत की जायं। "तो यह खंड तो उपलब्धियों के बारे में है और उसमें वह नियुक्ति के बारे में संशोधन कैसे रख सकते हैं ?"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव--

जहां तक खंड ३ का प्रश्न है उसमें दिया है कि यदि खण्ड (२) के अधीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये एक या अधिक व्यक्ति उपकुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिये उपलब्ध न हों और कुलपति को तीन से कम व्यक्तियों में से चयन करना हो तो यदि वह चाहे तो समिति को नाम वापस भेज सकता है और तदुपरान्त समिति तीन उपयुक्त व्यक्तियों के नाम, जो उपकुलपति के रूप में में नियुक्त के लिये सम्मत और उपलभ्य हों, पुनः प्रस्तुत करेगी। "इसमें जहां तक वाइसचांसलर का संबंध है.....

श्री कृष्णानन्द राय--

वह तो (४) (ख) है, लेकिन यह तो संशोधन उपलब्धियों के संबंध में है....

श्री कमलासिंह यादव--

तो उसको वही मान लें..

श्री उपाध्यक्ष--

कमलासिंह जी यह उपधारा (३) तो उपलब्धियों के संबंध में है, यह कैसे हो सकता है ?

श्री कमलासिंह यादव--

वह उपखंड (४) का (३) है, गलत छपा है। उसको कनफ्यूज हो गया है।

श्री कृष्णानन्द राय--

इसको आप कैसे अनुमति दे रहे हैं, आप श्रीमन्, इसे कैसे पेश करेंगे ?

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

यह तो श्रीमन्, यहां इस तरह से कैसे आ सकता है, इसको आप अस्वीकृत कर दें। इसको पेश करने की अनुमति न दें।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, यह शाब्दिक गलती है। वह कह रहे हैं कि इसको उपखंड (४) के उपखंड (३) में समझा जाय।

श्री कृष्णानन्द राय--

आप एजेंडे के अलावा कैसे इसको लेंगे, नियम यह है कि संशोधन ३६ घंटे पहले आना चाहिये, वह खंड ९ की उपधारा (३) में संशोधन दे रहे हैं वह कैसे होगा ?

हालांकि एजेन्डा में लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह शाब्दिक गलती है, इसलिये मान लीजिये।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, जो मैंने संशोधन रखा है वह यह है कि उपकुलपति के लिये एक सुनिश्चित नाम भेजने का काम समिति द्वारा होगा और उसके ३ सदस्य होंगे। यह भी उपधारा ४ (१) में है। अब सवाल यह है कि जिस वक्त अगर ३ नाम वह समिति भेज देगी तो एक नाम कुलपति चुन लेगा, लेकिन अगर ३ से कम देगी तो वहां यह प्राविधान दिया गया है कि अगर कुलपति चाहेंगे तो समिति को नाम वापस भेज सकते हैं तदुपरान्त समिति ३ उपयुक्त व्यक्तियों के नाम, जो उपकुलपति के रूप में नियुक्त के लिये सम्मत और उपलब्ध हों, पुनः प्रस्तुत करेंगे। इस

[श्री कमलासिंह यादव]

प्रतिबन्ध के जरिये मैं यह चाहता हूं कि अगर सर्वसम्मति से एक नाम भेजे तो यह नाम उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान खंड ११ (१) (ग) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कोषाध्यक्ष के पद के लिये दिया हुआ है कि "यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो।" तो श्रीमन्, जब एक जगह देख रहे हैं कि कोषाध्यक्ष पद के लिये एक नाम सर्वसम्मति से चला जाता है तो उस व्यक्ति को कोषाध्यक्ष पद के लिये स्वीकार कर लिया जाता है। उसी प्रकार से अगर वाइस चांसलर पद के लिये भी उस समिति द्वारा एक स्वर से ही नाम भेज दिया गया हो तो मैं यह चाहता हूं कि इसको मान लिया जाय।

दूसरी चीज जो पावर आपको है कि अगर एक से ज्यादा २ नाम भेज दिये जायं तो वह वापस कर सकता है। अगर ४ व्यक्तियों के नाम गये तो उस वक्त वह चुनाव कर सकता है। सिर्फ एक नाम के लिये मैंने यह कहा है। कोई नई बात नहीं है। यह यूनिवर्सिटी के भी इन्टरेस्ट में होगा। अतः प्रार्थना है कि इसे हमारे माननीय मंत्री जी मान लें क्योंकि वहां झगड़ा या पार्टी पोलिटिक्स की बात नहीं आती है।

*श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, इस संशोधन में यह कहा गया है कि यह जो समिति नियुक्त होती है यदि वह केवल एक ही नाम भेजे सर्वसम्मति से तो उसको ही मान लिया जाय। पहली बात तो यह है कि ३ सज्जनों की कमेटी नियुक्त होती है और जिनमें ३ सज्जन, एक चान्सलर की ओर से, एक टीचर्स की ओर से, और एक एक्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से नियुक्त होते हैं। यह कमेटी किसके बारे में क्या विचार जाहिर करती है और कौन सदस्य किसके बारे में क्या राय देते हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती है। हो सकता है कि किसी की कुछ राय हो और किसी की कुछ राय हो। तो यह प्रणाली अच्छी न होगी।

यहां यह रखा गया कि ३ नाम भेजे जायं और उसके पश्चात् कुलपति उनमें से एक नाम नामिनेट कर दे। उपकुलपति के चुनाव की प्रणाली पर कई दफा विचार हो चुका है। पहले इस पर भी विचार किया गया था कि कुलपति के पास केवल एक ही नाम आये समिति के द्वारा और मजबूरन उसे वह नियुक्त कर दे, लेकिन इस तरीके को उचित नहीं समझा गया। उचित यही समझा गया कि समिति ३ नाम भेजे जिसमें से एक को वह नियुक्त कर दे। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका अर्थ यह होता है जो आधार के रूप से सही नहीं प्रतीत होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुये कहा कि कोषाध्यक्ष की नियुक्ति में यह रखा गया है कि कार्यकारिणी समिति द्वारा अगर एक ही नाम आये तो कुलपति उसे मान लेगा। लेकिन समिति तथा कार्यकारिणी में अन्तर है। समिति केवल ३ व्यक्तियों की है और कार्यकारणी में काफी संख्या होती है जिसमें यूनीवर्सिटी के शिक्षकों के अलावा बाहर के लोग भी होते हैं। कोषाध्यक्ष का सम्बन्ध एक्जिक्यूटिव कमेटी से होता है, वहां के आय व्यय से होता है जिसके कारण यह ठीक समझा गया कि अगर एक ही व्यक्ति का नाम प्रस्तावित हो और उसी से विश्वविद्यालय का हित हो सकता है तो कुलपति उसे नियुक्ति दे देगा। लेकिन उपकुलपति जो कि विश्वविद्यालय के लिये विशेष व्यक्ति है, जो वहां के सारे प्रशासन को चलाने के लिये होता है उसके लिये समिति को यह कहा जाय कि वह एक ही नाम भेजे तो कुलपति के लिये कोई मौका ही नहीं रहता है। यह प्रणाली ठीक नहीं प्रतीत होती है। इसलिये इस सुझाव को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री की बिना तर्क वाली बात को सुनकर मुझे अफसोस होता है। कुलपति जिसको नामिनेट करता है उसका नामिनी उस समिति में है। वह अगर किसी को नामिनेट करता है और उस पर उस समिति के दो सदस्य चीफ जस्टिस का नामिनी और कार्य-कारिणी का नामिनी अपनी स्वीकृति दे देते हैं और केवल एक नाम ही कुलपति के पास भेजते हैं तो वह व्यक्ति कुलपति का नामिनेटेड ही माना जाना चाहिये क्योंकि कुलपति का भी नामिनी उस समिति में उस व्यक्ति को नामिनेट कर के भेज रहा है। फिर इससे यूनीवर्सिटी में पार्टीबन्दी भी नहीं होगी, लेकिन अगर यह सब तर्क भी माननीय मंत्री मानने को तैयार नहीं हैं तो फिर इस विधेयक का परिणाम क्या होगा यह भगवान जाने और कांग्रेस सरकार जाने जब कि खंड ११ को और इसको इस तरह से डिफरेंशियेट किया जा रहा है। खंड ११ में दिया हुआ है कि....

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो आप कह चुके हैं।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि कुलपति जिसको नामीनेट कर दे और दोनों उसकी ताईद कर दें तो उसको माना जाय।

श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, मैं अपने तर्क उपस्थित कर चुका हूं और मैं अपनी बात माननीय कमलासिंह जी को नहीं समझा सका, उसके लिये मैं क्या करूं, लाचारी है। मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (४) के उपखंड (३) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :---

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि सर्व सम्मति से समिति द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सत्यनारायण पांडेय---

उपाध्यक्ष जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (४) (५) को निकाल दिया जाय और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"उपकुलपति" की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिषद् करेगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि (१) नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्ति कम से कम ५वर्ष तक किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रह चुका हो अथवा देश का माना हुआ शिक्षाविद्हो। (२) नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति किसी ह कोर्ट का भूतपूर्व न्यायाधीश तथा अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी न होगा।"

श्रीमन्, विश्वविद्यालय में उपकुलपति का पद मुख्य है और उपकुलपति की नियुक्ति के लिये जो प्रणाली है उसके अनुसार तीन आदमियों की एक समिति बनेगी। एक चांसलर का नामनी होगा, एक एग्जीक्यूटिव कौंसिल का चुना हुआ व्यक्ति होगा और एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नामनी होगा। इस कमेटी का कितना दुरुपयोग हुआ है? प्रयाग विश्वविद्यालय के नियम में यह है कि मुख्य न्यायाधीश का एक प्रतिनिधि होगा उस कमेटी में। उन्होंने स्वयं अपने आपको ही उस कमेटी में रख लिया। सरकार का इस कमेटी में कितना हाथ होता है, यह देखने की बात है। दूसरे यह कि चांसलर का प्रतिनिधि भी सरकार की राय से गवर्नर नामीनेट करता है और जो

मुख्यन्यायाधीश का प्रतिनिधि होगा तो वे या तो स्वयं होंगे या कोई उनका प्रतिनिधि होगा, वह भी सरकार के दबाव से होगा। इसलिये जो भी नाम आता है वह ज्यादातर ऐसा होता है जिसको सरकार चाहती है। अभी आगरा विश्वविद्यालय में जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई वह पहले प्रयाग विश्वविद्यालय में थे और इस सरकार को ही उन्हें हटाना पड़ा क्योंकि वे शासन नहीं चला सकते थे। अब फिर उनको आगरा में भेज दिया गया। इस तरह से उप कुलपति की नियुक्ति होती है। जो चयन समिति बनी है, वह ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि यूनिवर्सिटी कोर्ट से उप-कुलपति का चुनाव हो, लेकिन आप कहते हैं कि उसमें दलबदी होगी। श्रीमन्, प्रजातंत्र में दल-बंदी की भावना अच्छी है। लेकिन एक गुट विशेष जो कायम हो रहा है वह अच्छा नहीं है। जिसे दो चार व्यक्ति चाहते हैं वही वाइस चांसलर होता है। उपकुलपति की नियुक्ति के लिये मंत्री जी के पास दौड़ धूप नहीं होती है, बल्कि किसी खास व्यक्ति के यहां दौड़ धूप होती है और जिसको वह कहता है वही उपकुलपति नियुक्त होता है। जातीयता का बोल बाला रहता है। इससे तो डेमोक्रेटिक पार्टीबन्दी अच्छी है अपेक्षाकृत इसके कि एक पर्दे के पीछे लोग बैठकर, सूत्र-धार बनकर उपकुलपतियों की नियुक्ति कराते हैं। यह प्रणाली तो कभी भी विश्वविद्यालय के हित में नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि उपकुलपति की नियुक्ति यूनिवर्सिटी कोर्ट के द्वारा हो।

इसके अतिरिक्त उपकुलपति कौन हो, उसके लिये भी मेरा सुझाव है कि जो प्राध्यापक रह चुका हो, यूनिवर्सिटी में जिसने ५ साल तक शिक्षा दी हो, ऊंचा आदमी हो, विद्वान और चरित्र बल का हो। वह सरकारी कर्मचारी न रहा हो, वह शिक्षाविद् हो, उसको नियुक्ति किया जाये क्योंकि उसका मुख्य कार्य शिक्षा देना है। यह भी है कि जो सरकारी रिटायर्ड आदमी हैं, चाहे न्यायाधीश ही हो या अन्य कोई कर्मचारी हों, उन्हें कभी भी इस पद पर नियुक्त न करें। मैं न्यायाधीशों की नीयत पर हमला नहीं करता हूं। लेकिन न्यायाधीश भी यह उम्मीद करते हैं कि अवकाश प्राप्त करने पर कोई उच्च पद मिल जायगा। इस भावना से वह सरकार को खुश रखने के लिये गलत काम भी करते हैं, वह उचित निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त रिटायर्ड आदमी जिसकी ज्योति बुझ चुकी है और जो सदा से एक ऐसे महौल में रहा है जहां हां हजूरी और सलामी का बोलबाला रहता है, उसे उपकुलपति के उच्च और स्वतंत्र स्थान पर बैठाना कदापि उचित नहीं होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि राज्यपाल के द्वारा उसकी नियुक्ति न हो और ३ आदमियों की कमेटी का जो मखौल है वह न हो। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे स्वीकार करेंगे।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आज ५ बजे तक इसे खत्म होना है, समय बहुत कम है। इसलिये ऐसा होना चाहिये कि प्रस्तावक प्रस्ताव रखें और मंत्री जी का जवाब हो जाये और वोट ले लिया जाय तथा और डिस्कशन न हो।

श्री राधेश्याम शर्मा--

प्रस्तावक और हम लोग जो संशोधन के पक्ष में कहना चाहें वह लेने दिया जाये और मंत्री जी को उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई स्वीकार तो करते नहीं हैं। वह केवल एक वाक्य में यह कह दिया करें कि इसे मैं मानने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात सही नहीं है, प्रस्तावक कह दे और मंत्री जी अपनी बात कह लें।

(व्यवधान)

[श्री कृष्णानन्दराय--

श्रीमन्, सत्यनारायण पांडेय जी यह कहते हैं कि खंड ९ के उपखंड (४) और (५) को निकाल दिया जाये और हम लोगों की बदकिस्मती यह है कि खंड ९ (१) को हम लोग स्वीकार कर चुके हैं, जिसमें यह लिखा है "उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वह कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उस विश्वविद्यालय के लिये उसे उप-धारा (४) के उपबन्धों के अनुसार संघटित समिति द्वारा प्रस्तुत किये जायें, तो जब हम खंड ९ की उपधारा (४) के उपबंधों के अनुसार वाली बात स्वीकार कर चुके हैं तो उसको निकाल कैसे पाइयेगा ? इसलिये यह अवैध है, उसे आप ओवर रूल कर दें।

श्री राधेश्याम शर्मा--

मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं और वह यह है कि आपने कुलपति तो आदरणीय राज्यपाल को बना दिया और उपकुलपति के बनाने के लिये कमेटी बना दी और अंतिम मोहर राज्यपाल ही लगायेंगे। तो मेरा मतलब यह है कि इस तरह के संकुचित दायरे में बिलकुल कस देंगे विश्वविद्यालय को तो इसमें अनुशासन कैसे रहेगा ? हम समझते हैं कि ज्यादा लोगों से चुनाव कराने से दिक्कत हो तो हो, लेकिन ज्यादा उचित होगा। पहले वाले संशोधन को तो मैं समझता था कि वह आपकी नीति के खिलाफ हो सकता है लेकिन यह संशोधन तो आपकी नीति के समर्थन में ही है। इसलिये मैं समझता हूं कि आप इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि आपका विश्वास प्रजातंत्र में है और इसलिये यह होगा कि ज्यादा लोगों द्वारा चुने हुये लोगों से किया हुआ काम ज्यादा अच्छा होता है, यही मौलिक बात है।

*श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, पांडेय जी को सूचना मिली है वह बिलकुल निराधार मिली है और उन्हीं के आधार पर काल्पनिक बातों को सोचकर और अपने विचारों और संशोधनों को पांडेय जी ने रख दिया है। उपकुलपतियों की नियुक्तियों के विषय में जो बात उन्होंने कही है उसके लिये मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि जो भी उनकी सूचना है वह बिलकुल निराधार है। जिसने यह कहा है उनसे वह व्यक्ति अविश्सनीय है और पांडेय जी उसका विश्वास न करें। पहले कार्यकारिणी द्वारा उपकुलपति की नियुक्ति की प्रणाली थी। लेकिन अनुभव ने बताया कि यह प्रणाली ठीक काम नहीं कर रही है। उसमें दोष पैदा हो जाते थे। यह दुर्भाग्य है, क्योंकि हम लोकतन्त्र के शैशवकाल में चल रहे हैं इस वजह से दोष पैदा होते हैं। यद्यपि निराशा की बात नहीं है, लेकिन दोष तो है ही और जब दोष सामने आते हैं तो उनके निराकरण के लिये कोई न कोई उपचार तो होगा ही। इसलिये अनुभव के आधार पर और काफी विचार करने के पश्चात् यह तरीका निकला था। वैसे काफी विचारणीय विषय यह है और शिक्षाविदों और बड़े-बड़े शिक्षा कमीशनों से भी इस विषय में चिन्तायें प्रकट की हैं क्योंकि विश्वविद्यालयों की उन्नति होगी तो उसका स्तर, उसका अनुशासन उसका शोधकार्य सब ऊंचा उठेगा और यह सब चीजें उपकुलपति के ऊपर निर्भर होती है। जितना अच्छा उपकुलपति होगा, जितनी योग्यता के आधार पर उसकी नियुक्ति होगी उतनी ही जल्दी विश्वविद्यालय की उन्नति हो सकती है और उसकी उन्नति के अर्थ हैं विद्यार्थियों की उन्नति और विद्यार्थियों की उन्नति के अर्थ हैं समाज की तरक्की। इसी लिये अनुभव के आधार पर अभी हमने यह प्रणाली रखी है। मैं पांडेय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन आपने रखा है उससे उपकुलपति की नियुक्ति के विषय में कोई सुधार नहीं होने वाला है इसीलिये मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं। यह संशोधन मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (४) (५) को निकाल दिया जाय और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :--

"उप कुलपति, की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिषद् करेगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि (१) नियुक्ति किये जाने वाला व्यक्ति कम से कम ५ वर्ष तक किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रह चुका हो अथवा देश का माना हुआ शिक्षाविद् हो। (२) नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट का भूतपूर्व न्यायाधीश तथा अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी न होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बहुत सीधा सादा है और अनुभव के आधार पर है। वह इस प्रकार है--

खंड ९ के उपखंड (४) के भाग १ (ख) के समस्त शब्द "उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उक्त न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों अथवा सेवा निवृत्त न्यायाधीशों में से एक व्यक्ति" हटा दिये जायं और उनकी जगह निम्न शब्द रख दिये जायं :--

"आगरा विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातक, एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर रहता हो।"

श्रीमन्, मैं इसलिये यह संशोधन रख रहा हूं कि माननीय सत्य नारायण पांडेय ने जो बात कही कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की चयन समिति में यह नियम था कि मुख्य न्यायाधीश महोदय किसी जज का नाम देंगे, तो उन्होंने खुद को रख लिया। तो जहां कोर्ट के बारे में यह तजुर्बा हो कि मुख्य न्यायाधीश ने किसी स्वार्थवश खुद को चयन समिति में रख लिया, इसका कोई जवाब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं दिया कि यह तथ्य सही है या गलत है। इसका अर्थ यह है कि यह तथ्य सही है इसीलिये उहोंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इस सदन ने एक फैसला किया और इन न्यायाधीशों के गलत निर्णय के कारण ही पारसाल से आज तक लाखों रुपये सरकार के खर्च हो गये क्योंकि सदन के इस फैसले में उन्होंने अपनी तौहीन समझी।

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय यह सवाल नहीं है। देखिये टाइम ज्यादा है नहीं, इसलिये आप संबंधित विषय पर ही बोलें।

श्री दीपनारायणसिंह--

मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। इस सदन में हाई कोर्ट की राय के बारे में और सुप्रीम कोर्ट की राय के बारे में जब प्रस्ताव पास करने का सवाल उठा था तो आपने भी मुझसे उस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये कहा था।

श्री उपाध्यक्ष--

आप गलत कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा था।

श्री दीपनारायणसिंह--

सदन ने एक प्रस्ताव किया और एक साल तक सदन के साथ लड़ाई रही और उसके बाद भी न्यायालय के न्यायाधीशों को न्याय का पुंज मान लेना कि सेवा निवृत्ति के बाद भी वे ऐसे स्थानों पर रह सकें...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस सम्बन्ध में कोई तर्क न दें। जल्दी समाप्त करें।

श्री दीपनारायणसिंह--

मेरा कहना है कि एक तरफ सदन द्वारा उनके विरोध में प्रस्ताव पास करना और फिर उनको इसी सदन द्वारा इस तरह के अधिकार देना ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं।

दूसरी बात यह है कि जब विश्वविद्यालयों का कोई झगड़ा रिट के रूप में हाई कोर्ट में जायेगा तो उन्हीं के आदमी इस में होंगे तो उसके खिलाफ वे कैसे फैसला कर सकेंगे ? वे तो उसमें इन्टरेस्टेड हो जायेंगे। इस तरह से हाई कोर्ट के किसी जज को विश्वविद्यालय में रखने का मतलब यह है कि न्याय के साथ पक्षपात कराना। ऐसी हालत में हाई कोर्ट का सम्बन्ध किसी विश्वविद्यालय से होने का मतलब यह है कि जनतन्त्र व न्याय प्रणाली का खून होगा, इस लिए आपसे प्रार्थना है कि हाई कोर्ट के जजों को आप ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्थानों पर न रखें वरना उनमें एक लिप्सा जाग्रत होगी और वे न्याय के मामले में भी पक्षपात से काम लेंगे। जब से न्यायाधीश लोग गवर्नर बनाये जाने लगे तब से वे सरकार के पक्ष में फैसला देने लगे। फजल अली का इस तरह का फैसला हुआ। इस प्रकार से इंग्लैण्ड में नहीं है जो मदर आफ डेमोक्रैसी का देश कहा जाता है। वहां पर कोई जज किसी भी शासन पर काम नहीं करता है, लेकिन यहां पर आपने एक नयी प्रणाली जारी की। जैसा कांग्रेस में कहीं का मुख्य मन्त्री हार जाय या पद से हटा दिया जाय तो उसको गवर्नर बना दिया जाता है। इसी प्रकार से आप हाई कोर्ट के जज को अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि वह हमेशा आपके अनुसार फैसला देता रहे। यह प्रजातन्त्र का आप खून कर रहे हैं।

मेरा तीसरा तर्क यह है कि आप इस बात को मानते हैं कि हाथ उठाने की योग्यता होनी चाहिये। यहां पर ऐसे लोग शासन कर रहे हैं और दिल्ली में भी शासन कर रहे हैं जिन को योग्यता की कसौटी पर नहीं तोला गया है। उनके ऊपर किसी प्रकार की बन्दिश नहीं है। आपके यहां वाइस चांसलर भी एक गवर्नर के द्वारा ही नियुक्त होता है। तो मेरा कहना यह है कि आपके यहां हाथ उठाने भर की योग्यता हो तो वह शासन कर सकता है, तो कम से कम जो वाइस चांसलर नियुक्त हो तो उसमें इतनी योग्यता तो होनी ही चाहिये कि वह ग्रैजुएट हो या पोस्ट ग्रैजुएट हो। जब बहुत से विधायक और एम० पी०, इस देश प्रदेश में हुकूमत कर रहे हैं तो उनसे तो वह अच्छा ही होगा। एक तरफ जो हजूरी और कोटा परमिट वाले लोग हैं, उनको आप बहुत काबिल मानते हैं तो अब जो जजेज हैं उनको भी आप अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। आप विद्वान हैं आप ही हो जाइये या जुगल किशोर जी को बना दीजिये, लेकिन जजों को इसके अन्दर न घुसाइये। पोस्ट ग्रेजुएट को घुसाइये जो पढ़ा लिखा आदमी है।

श्री कैलाशप्रकाश--

उपाध्यक्ष महोदय, जो तर्क प्रस्तावक महोदय ने दिये हैं उनको मानते हुये भी यदि इस संशोधन को मान लिया जाय तो यह विधेयक लंगड़ा हो जायगा। संशोधन यह है कि एक ग्रैजुएट होगा। कौन नियुक्त करेगा ? जिस उपधारा की जगह यह रखा जाय वह यह है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त करेगा। तो वह एक व्यक्ति ग्रैजुएट कौन नियुक्त करेगा ? यह तो लंगड़ा हो गया। इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड ४ के भाग १(ख) के समस्त शब्द "उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम निर्देशित उक्त न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों अथवा सेवा निवृत्त न्यायाधीशों में से एक व्यक्ति "हटा दिये जायें और उन की जगह निम्न शब्द रख दिये जायं :

"आगरा विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रैजुएट, स्नातक, एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर रहता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११-१४

कोषाध्यक्ष

११--(१) कोषाध्यक्ष आगे दी गयी रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा :--

(क) कार्यकारिणी परिषद्, यथाशक्य शीघ्र, उस दिनांक से, जब से कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला हो, कम से कम तीस दिन पूर्व, और जब कभी भी कुलपति द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, कुलपति के पास कोषाध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम भेजेगी।

(ख) यदि ऐसे प्रस्तावित नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खण्ड (क) के अधीन कुलपति को प्रस्तुत किया गया हो, तीन से अधिक न हों, तो परिषद् इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी, किन्तु यदि नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो परिषद् प्रस्तावित नामों में से तीन नामों का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करेगी।

(ग) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो। अन्य दशाओं में, कुलपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त करेगा जिनके नाम खण्ड (ख) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम कोषाध्यक्ष की नियुक्ति और कोई अनुवर्ती नियुक्ति, जिसे कार्यकारिणी परिषद् के संघटित होने तक के लिए करना अपेक्षित हो, कुलपति द्वारा की जा सकती है।

(२) कोषाध्यक्ष का कार्यकाल, उक्त पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगा, किन्तु वह कार्यकाल की समाप्ति पर भी, तब तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय। उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से ऐसा पारिश्रमिक (यदि कोई हो) मिलेगा जो नियत किया जाय।

(३) कोषाध्यक्ष के त्यागपत्र, सेवा की शर्तें, अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति और उसके साम्प्रतिक कर्त्तव्यों का पालन करने की व्यवस्थाओं से सम्बद्ध उपबन्ध वही होंगे जो नियत किये जायें।

(४) कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सदस्य होगा और विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनियोजित धनराशियों का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय

नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगा। वह वार्षिक अनुमानों (जिन्हें आगे बजट कहा गया है) तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(५) कोषाध्यक्ष का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा:—

(१) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा विनियोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कोई ऐसा व्यय न किया जाय जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को न होने देना जिससे किसी परिनियम या अध्यादेश की शर्तों का उल्लंघन हो अथवा जिसके लिए परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो, किन्तु की न गयी हो।

(६) कोषाध्यक्ष ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें।

रजिस्ट्रार

१२—(१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा जिसे कार्यकारिणी परिषद् चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करेगी, जिसमें (समिति में) निम्नलिखित होंगे, अर्थात्

(१) उपकुलपति,

(२) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक शिक्षाविद्, और

(३) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा तदर्थ नामनिर्दिष्ट एक सदस्य।

(२) रजिस्ट्रार की सेवा की शर्तें, जिसके अन्तर्गत उसे देय वेतन तथा भत्ते भी हैं, वही होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं।

(३) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुहर की यथोचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद्, विद्वत् परिषद् तथा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों का पदेन सचिव होगा, और इन प्राधिकरणों के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें रखने के लिए बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें अथवा समय-समय पर कार्यकारिणी परिषद् या उपकुलपति द्वारा अपेक्षित हों।

(४) वह, विद्वत् परिषद् द्वारा दिये गये किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुये परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए अन्य सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगा तथा उनसे सम्बद्ध सभी प्रक्रियाओं के यथोचित निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(५) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए, ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा की जाय, न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायगा, और न वह उसे स्वीकार करेगा।

अन्य अधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य

१३—कुलपति, उपकुलपति, कोषाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य वही होंगे जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें।

अध्याय ५

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

१४—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे : विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

(१) कोर्ट,

(२) कार्यकारिणी परिषद्,

(३) वित्त समिति,

(४) विद्वत् परिषद्,

(५) फैकल्टियां,

(६) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां, और

(७) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायें।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के स्थान पर यह रखा जाय कि एक "वित्त अधिकारी की नियुक्ति सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायगी।"

मैं, श्रीमन्, अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जो कोषाध्यक्ष नियुक्त होते हैं, उन्हें अपने दूसरे कामों से फुर्सत नहीं मिलती युनिवर्सिटी के कामों को देखने के लिए। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के कोषाध्यक्ष हमारे ऐडवोकेट जनरल हैं, उन को समय ही नहीं है। इसी वजह से वहां के कर्मचारियों के सर्विस रूल्स आज तक नहीं बन पाये हैं। इसलिए मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि उस के स्थान पर आप एक वित्त अधिकारी की नियुक्ति कर दें जो सारे लेखे जोखे की देखरेख रखेगा और वित्त सम्बन्धी अड़चनों को दूर करेगा। इसलिए मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि मेरा यह संशोधन वह स्वीकार कर लें।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो कमीशन बैठा था उसने भी कुछ संस्तुति की थी और यह विषय कोषाध्यक्ष का बहुत से विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित है, उन से जो केन्द्र शिक्षण का कार्य करते हैं, जैसे लखनऊ या इलाहाबाद या गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो इन संस्तुतियों पर विचार करने पर यदि उचित समझा जायगा कि सुव्यवस्था के लिए उन में कुछ परिवर्तन आवश्यक है तो वह दूसरे विश्वविद्यालयों में भी लागू होंगे और उन के साथ इस में भी लागू हो जायेंगे। यह तो अभी सम्बद्ध विश्वविद्यालय है, इस में इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ११ के स्थान पर यह रखा जाय कि "एक वित्त अधिकारी की नियुक्ति सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ११ से १४ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५

१५—कोर्ट में निम्नलिखित होंगे :— कोर्ट ।

वर्ग १—पदेन सदस्य—

(१) कुलपति,

(२) उपकुलपति,

(३) शिक्षा मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार,

(४) सार्वजनिक स्वास्थ्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार,

(५) कोषाध्यक्ष,

(६) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य,

(७) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,

(८) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश,

(९) विश्वविद्यालय में अथवा संघटक कालेजों में, यदि कोई हों, शिक्षण विभागों के सभी अध्यक्ष,

(१०) समस्त संघटक कालेजों के, यदि कोई हों, प्रिंसिपल, और

(११) सम्बद्ध कालेजों के प्रिंसिपल उतनी संख्या में जो नियत किये जायें ;

वर्ग २—आजीवन सदस्य—

(१) ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या शिक्षा के प्रति की गयी उत्कृष्ट सेवाओं के आधार पर कुलपति द्वारा आजीवन सदस्य नियुक्त किये जायें :

प्रतिबन्ध यह है कि कोर्ट में उनकी संख्या किसी समय चार से अधिक न होगी ;

(२) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय या उसके किसी संघटक कालेज के प्रयोजनार्थ कम से कम बीस हजार रुपये का दान दिया हो ;

(३) ऐसे व्यक्ति जो पूरे एक कार्यकाल के लिए उन विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर रहे हों ;

वर्ग ३—दान दाता एवं उनके प्रतिनिधि—

ऐसे व्यक्तियों के, जिन में से प्रत्येक ने विश्वविद्यालय या उसके किसी संघटक कालेज के प्रयोजनार्थ कम से कम पांच हजार रुपये किन्तु बीस हजार रुपये से अनधिक का दान दिया हो, दस से अनधिक ऐसी संख्या में प्रतिनिधि जो परिनियमों द्वारा अवधारित की जाय ;

वर्ग ४—विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति—

पांच से अनधिक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, कृषि, विद्वत् संस्थाओं तथा विद्वत् व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

वर्ग ५—निबद्ध स्नातकों के प्रतिनिधि—

विश्वविद्यालय के निबद्ध स्नातकों के उतनी संख्या में प्रतिनिधि, जो नियत की जाय।

वर्ग ६—उत्तर प्रदेश विधान मंडल के प्रतिनिधि—

(१) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के दो सदस्य, जो परिषद् द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ;

(२) उत्तर प्रदेश विधान सभा के पांच प्रतिनिधि, जो विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

वर्ग ७—अध्यापकों, छात्रावासों के पर्यवेक्षी कर्मचारिवर्ग तथा प्रबन्धकारिणी के प्रतिनिधि—

(१) विश्वविद्यालय, संघटक कालेजों, यदि कोई हों, और सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के उतनी संख्या में प्रतिनिधि, जो नियत की जाय;

(२) छात्रावासों के पर्यवेक्षी कर्मचारिवर्ग तथा विश्वविद्यालय के बाहर पाठ्यचर्यातिरिक्त (extra mural) कार्यकलापों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतनी संख्या में व्यक्ति, जो नियत की जाय ;

(३) सम्बद्ध कालेजों की प्रबन्धकारिणी के उतनी संख्या में प्रतिनिधि, जो नियत की जाय।

वर्ग ८—कुलपति के नामांकित—

(१) कुलपति के दस से अनधिक नामांकिती ;

(२) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये प्रत्येक वर्ग की सदस्यों की संख्या, उनका कार्यकाल, उनकी नियुक्ति, निर्वाचन या नामनिर्देशन की रीति वही होगी जो नियत की जाय ;

(३) कोर्ट, पदेन अथवा आजीवन सदस्यों को छोड़कर किसी भी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है जो बिना पर्याप्त कारण के कोर्ट की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन तब तक कार्यवाही नहीं की जायगी जब तक कि प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाय।

खण्ड १५

श्री सत्यनारायण पांडेय—

यह संशोधन अब आवश्यक नहीं है, मैं पेश करना नहीं चाहता।

*श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के वर्ग (२) का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

श्रीमन्, इसमें व्यवस्था है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय या उसके किसी सम्बद्ध कालेज के प्रयोजनार्थ कम से कम २०,००० रुपये का दान दिया हो। ऐसे व्यक्ति जो हैं वह इस विधेयक की व्यवस्था के अनुसार कोर्ट के सदस्य हो जायेंगे। श्रीमन्, जब मैं इस विधेयक पर पहली बार बोल रहा था, उस समय भी शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान मैंने आकर्षित किया था कि इस प्रकार की व्यवस्था करना कि विश्वविद्यालय कोर्ट में हर आदमी सदस्य हो जायगा जो २० हजार या उस से अधिक रुपया विश्वविद्यालय को दान स्वरूप दे। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गैर-जनवादी और शिक्षा क्षेत्र के माने जाने चित्र के बिलकुल अनुरूप नहीं है। शिक्षा मन्त्री कह सकते हैं कि रुपये की कमी के कारण सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, लेकिन यह क्राइटेरिया कोर्ट की सदस्यता के लिए बनाना बहुत गलत है और उससे खास तौर से कानपुर को खतरा है जहां कम से कम २० व्यक्ति ऐसे हैं जो लखपती कहे जाते हैं। यूसुफ साहब कह रहे हैं कि हजार हैं। तो काफी संख्या है। अगर वह कोर्ट के ऊपर हावी होने का इरादा बना लें तो कई व्यक्तियों के नाम से २०-२० हजार रुपया दान देकर वह कोर्ट में अपना बहुमत बना सकते हैं। यह बड़ा भारी खतरा है जिस से हमें शिक्षा संस्थाओं को बचाना चाहिये। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक बार इरादा बना लिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हुये सर सैयद अहमद खां ने पुख्ता इरादा बनाया तो वे भिक्षा की झोली लेकर निकले और इस देश के लोगों ने यह महसूस किया कि अच्छे विश्वविद्यालय होने चाहिये। तो जब साधना और लगन हो तो ये काम पूरे हो सकते हैं। आज हम वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं जिस के अन्दर सरकार का सब से बड़ा कर्त्तव्य है कि शिक्षा की यहां उचित व्यवस्था करे और सरकार इस सम्बन्ध में कदम उठा रही है, हालांकि जरूरत को देखते हुये वह कदम कम है। शिक्षा मन्त्री जी ने कहा था कि कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय को अच्छा विश्वविद्यालय बनाने का इरादा हमारा भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि पैसा नहीं है, इसलिए फिलहाल तो नहीं, लेकिन आगे चलकर जैसे-जैसे स्थिति अच्छी होगी उनको अवश्य ऐसा रूप प्रदान करेंगे जिससे वह अच्छे शिक्षा के मंदिर बन सकें। इस प्रकार की व्यवस्था १९२५ में जब आगरा विश्वविद्यालय विधेयक बना तो उस में की गयी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्दर भी ऐसी व्यवस्था है, लेकिन आज कानपुर में सब से ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है।

मैंने पहिले भी कहा था कि हरिश्चन्द्र कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कानपुर में इस प्रकार की शिकायत की गयी है कि एक चेन आफ मैनेजमेंट्स और कुछ फैमिलीज हैं जिनकी इजारेदारी हो गयी है कि कालिजों के ऊपर वह हावी हो गये हैं और जब विश्वविद्यालय की स्थापना कानपुर में की जाय तो खासतौर से इस पर तवज्जह देनी चाहिये कि २-३ परिवार जिनका कि शिक्षा पर एकाधिकार है, जो मनमाने तौर से शिक्षा संस्थाओं को अपने स्वार्थों के लिए प्रयोग करते हैं उन से आगाह होना चाहिये। शायद मन्त्री जी को ऐसी जानकारी नहीं हुई। मैंने अगले संशोधन में कहा है कि ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व आप करें, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिये कि ५ से ज्यादा ऐसे व्यक्तियों का स्थान नहीं होना चाहिये अगर उनका शिक्षा से प्रेम हो। फिर यह जो प्रश्न था कि हर प्रकार का प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालय की कोर्ट के अन्दर होना चाहिये वह मन्तव्य भी इस से पूरा हो जायेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। आज के प्रगतिशील समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में भी उद्योगपतियों की इजारेदारी को निमंत्रण देना, मैं समझता हूं ठीक न होगा। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को मान लेंगे।

*श्री कैलाशप्रकाश--

मान्यवर, पहले भी मैंने अपने कुछ विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त किये थे। यह बात सही है कि हमारे प्रदेश में कानपुर का वह स्थान है कि जहां ऐसे लोग हैं जो देना चाहें तो २०-२०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हजार रुपया दे कर काफी संख्या में इसके सदस्य हो सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य इस बात को देखें कि यह सदस्यता किस चीज की दी जा रही है? वे जनरल बाडीज के सदस्य होंगे। जनरल बाडीज में ८ वर्ग के प्रतिनिधि आवेंगे, और उन ८ वर्ग के प्रतिनिधियों में सम्बद्ध कालेजों के प्रतिनिधि भी होंगे। तो जो आशंका माननीय सदस्य को हो रही है वह होने वाली नहीं है। जो बनेंगे, वे तो जनरल बाडीज के सदस्य बनेंगे। फिर कल यह भी बात कही गयी कि कानपुर में यह निर्जीव विश्वविद्यालय क्यों बनाया जा रहा है, शासन को अगर धन की जरूरत है तो वह कानपुर में उपलब्ध किया जा सकता है। हां, वहां से उपलब्ध हो सकता है, लेकिन एक तरफा कहा जाता है कि साधन उपलब्ध भी करो, दूसरी तरफ अगर यह व्यवस्था रखी जाती है तो उसका भी विरोध होता है। तो यह बड़ा मुश्किल है।

फिर एक बात और है। सम्बद्ध कालेजों से तो वे आ ही सकते हैं। वहां पर वे २० हजार रुपय दे कर वहां के सदस्य बन सकते हैं और उसके द्वारा आ सकते हैं। उनके लिये रास्ता खुला है। तो उस दृष्टिकोण से भी इसको हटाना ठीक नहीं होगा। जो आशंका है कि धनी लोग अपना प्रभुत्व जमा लेंगे, यह ठीक नहीं है। इसमें काफी संख्या दूसरे लोगों की होगी और वे बहुमत में होंगे। इसलिये ऐसी कोई आशंका नहीं है। अन्य विश्वविद्यालयों में जहां इस तरह की व्यवस्था है वहां भी यह आशंका प्रदर्शित नहीं हुई है। इसलिये मैं यह संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

श्रीमन्, एक मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कायदे के खिलाफ है। अब तो यह चल रहा है कि वह पेश करेंगे, मंत्री जी जवाब देंगे, फिर वोट ले लिये जायेंगे।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

अच्छा एक मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

एक मिनट ले लीजिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

आज शिक्षा संस्थायें पूंजीपतियों के लिये कारखाने जैसे पैसे कमाने का जरिया होती जा रही हैं। आपको इस व्यवस्था से इस बात को और प्रोत्साहन मिलेगा। आप रुपया चाहते हैं, ठीक है। अंग्रेज रुपये के लिये किसी को सर बना देते थे, खान बहादुर और राय बहादुर बना देते थे। जे० पी० श्रीवास्तव ने लड़ाई में बहुत पैसा दिया तो उन्हें 'सर' बना दिया। पद्मपतजी को कोई सर साहेब कह देते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से आपके पास भी पद्म चक्र वगैरह हैं, आप भी इनको ये चक्र दीजिये तो बहुत पैसा मिल जायेगा। आप तो, मंत्री जी, बहुत समझदार हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि एजूकेशन में इन लोगों का लाकर खराब मत कीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं यूसुफ साहब की इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि हमारी शिक्षा संस्थायें कारखाने नहीं बनने चाहिये। अगर कहीं ऐसा है तो वह कृपया सहयोग दें और मेरा भी पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा कि ऐसी बात दूर हो। किन्तु केवल इस धारा के रहने से विश्वविद्यालय कारखाने का रूप नहीं ले सकते हैं। इसलिये मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५ के वर्ग (२) का उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री चन्द्रजीत यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के वर्ग (३) की पंक्ति ३ में शब्द "दस" के स्थान पर "पांच" रख दिया जाय ।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस विधेयक में पैसे वालों की दो श्रेणियां बना दी हैं । एक तो २०,००० से ज्यादा रुपया देने वालों की और दूसरी ५ से २० हजार रुपये तक देने वालों की । २०,००० से अधिक वालों की संख्या असीमित होगी । दूसरों की संख्या के बारे में शायद मंत्री जी को अहसास होगा कि वह बहुत ज्यादा हो जायगी, इसलिये उनकी संख्या १० से ज्यादा न रखने की बात कही गई है । अगर आपकी पूंजीपतियों से इतनी ज्यादा मुहब्बत है और चूंकि अभी कुछ दिनों तक आपका रिश्ता उनसे कायम रहेगा, तो उसके लिये मेरी सलाह है कि उनकी संख्या ५ से अधिक न रखें । मैं इस बात को मानता हूं कि कोर्ट बहुत अनवील्डी, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिये और आप की उनकी संख्या पर १० की पाबंदी भी यही जाहिर करती है कि आप इस बात को मानते हैं । इसलिये इस संशोधन को मानने में मंत्री जी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, जिस रिश्ते के लिये चन्द्रजीत जी ने कहा, वह कभी अगर हमारा था तो अब टूटता जाता है और उनका बनता जा रहा है । मेरी राय में १० की संख्या ठीक है और मैं इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५ के वर्ग (३) की पंक्ति तीन में शब्द "दस" के स्थान पर "पांच" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री दीपनारायणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अध्याय ५ के खंड १५ के वर्ग ४--विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के आगे की समस्त शब्दावली निम्न प्रकार संशोधित करके रख दी जाय--

"पांच से अधिक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर कृषि, विद्वान् संस्थाओं तथा विद्वान व्यवस्थाओं, जैसे वकालत या साहित्यिक संस्थाओं अथवा किसी भी प्राविधिक ज्ञान के कार्यों में संलग्न हों, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायं ।

इसमें मेरा मतलब यह है कि इस में से वाणिज्य और व्यवसाय के लोगों को हटाकर वकीलों तथा अन्य साहित्यिक लोगों को रख दिया जाय । क्योंकि व्यवसायियों को आपने वर्ग तीन में रख लिया है । पूंजीपतियों के लिये उसमें आपने आकर्षण रख दिया है कि जो २० हजार रुपये देगा वह उसमें रख लिया जायगा । लेकिन इसमें फिर व्यवसायियों को रखना उचित न होगा । माननीय मंत्री जी ने श्री चन्द्रजीत यादव का संशोधन अस्वीकार करते हुये कहा कि इस लालच में वे उसमें आयेंगे और रुपया मिल जायगा । दानदाताओं को आपने रखा, लेकिन उनको यहां

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दुबारा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें साहित्यिक और वकीलों को रखा जाय जो बुद्धिवादी होते हैं, उनसे इस संस्था का भला होगा। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी मेरे इस छोटे से संशोधन को मान लेंगे और इस में से व्यवसायियों को हटा देंगे।

*श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, इस संशोधन को मान लेने का आग्रह तो बहुत है, लेकिन मैं उसको मानने में असमर्थ हूं। वकीलों के लिये आगे एक वर्ग बना रखा है। जिस वक्त यह विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था तो मैंने शिक्षा उद्देश्य वह भी बताया कि समाज के विभिन्न अंगों को इसलिये रखा जा रहा है कि वे लोग अपने-अपने कार्य के विशेषज्ञ होते हैं। जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसका उन्हें अनुभव होता है, इसलिये वे उसमें अपनी सलाह दे सकते हैं। जैसे कृषि और व्यवसाय का क्षेत्र है, उनके सुझावों से छात्रों को भी लाभ मिल सकता है और इस प्रकार से विश्वविद्यालय के पाठ्य-क्रम को एक दिशा दी जा सकती है। ऐसे कुशल व्यवसायी भी हो सकते हैं जो २० हजार न दे सकते हों, वे इसमें आ सकते हैं। उनके अनुभव से लाभ उठाने के लिये उनको यहां रखा गया है फिर इसमें उनकी संख्या भी अधिक नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मित्रों को इस धारा को स्वीकार करने में कोई एतराज न होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अध्याय ५ के खंड १५ के वर्ग ४--विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के आगे की समस्त शब्दावली निम्न प्रकार से संशोधित कर के रख दी जाय--

> "पांच से अधिक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर कृषि, विद्वान् संस्थाओं तथा विद्वान् व्यवस्थाओं, जैसे वकालत या साहित्यिक संस्थाओं अथवा किसी भी प्राविधिक ज्ञान के कार्यों में संलग्न हो, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि खंड १५ के वर्ग (४) के शब्द "विद्वत् संस्थाओं" और शब्द "तथा" के बीच शब्द "महिला" रख दिया जाय .....।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपत्ति करना चाहता हूं कि यह संशोधन अनियमित है और श्री कृष्णानन्द राय जी भी इसे देख कर सफाई दे सकते हैं। इस खंड १५ के वर्ग (४) में लिखा है कि "५ से अनधिक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, कृषि, विद्वत् संस्थाओं तथा विद्वत् व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे"। "तो संस्थाओं" और "तथा" के बीच में शब्द "महिला" आ जाने से वह "महिला तथा विद्वत् व्यवसायों हो जायेगा और इस तरह से तो अर्थ का अनर्थ हो जायगा। यदि यह संस्थाओं के पहले आया होता तो .....

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

श्रीमन्, मैं तो मैनेजर सिंह की आपत्ति पर आपत्ति कर रही हूं। इसका आशय ठीक है और वह यह है कि.....

श्री मैनेजर सिंह--

उपाध्यक्ष जी, इस से तो अनर्थ हो जायगा, यह महिला व्यवसाय का प्रतिनिधित्व क्या होगा?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार जो रखा है उसी के अनुसार मैं निवेदन कर रही हूं। मेरा कहना है कि 'महिला' शब्द को आप 'संस्थाओं' से नहीं जोड़ सकते। वह तो जननी हैं उनको आप संस्था में कैसे लायेंगे। मैं महिला के नाम पर कहूंगी कि महिला एक ऐसा शब्द है कि जो संस्थाओं या व्यवसायों में नहीं जोड़ा जा सकता है। माननीय कमलासिंह जी सुनें, उनका आधा नाम तो महिला का ही है। मैं मंत्री जी को पहले बधाई देना चाहता हूं कि यह कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते उन्होंने कृषि को उचित स्थान दिया है और उसका यहां विशेष प्रतिनिधित्व कराया है और वाणिज्य की ओर भी उनका ध्यान गया है, ठीक भी है, जब तक उद्योग और कामर्स की तरफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे हम अपनी योजनाओं में प्रगति नहीं कर सकते, बिना उनके प्रतिनिधित्व के भी हम आगे नहीं चल सकते। अब मैं 'महिला' शब्द पर आ रही हूं। जैसे आपने यहां अन्य विशेष हितों का प्रतिनिधित्व कराया है उसी प्रकार आज की शिक्षा प्रणाली में जहां प्रदेश में ५१ प्रतिशत महिलायें हैं .....

श्री उपाध्यक्ष--

वह आपका ठीक है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मैं केवल यह कहना चाहती थी कि महिलाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में इस सरकार ने समय समय पर कई कमेटियां बिठाईं और उसका महत्व यही रहता था कि महिला वर्ग जो शिक्षा में यहां बहुत पिछड़ा है वह एक उचित स्तर पर आ सके और महिलाओं की शिक्षा को भी हम उठाकर एक उच्च स्तर पर ला सकें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर करीब-करीब ५१ प्रतिशत महिलाओं की आबादी है वहां पर अगर उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है तो वे अपने हितों के लिये इस पर विशेष ध्यान दे सकेंगी। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि जहां पर उन्होंने महिलाओं को प्राथमिक स्टेज पर ऊपर उठा दिया है और राजकीय स्तर पर भी एक बोर्ड बना रखा है तो इसी तरह से यहां भी प्रतिनिधित्व देने की कृपा करेंगे।

श्री चन्द्रजीतयादव--

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने महिलाओं की भावनाओं का आदर अभी तक नहीं किया लेकिन महिलाओं के महत्व को समझते हुये यह प्रस्ताव जो है, इसको आप स्वीकार कर लें।

श्री कैलाश प्रकाश--

उपाध्यक्ष जी, मैंने माननीय चन्द्रजीत यादव जी की बात सुनी। मैं महिलाओं का बहुत अधिक आदर करता हूं। उनकी शिक्षा के बारे में भी कहता ही रहता हूं, लेकिन जब एक संशोधन आया था महिलाओं के बारे में तब भी मैंने यह कहा था कि वर्गीकरण करना कोई अच्छी बात नहीं है। कोर्ट में सदस्यों के वर्ग रखे गये हैं। महिलायें तो आ ही सकती हैं। महिलायें ऐसी नहीं हैं कि वे २०,००० रु० न दे सकें। दूसरे, महिलायें जो हैं वे ५ हजार रुपये दे कर वर्ग ३ में आ सकती हैं और श्रीमन्, स्नातक जो हैं वर्ग ५ में उसमें भी महिलायें आ सकती हैं जो बड़ी योग्य हैं वे भी प्रतिनिधि बन सकती हैं। अगर उसमें भी बच जायं तो वर्ग ८ में जिसमें कुलपति द्वारा नामांकित होते हैं, उसमें आ सकती हैं। तो महिलाओं के लिये सब दरवाजे खुले हुए हैं। अतः यद्यपि माननीय सुशीला जी के संशोधन के बारे में जो महिलाओं के विषय में है, मुझ पर जोर पड़ता है, पर मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५ के वर्ग (४) के शब्द 'विद्वत् संस्थाओं" और शब्द "तथा" के बीच शब्द "महिला" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रजीत यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि--

खंड १५ के वर्ग (४) की पंक्ति दो में "राज्य सरकार द्वारा" के स्थान पर "कुलपति" रख दिया जाय।"

इसमें यह होगा कि किसी विशेष व्यक्ति को जो किसी भी विषय का विशेषज्ञ होगा उसके नामांकन का प्रश्न राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। आपको यह अधिकार उप-कुलपति को देना चाहिये, लेकिन जब आप यह स्वीकार करते हैं कि जो कुलपति हो वह शिक्षा विद् हो और ख्याति प्राप्त होना चाहिये तो अब तो आपका कुलपति गवर्नर ही होगा। उन्हें कहीं-कहीं पर अपनी डिस्क्रिशन प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिये कि वे एक एक्सपर्ट को नामांकित कर सकें। सरकार ने रास्ता खोलने के लिये यह बात की है। इसमें कई रास्ते इस बात के लिये खोले गये हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को कोर्ट में भेजे, इसमें स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा १० व्यक्ति नामिनेट होंगे। आगे चलकर कुलपति को अधिकार दिया गया है कि वह १० व्यक्ति नामिनेट कर सकेगा और फिर पूंजीपतियों के नामिनेटेड लोग होंगे तो कोर्ट का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है वह कुछ ऐसा है कि सरकार के नामिनेटेड लोग ज्यादा होंगे और पैसे वालों के प्रतिनिधि होंगे जो मुनासिब नहीं है।

विशेषज्ञों के नामांकन का जहां तक प्रश्न है इसका कैसा दुरुपयोग होता है इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। कौंसिल के अन्दर यह व्यवस्था है कि गवर्नर ५ ऐसे व्यक्तियों को नामिनेट करेंगे जो कला, साहित्य, विज्ञान अथवा किसी अन्य विषयके विशेषज्ञ हों। यह भी है कि सामाजिक कार्यकर्त्ता हों। उसको इस्तेमाल करके भूतपूर्व मुख्य मंत्री के भाई को तथा मौजूदा माल मंत्री के भतीजे को नामांकित कर दिया है और विधान का गलत इंटरप्रिटेशन कर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस लिये विधेयक के अन्दर भी इसी तरह की व्यवस्था होगी तो इससे हानि होगी। इसलिये मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांण्डपाल)--

अगर गिलोटीन करने का विचार रखते हों तब तो ठीक है वर्ना मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

५ बजे तक का समय इसके लिये सदन निश्चित कर चुका है लिहाजा अभी इस प्रस्ताव की जरूरत नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव--

सदन को अधिकार है कि अगर एक प्रस्ताव के बाद दूसरा प्रस्ताव सर्वसम्मति से आ जाय तो कार्यक्रम बदला जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी ऐसी बात नहीं है।

श्री कैलाशप्रकाश--

पांडेय जी ने कहा था कि घुमा कर नाक क्यों पकड़ी जाती है, राज्य सरकार रखा जाय और चन्द्रजीत जी को उस पर आपत्ति है। मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५ के वर्ग (४) की पंक्ति दो में "राज्य सरकार द्वारा" के स्थान पर "कुलपति" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के वर्ग (४)-विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति वाक्य "पांच से ------द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जावेंगे" को पैरा नं० (१) कर के नया पैरा नं० (२) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :

"(२) सम्बन्धित क्षेत्र की जिला परिषद्, विधान मंडल सदस्य तथा हरिजन समाज सुधार कार्यकर्त्ताओं में से प्रत्येक से दो-दो प्रतिनिधि अपने में से चुन कर भेजेंगे।"

यह संशोधन बहुत ही सीधा-सादा है। इससे यह तात्पर्य है कि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में जो संस्थायें काम करती हैं, जिला परिषदें हैं, विधान मंडल के सदस्य हैं, हरिजन संस्थायें हैं उनका भी प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालय की कोर्ट में होना आवश्यक है जिससे उनके प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रख सकें और ग्रामीण क्षेत्र के हितों पर भी वहां विचार हो सके। इन बातों को मद्देनजर रख कर माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, विधान मंडल का यदि माननीय सदस्य देखेंगे तो वर्ग ६ में प्रतिनिधित्व दिया गया है और जिला परिषद् या हरिजन समाज सुधार के कार्यकर्त्ताओं को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस तरह से बहुत वर्गीकरण करना अच्छा नहीं होता है, इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५ के वर्ग (४)--विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति वाक्य "पांच से-------द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे" को पैरा नं० (१) करके एक नया पैरा नं० (२) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय--

"(२) सम्बन्धित क्षेत्र की जिला परिषद्, विधान मंडल सदस्य तथा हरिजन समाज सुधार कार्यकर्त्ताओं में से प्रत्येक से दो-दो प्रतिनिधि अपने में से चुन कर भेजेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सत्यनारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं खंड १५ के वर्ग (छ) (१) में 'दो' के स्थान पर "५" और (२) में "पांच" के स्थान पर "१०" की संख्या रख दी जाय।

श्रीमन्, मैंने संशोधन रखा है कि विधान परिषद् के दो के बजाय ५ कर दिये जायं और विधान सभा से पांच के बजाय १० कर दिये जायं। इसलिये कि जन प्रतिनिधियों का अधिक प्रतिनिधित्व होगा और माननीय सदस्य चन्द्रजीत यादव जी की जो निर्मूल धारणा है कि पूंजीपतियों का विश्वविद्यालय में आधिपत्य हो जायगा वह भी नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, यह बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि विधान परिषद् और विधान सभा के माननीय सदस्यों की योग्यता, जानकारी, और अनुभव अपना प्रभाव रखेगा और जब उनकी जानकारी, योग्यता और अनुभव का प्रभाव होगा तो ५ और १० में क्या फर्क है? इस से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिये इसको ऐसे ही रहने दिया जाय। इसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५ के वर्ग (छ) (१) में "दो" के स्थान पर "५" और (२) में "पांच" के स्थान पर "१०" की संख्या रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रजीत यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के वर्ग (७) के उपखंड (१) के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय--

"किन्तु उनकी संख्या कोर्ट की कुल संख्या की पच्चीस प्रतिशत से कम न होगी"।

श्रीमन् ,जहां कोर्ट के सदस्यों के वर्ग स्थापित किए गए हैं वहां वर्ग (७) में कहा गया है कि "विश्वविद्यालय संघटक कालेजों, यदि कोई हों, और सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के उतनी संख्या में प्रतिनिधित्व जो नियत की जाय" इसमें प्रतिनिधियों की क्या संख्या होगी, इसको विधेयक में साफ नहीं किया गया है। वह बाद में सरकार नियत करेगी। यह अधिकार सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। जो कालेज हैं उनके अध्यापकों की बहुत दिनों से यह मांग रही है कि जो विश्वविद्यालय की संस्थायें हैं, जैसे एक्जीक्यूटीव कौंसिल, कोर्ट, एकेडेमिक कौंसिल वगैरह उनमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। इनमें डीन या हेड आफ दि डिपार्टमेंट आ जाते हैं और वे अध्यापकों के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। उनके हित आम अध्यापकों के हित से टकराते हैं। उनके हितों का प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अध्यापक संगठन की यह मांग रही है कि इसमें इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसमें संख्या निश्चित नहीं है। मैंने अपने संशोधन के द्वारा यह मांग की है कि जो भी संख्या हो उसमें कम से कम २५ प्रतिशत ऐसे लोग होने चाहिए जो अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करें। क्योंकि हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं और इसके बारे में एक आम राय है कि विश्वविद्यालयों के अन्दर अध्यापकों और प्राध्यापकों का ही मूल रूप से योगदान होना चाहिए। तभी हम इन शिक्षा संस्थाओं का कार्य भली भांति सम्पन्न होते देख सकते हैं। इसलिए मेरा संशोधन है कि इस कोर्ट के अन्दर अध्यापकों के प्रतिनिधि जो होंगे उनकी संख्या २५ प्रतिशत से कम नहीं होगी।

श्री रक्षपालसिंह--

माननीय चन्द्रजीत जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और लोगों के बारे में जहां कहा गया है, कम या ज्यादा यह कहा गया है कि उनकी संख्या इतनी होगी, लेकिन इनकी संख्या तो कुछ भी नहीं कही गयी है, केवल यह कहा गया है कि जो नियत की जाये,तो यह संख्या १ और २ भी हो सकती है। इसलिए २५ प्रतिशत वाली जो चन्द्रजीत जी की बात है वह बिलकुल ठीक है और इसे मंत्री जी को मान लेना चाहिए।

श्री कैलाशप्रकाश--

यदि आप ध्यान से देखें कि आगरा विश्वविद्यालय के कोर्ट का क्या निर्माण है तो उसमें आप यह महसूस नहीं करेंगे कि वहां शिक्षकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन हां, उनके इस सिद्धांत को मैं स्वीकार नहीं करता कि जो प्रधानाध्यापक हो गये वह अध्यापक नहीं रहे। और जो अध्यापक, प्राध्यापक और प्रधानाध्यापकों के बीच वर्गीकरण करने के सिद्धांत की बात है उसे भी मैं स्वीकार नहीं करता। अतः जिस भावना से माननीय सदस्य ने अपना संशोधन रखा है कि डीन और प्रधानाध्यापक अध्यापकों से भिन्न हैं और वे अध्यापकों के हित का ध्यान नहीं रखते, इस बात को मैं नहीं मानता। इसलिए मैं इसे मानने में असमर्थ हूं और इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५ के वर्ग (७) के उपखंड (१) के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय--

"किन्तु उनकी संख्या कोर्ट की कुल संख्या की पच्चीस प्रतिशत से कम न होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के वर्ग ८ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में "दस" के स्थान पर "पांच" रख दिया जाय।

वर्ग (४) में यह दिया गया है '५ से अनधिक व्यक्ति'। तो जब ५ आदमी आलरेडी हैं जो गवर्नमेंट नामिनेट कर रही है तो फिर कुलपति जी को १० आदमी और नामिनेट करने का अधिकार देना ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार जिन लोगों का नाम दे देगी, उन्हें भेजा जाएगा। जो रुपया देने वाले हैं, जो धनवान हैं उन लोगों की संख्या की इसमें कोई सीमा नहीं है, वह हजार दो हजार तक हो सकती है। इसलिए उसमें कोई सीमा नहीं नियत की गयी है। जब वर्ग (४) में राज्य सरकार ५ आदमी नामिनेट कर रही है तो फिर कुलपति को १० आदमी नामिनेट करने का अधिकार देना उचित नहीं होगा। नतीजा यह होगा कि वहां पर बड़े आदमियों की संख्या बढ़ेगी और यूनिवर्सिटी का जो उद्देश्य है वह क्लैश करेगा।

श्री कैलाशप्रकाश—

अभी तो जो यहां पर संशोधन रखा गया था, उस पर कहा गया था कि इस ४ वर्गीकरण के रखने के बावजूद भी कुछ विशेष तत्व रह जाते हैं, जिनको उनमें रखने की आवश्यकता महसूस हो सकती है कि उन्हें रखा जाय। तो यदि १० के स्थान पर ५ रख दिया जाय तो वह और कम हो जाती है। इसलिए जो विधेयक में रखा गया है वह ठीक है और जो संशोधन रखा गया है मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी ने इसमें यह नहीं स्पष्ट किया है कि इसमें कौन-सा क्लास रहेगा, जिसे माननीय मंत्री जी लाना चाहते हैं, इसे स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १५ के वर्ग ८ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में "दस" के स्थान पर "पांच" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सत्यनारायण पांडेय—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के वर्ग (८) का (१) हटा दिया जाय।

यह नामिनी प्रथा के हटाने के बारे में प्रस्ताव है। मुझे आशा कम है कि यह स्वीकार होगा क्योंकि जब वे चन्द्रजीत जी के मनोनीत सदस्य कम करने के संशोधन को नहीं मानते तब हटाने की बात को क्यों मानेंगे। लेकिन जनतंत्र में नामिनेशन की प्रथा बड़ी अनुचित है। परन्तु आज अजब रवैया शिक्षा मंत्री जी का मैंने देखा है। वह मानते हैं कि संशोधन ठीक है, लेकिन स्वीकार करने में असमर्थता क्यों प्रकट कर देते हैं? मालूम होता है कुछ भ्रम उनको हो गया है। मनोनयन का एक दृष्टांत तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। एक मिडिल पास आदमी को नामिनेट कर दिया गया। यह मनोनयन की प्रथा जनतंत्र के विरुद्ध है इसलिए मंत्री जी से फिर से आग्रह करूंगा कि वे इस प्रथा को ही हटा दें तो उचित होगा।

श्री कैलाशप्रकाश—

असमर्थता केवल यह है कि मैं इसको यहां रखना ठीक नहीं समझता, कोई बाहरी असमर्थता नहीं है। अगर इससे आपको भ्रम होता है तो फिर मैं यह कहना शुरू कर रहा हूं कि इस संशोधन को मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५ के वर्ग (८) का (१) हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के वर्ग ८ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "आजीवन सदस्यों" और "को छोड़कर" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"तथा विधान मंडल के प्रतिनिधियों"।

श्रीमन्, इसमें आजीवन सदस्यों को बरी किया गया है और पदेन और आजीवन सदस्यों के लिए कहा गया है कि उनको छोड़ कर किसी भी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि उसमें विधान मंडल के सदस्यों के लिए भी हो कि उनके स्थान रिक्त घोषित न कर सकें क्योंकि असेंम्बली की मान लीजिए मीटिंग चल रही है और सदस्य मीटिंग में न पहुंच पावें तो वह वंचित हो जायगा। इसलिए मैंने इसमें रखा है कि उसको न हटाया जा सकेगा।

श्री कैलाशप्रकाश--

यदि कोई सदस्य लगातार तीन मीटिंगों में न जा सके और अनुपस्थिति का कारण भी न दे सकता हो तो फिर उसे वहां रहना ही नहीं चाहिए और उसका स्थान रिक्त होना चाहिए जिससे हमारा यह सदन या दूसरा सदन किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सके जिसके पास समय हो और वह कोर्ट की मीटिंगों में जा सके। यह संशोधन आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५ के वर्ग ८ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "आजीवन सदस्यों" और "को छोड़कर" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:--

"तथा विधान मंडल के प्रतिनिधियों"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रक्षपाल सिंह:--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के वर्ग (८) के बाद निम्नलिखित वर्ग जोड़ दिया जाय--

"वर्ग ९--"विश्वविद्यालय तथा संबंधित कालेजों में कार्य करने वाले प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के उतने प्रतिनिधि जो निश्चित किए जाएं।"

श्रीमन्, यह एक कुछ ऐसे वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संशोधन है जिनकी व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है। सब वर्ग के प्रतिनिधि इसमें हैं, जैसे--राज्य सरकार के, विधान मंडल के, वाइस चांसलर द्वारा नियुक्त, चांसलर द्वारा नियुक्त, प्रिंसपल और अध्यापकों के प्रतिनिधि। लेकिन अध्यापकों व लिपिकों के अलावा विश्वविद्यालय तथा संबंधित कालेजों में काम करने वाले कोई १७ प्रकार के कर्मचारी हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व कोर्ट में नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के इस युग में जबकि सरकार छोटे आदमियों को उठाना चाहती है और उनके दुख, क्लेश व कठिनाइयों को दूर करना चाहती है, उनका प्रतिनिधित्व कोर्ट जैसी बाडी के सामने जरूर होना चाहिए और ऐसे कर्मचारियों की संख्या हजारों में होगी जिनके प्रतिनिधित्व की बात मैं कहता हूं। अब उन प्रतिनिधियों की संख्या दो या चार जो कुछ भी हो, उसका अधिकार हमने सरकार के हाथों में ही दे रखा है, वह इसको निश्चित करेगी। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार करे।

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, कोर्ट में तो ऐसे ही लोगों को जाना चाहिए जो कि शिक्षा के सिलसिले में एक दृष्टि-कोण दे सकते हों। यह बात अपनी जगह पर सही है कि कर्मचारियों का भी सहयोग इस बात में रहता है कि जो भी वहां फैसले हों उनके ऊपर उनके प्रतिनिधि अपनी राय दे सकें। लेकिन वहां जो निर्णय होता है वह सब की राय से ही होता है। इसलिए मुझे इस संशोधन की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १५ के वर्ग (८) के बाद निम्नलिखित वर्ग जोड़ दिया जाय—

"वर्ग ९—"विश्वविद्यालय तथा संबंधित कालेजों में कार्य करने वाले प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के उतने प्रतिनिधि जो निश्चित किए जायं"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६—१७

कोर्ट की बैठकें

१६—(१) प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक पर जिसे उप-कुलपति निश्चित करेगा कोर्ट की एक बैठक होगी, जो कोर्ट की वार्षिक बैठक कहलायेगी।

(२) उप-कुलपति, जब कभी भी वह उचित समझे, कोर्ट की विशेष बैठक बुला सकता है, और कोर्ट के कम से कम पैंतीस सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अधियाचन पर कोर्ट की विशेष बैठक अवश्य बुलायेगा।

कोर्ट के अधिकार तथा कर्त्तव्य

१७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोर्ट को कार्यकारिणी परिषद् या विद्वत् परिषद् के उन कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार होगा जिन्हें वह इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अनुकूल न पाये तथा वह विश्वविद्यालय के ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनकी इस अधिनियम के परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो। विशेषतया वह निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगा, अर्थात—

(क) परिनियम बनाना तथा उनका संशोधन और निरसन करना;

(ख) अध्यादेशों पर विचार करना तथा उन्हें रद्द करना; और

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, बजट और विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा प्रशासन सम्बन्धी सामान्य नीति के किसी विषय पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी काम ज्यादा है, इसलिए माननीय सदस्य सिर्फ संशोधन को पढ़ लें और इसके ऊपर कोई भाषण न करें, तभी काम चलेगा।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति में "पैंतीस" के स्थान पर "पचीस" रख दिया जाय।

श्रीमन्, जहां तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का संबंध है वहां २५ मेम्बरों का ही कोरम रखा गया है जहां किसी विशेष मीटिंग को वे बुला सकते हैं। इसी तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट के सेक्शन १८ में दिया हुआ है कि २५ मेम्बरों का कोरम किसी विशेष मीटिंग को बुलाने के लिए

माना जायगा। जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोरम के लिए २५ सदस्यों की संख्या ही निर्धारित है तो फिर आप २५ के स्थान पर ३५ क्यों रख रहे हैं। अगर आप इस विधेयक के सेक्शन १५ को देखें तो कुल ३० सदस्य होते हैं और विधान मंडल के ७ सदस्य लेकर कुल ३७ होते हैं और इससे अधिक की संख्या भी हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि ३७ की जगह पर आप २५ का कोरम मान लें। कोरम की संख्या ऐसी होनी चाहिए कि कोर्ट द्वारा कोई विशेष मीटिंग समय पर बुलायी जा सके। निर्णय जो होगा वह तो सबकी राय से ही होगा, इसलिए कोई विशेष मीटिंग बुलाने के खयाल से कोरम की संख्या आपको वन थर्ड रखने की बात मान लेनी चाहिए।

श्री कैलाशप्रकाश--

माननीय सदस्य ने अभी जिन विश्वविद्यालयों के उदाहरण दिए हैं उनको स्मरण रखना चाहिए कि वे विश्वविद्यालय केंद्रीय शिक्षण वाले हैं और ये विश्वविद्यालय ऐफिलिएटेड टाइम के हैं जिनके कालेजों की संख्या बहुत ज्यादा है और उन्हीं कालेजों की संख्या अधिक होती है और बढ़ती चली जाती है। इसलिए यह जो ३५ की संख्या रखी गई है तो कुछ बहुत अधिक नहीं है और यह करीब करीब वहीं पहुंच जाती है। माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस तरीके की निवेदित या विशेष बैठक बहुत आसानी से नहीं बुलाई जानी चाहिए। उनके लिए अधिकार होना चाहिए, लेकिन इतनी आसान भी नहीं होनी चाहिए कि हमेशा झगड़ा खड़ा रहे और हमेशा बैठक बुलाये जाने की बात होती रहे। इसलिए मैं इसको उचित नहीं समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १६ के उप खंड (२) की द्वितीय पंक्ति में "पैंतीस" के स्थान पर "पचीस" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १६ व १७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८, १९ तथा २०

१८--(१) कार्यकारिणी परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यपालिका निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे--

कार्यकारिणी परिषद्

(१) उपकुलपति ;

(२) कोषाध्यक्ष ;

(३) विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टियों के डीन ;

(४) छात्र कल्याण के डीन, यदि कोई हों ;

(५) संबद्ध कालेजों के तीन प्रिंसिपल, जो नियत रीति से चयन किए जायेंगे ;

(६) कोर्ट के पांच ऐसे सदस्य, जो खंड (१) से (५) में उल्लिखित व्यक्ति न हों या विश्वविद्यालय अथवा किसी संघटक या संबद्ध कालेज के अध्यापक न हों और जिन्हें कोर्ट अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित करे ;

(७) खंड (१) से (६) के अधीन न आने वाला एक व्यक्ति जो विद्वत् परिषद् द्वारा नियत रीति से निर्वाचित किया जायगा ; और

(८) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति ।

(२) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के चयन, नाम निर्देशन, निर्वाचन तथा नियुक्ति से संबद्ध परिनियमों में ऐसे समुचित उपबन्ध होंगे जिनसे यह सुनिश्चित हो जाय कि किसी एक संबद्ध कालेज के प्रिंसिपल या अध्यापक या कर्मचारी के रूप में अथवा प्रबंधकारिणी के सदस्य के रूप में एक से अधिक व्यक्ति कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों ।

(३) पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष होगा ।

कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार

१९—(१) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यकारिणी परिषद् के निम्नलिखित अधिकार तथा कृत्य होंगे, अर्थात—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों पर नियंत्रण रखना और उनका प्रशासन करना ;

(ख) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपत्ति का अर्जन तथा संक्रमण करना ;

(ग) किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी किसी निधि का प्रशासन करना ;

(घ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना ;

(ङ) उसके परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां (bur aries), पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना ;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य सेवकों को नियुक्त करना, उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करना और उनके पदों को अस्थायी तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र तथा उपाधियां प्रदान करने के लिए परीक्षाओं के निमित्त पाठ्य-क्रम नियत करना ;

(ज) परीक्षक नियुक्त करना तथा परीक्षाओं के आयोजना और परीक्षाफल के प्रकाशन के संबंध में निदेश देना ;

(झ) कुलपति की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए, किसी कालेज को निर्दिष्ट उपाधियों के निमित्त अध्यापन कार्य के लिए सम्बद्ध करने की स्वीकृति देना तथा ऐसी सम्बद्धता को वापस लेना ;

(ञ) सम्बद्ध कालजों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निदेश देना;

(ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के आकार तथा प्रयोग के संबंध में निदेश देना ;

(ठ) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी विषयों को विनियमित तथा निर्धारित करना : और

(ङ) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का संपादन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों के किसी अन्य उपबन्ध द्वारा निर्दिष्ट किये जायें ।

(२) राज्य सरकर की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्यकारिणी परिषद् बंधक, बिक्री, विनिमय, उपहार या अन्य रूप से विश्वविद्यालय की किसी अचल संपत्ति का न तो संक्रमण करेगी और न उसकी प्रतिभूति पर कोई धनराशि उधार या अग्रिम लेगी ;

प्रतिबंध यह है कि विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ सामान्य रूप में दिया गया पट्टा इस उपधारा के अर्थ में संक्रमण नहीं समझा जायगा ।

(३) कार्यकारिणी परिषद् किसी वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्ययों की उन सीमाओं से अधिक व्यय नहीं करेगी जो वित्त समिति द्वारा निर्धारित की गयी हों ।

(४) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के संकल्पों पर यथोचित रूप से विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्यवाही करेगी कि जिन्हें वह उचित समझे और उसकी सूचना कोर्ट को देगी । यदि किसी दशा में, कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह कोर्ट को अपनी असमर्थता के कारणों की सूचना देगी ।

(५) कार्यकारिणी परिषद्, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें अपने किन्हीं अधिकारों का प्रतिनिधान विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कर सकती है ।

वित्त समिति

२०—(१) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे—

(१) उपकुलपति ;

(२) कोषाध्यक्ष ;

(३) कोर्ट के तीन ऐसे सदस्य जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों और जो अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे, जिनमें से दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो विश्वविद्यालय, किसी संघटक कालेज, किसी संबद्ध कालेज या किसी छात्रावास की सेवा में न हों ;

(४) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ।

(२) वित्त समिति का सभापति उप-कुलपति तथा सचिव रजिस्ट्रार होगा ।

(३) वित्त समिति, विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्त्तक तथा कुल अनावर्त्तक व्ययों की सीमा निश्चित करेगी, तथा ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन और कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम या अध्यादेशों द्वारा नियत किए जाएं ।

(४) वित्त समिति किसी विशेष कारण के वित्तीय वर्ष के दौरान में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है जो उसने उपधारा (३) के अधीन निश्चित की हो ।

श्री कमला सिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (६) के अंत में निम्नलिखित प्रतिबंध जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबंध यह है कि कम से कम एक प्रतिनिधि विधान मंडल के प्रतिनिधियों में से अवश्य होगा।"

कोई अपनी कार्यकारिणी के लिये ५ सदस्य चुनकर भेजती है तो मेरा निवेदन यह है कि उनमें एक विधान मंडल का सदस्य हो। अगर कम से कम एक विधान मंडल का सदस्य उसमें चला जाय तो वह उनके ही द्वारा चुना हुआ आदमी होगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि ५ आदमियों में से, जिस तरह से उनको चुना जायगा, उसी तरह से एक सदस्य विधान मंडल का होना चाहिये। इससे हमारा प्रतिनिधि वहां पर हो सकेगा।

श्री कैलाशप्रकाश--

मेरे खयाल में कोर्ट को वह स्वतंत्रता होनी चाहिये कि जिसको चाहे वह भेज सके। यह प्रतिबंध लगाना, मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों के लिये भी कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (६) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंध जोड़ दिया जाय--

"प्रतिबंध यह है कि कम से कम क प्रतिनिधि विधान मंडल के प्रतिनिधियों में से अवश्य होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रक्षपालसिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(८) सम्बन्धित कालेजों के अध्यापकों के ५ प्रतिनिधि व अन्य कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि जो नियत रीति से चुने जायें।"

मैं इसलिये यह संख्या बढ़ाना चाहता हूं ताकि वहां पर संख्या बैलेंस करती रही है। वहां पर अध्यापकों का भी प्रतिनिधित्व उतना ही हो जाय तो उसके लिये ५ प्रतिनिधि उनके मैं चाहता हूं। इसी प्रकार से दूसरे कर्मचारियों के लिये दो प्रतिनिधि चाहता हूं।

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(८) सम्बंधित कालेजों के अध्यापकों के ५ प्रतिनिधि व अन्य कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि जो नियत रीति से चुने जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सत्यनारायण पाण्डेय--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड १ के भाग (८) हटा दिया जाय और इसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"शिक्षकों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि"।

उपाध्यक्ष महोदय, एक्जीक्यूटिव कौंसिल में लिपिकों, टेक्निकल या दूसरे जो कर्मचारी होते हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहता है । मेरा आशय केवल यह है कि अगर एक प्रतिनिधि उनका रखा जाय तो उनके जो मसले आयेंगे उनमें कार्यकारिणी को सहायता मिलेगी । इसमें मंत्री महोदय को आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री कैलाशप्रकाश--

मुझे इसमें बहुत आपत्ति है । मैंने पहले भी कहा है कि बहुत वर्गीकरण नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड १ के भाग (८) को हटा दिया जाय और इसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"शिक्षकों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रजीत यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) (८) में "पांच" के स्थान पर "तीन" । रख दिया जाय ।

मैं यह चाहता हूं कि जो संख्या सदस्यों की इसमें ५ रखी गई है उसके स्थान पर ३ रख दिया जाय ।

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) (८) में "पांच" के स्थान पर "तीन" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मुरलीधर कुरील--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (८) की प्रथम पंक्ति के शब्द "पांच व्यक्ति" के बाद तथा पूर्ण विराम के पहले शब्द "उनमें से तीन हरिजन" रख दिये जायं ।

इस तरीके से नामजदगी जो होती रही है चाहे वह राज्य सभा में हो या नगरपालिका में विशिष्ट सदस्य हो तो उन जगहों में यह देखा गया है कि नियमों में न होने के कारण कोई ध्यान नहीं दिया जाता रहा है कि हरिजनों की नामजदगी हुई या नहीं । इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिये । उसके लिये यह जरूरी है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री कैलाशप्रकाश--

अब हरिजन बहुत योग्य होने लगे हैं, तो वे अपनी योग्यता के आधार पर आयें, यही मैं ठीक समझता हूं । इस वजह से इसको नहीं स्वीकार कर सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (८) की प्रथम पंक्ति के शब्द "पांच व्यक्ति" के बाद तथा पूर्ण विराम के पहले शब्द "उनमें से तीन हरिजन" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (८) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंध जोड़ दिया जाय :—

"प्रतिबन्ध यह है कि कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से उस क्षेत्र के वाणिज्य, कृषि तथा विद्युत व्यवसायों का भी प्रतिनिधित्व रहेगा।"

यह इसलिये है कि खंड १५ में आपने कोर्ट में विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले ५ व्यक्तियों को रखने की व्यवस्था की है जिनको राज्य सरकार निर्दिष्ट करेगी। तो कोई वजह नहीं होनी चाहिये कि कार्यकारिणी में ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व न हो। यह इसीलिये रखा गया है।

श्री कैलाशप्रकाश—

कोर्ट को अधिकार है कि अपने प्रतिनिधि भेजे और वह चाहे कोई भी हो सकते हैं, महिला, कृषक, हरिजन, कोई भी हो सकते हैं। योग्यता के आधार पर उनको चुनना चाहिये। इसलिये मैं उसको स्वीकार नहीं करता क्योंकि यह इसे सीमित कर देता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (८) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :—

"प्रतिबन्ध यह है कि कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से उस क्षेत्र के वाणिज्य, कृषि तथा विद्युत् व्यवसायों का भी प्रतिनिधित्व रहेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८, १९ और २० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २१—२५

विद्वत् परिषद्

२१—(१) विद्वत् परिषद् विश्वविद्यालय की विद्वत् संस्था होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय में शिक्षण, अध्यापन, परीक्षा तथा शोध-कार्य के स्तर का नियंत्रण और सामान्य विनियमन करेगी और उसके संधारण के लिए उत्तरदायी होगी, और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे दिये या उस पर आरोपित किये जायं। उसे शिक्षा संबंधी समस्त विषयों पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(२) विद्वत् परिषद् का संघटन तथा उसके सदस्यों का कार्यकाल वही होगा जो नियत किया जाय।

फैकल्टिय

२२—(१) विश्वविद्यालय में ऐसी फैकल्टियां होंगी जो नियत की जायं।

(२) प्रत्येक फैकल्टी में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे जो नियत किये जायं। विभिन्न विभागों के लिये पाठ्य विषय, अध्यादेशों के अनुसार निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(३) प्रत्येक फैकल्टी का एक बोर्ड होगा जिसका संघटन तथा जिसक अधिकार वही होंगें जो नियत किये जायं।

(४) प्रत्येक फैकल्टी का एक डीन होगा जो ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के लिये चयन किया जायगा जो नियत की जाय ।

(५) डीन, फैकल्टी के बोर्ड का सभापति होगा और फैकल्टी से सम्बद्ध परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उचित अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा । वह फैकल्टी के विभागों में अध्यापन तथा शोध कार्यों के प्रबन्ध तथा संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगा ।

(६) एक या एकाधिक पाठ्य विषयों के संबंध में अध्ययन बोर्ड स्थापित किये जायेंगे । इन बोर्डों का संघटन अध्यादेशों द्वारा नियत किया जायगा ।

२३--(१) प्रत्येक पाठ्य विषय के संबंध में विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समितियां होंगी । चयन समिति

(२) चयन समितियों का संघटन, उनके अधिकार तथा कृत्य और नियुक्तियां करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जायं ।

२४--अन्य प्राधिकरणों का संघटन, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य वही होंगे जो नियत किये जायं । अन्य प्राधिकरण

अध्याय ६

बोर्डों का संघटन तथा अध्यापकों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

२५--(१) विश्वविद्यालय में एक समन्वय बोर्ड, एक छात्र-कल्याण बोर्ड तथा ऐसे अन्य बोर्ड होंगे जो नियत किये जायें । बोर्ड

(२) बोर्डों का संघटन, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य वही होंगे जो नियत किये जायें ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

> "विद्वत् परिषद् में देश के ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् प्राध्यापक होंगे और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधियों का बहुमत होगा । विश्वविद्यालय में शिक्षण, अध्यापन, परीक्षा तथा शोध-कार्य के स्तर का नियंत्रण और सामान्य विनियमन के संबंध में इसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होगा ।"

इस एकेडेमिक कौंसिल का काम मुख्य रूप से एकेडेमिक होना चाहिये और इसमें हमारे प्राध्यापक तथा शिक्षाविद् होंगे और इसे अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना चाहिये । राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के पेज ४२७ में कौंसिल के होल्ली एकेडेमिक होने तथा उसमें हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट होने और उसमें दस परसेंट वैकेंसीज के डिपार्टमेंट के ही लोगों से भरे जाने की संस्तुति की गयी है । इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इसे स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्री कैलाशप्रकाश--

जो विद्वत् परिषद् है यह अन्य विश्वविद्यालयों में भी बनती है और इसमें शिक्षकों के प्रतिनिधि रहते हैं । इसलिये जो भावना है, वह प्रदर्शित होती है । लेकिन इसमें डिटेल की बातें यहाँ नहीं आनी चाहिये, इनका निर्णय नियमों में हो सकता है, इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"विद्वत् परिषद् में देश के ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् प्राध्यापक होंगे और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधियों का बहुमत होगा। विश्वविद्यालय में शिक्षण, अध्यापन, परीक्षा तथा शोध-कार्य के स्तर का नियंत्रण और सामान्य विनियमन के संबंध में इसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २१ से २५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २६- ३७ तक

अध्यापकों की नियुक्ति

२६--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय के अध्यापक, उपधारा (३) में की गयी अवस्था को छोड़कर, सम्बद्ध चयन समिति के परामर्श से कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक, उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रबन्धकारिणी द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अध्यापक, प्रथमतः ऐसी अवधि के लिये परीवीक्षाधीन रहेगा जो नियत की जाय और तब तक स्थायी न किया जायगा जब तक कि--

(क) उसके विश्वविद्यालय का अध्यापक होने की दशा में, कुलपति तथा विभागाध्यक्ष, यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष न हो, और सम्बद्ध डीन के प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद् इसका आदेश न दे दे; और

(ख) उसके सम्बद्ध कालेज का अध्यापक होने की दशा में, प्रिंसिपल और उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् प्रबन्धकारिणी आदेश न दे दे ;

प्रतिबन्ध यह है कि प्रिंसिपल के स्थायीकरण की दशा में, इस खंड के अधीन कोई प्रतिवेदन आवश्यक न होगा, और ज्येष्ठतम अध्यापक की दशा में केवल प्रिंसिपल का ही प्रतिवेदन आवश्यक होगा।

(३) कार्यकारिणी परिषद्, दस महीने से अनधिक अवधि के लिये किसी कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृत किये जाने के कारण हुए रिक्त स्थान पर, यदि वह रिक्ति छः महीने से अनधिक अवधि के लिये हो तो, सम्बद्ध चयन समिति को बिना अभिदेश किये, और यदि वह रिक्ति छः महीने से अधिक अवधि के लिये हो तो सम्बद्ध चयन समिति को अभिदेश करने के पश्चात्, स्थानापन्न नियुक्ति कर सकती है।

(४) किसी ऐसे सम्बद्ध कालेज में, जो केवल राज्य सरकार द्वारा संधारित न हो, किसी अध्यापक की छः महीने या उससे अधिक अवधि के लिये मौलिक या अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्ति की सूचना प्रबन्धकारिणी द्वारा ऐसी

नियुक्ति के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर समस्त प्रार्थना-पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि के साथ उप कुलपति को दी जायगी। नियुक्ति का बना रहना उप-कुलपति के अनुमोदन के अधीन होगा जो या तो नियुक्ति का अनुमोन कर सकता है अथवा विश्वविद्यालय की सम्बद्ध विषय की चयन समिति की सहमति से उसे अस्वीकार कर सकता है और उत्तरोक्त दशा में वह नियुक्ति, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु परिवीक्षाकाल की अवधि की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही समाप्त कर दी जायगी।

अधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा की शर्तें

२७—(१) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक एक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायगा जो विश्वविद्यालय में रखी जायगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक को दी जायगी।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट संविदा से उठने वाला कोई विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसमें कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णाता होगा और न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे अभिदेश पर आर्बीट्रेशन ऐक्ट, १९४० के सभी उपबन्ध यहां दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए लागू होंगे।

ऐक्ट संख्या १०, १९४०

(३) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ ऐसी रीति से और ऐसी शरतों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायें, ऐसा निवृत्ति वेतन, आनुतोषिक (gratu ty) बीमा तथा भविष्य निधि की व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझे।

सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

२८(१) केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न किसी सम्बद्ध कालेज का प्रत्येक अध्यापक एक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायगा, जिसमें ऐसी शर्तें तथा प्रतिबन्ध होंगे जो नियत किये जायें। लिखित संविदा विश्वविद्यालय में रखी जायगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध प्रबन्धकारिणी तथा अध्यापक को दी जायगी।

(२) सम्बद्ध कालेज तथा उसके किसी अध्यापक के बीच उपधारा (१) में उल्लिखित संविदा से उठने वाला कोई विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसमें प्रबन्धकारिणी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बद्ध अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और उपकुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णाता होगा। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे अभिदेश पर आर्बीट्रेशन ऐक्ट, १९४० के सभी उपबन्ध यहां पर दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुये लागू होंगे।

ऐक्ट संख्या १०, १९४०

(३) केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न, किसी सम्बद्ध कालेज की प्रबन्धकारिणी द्वारा किसी अध्यापक को सेवा से पदच्युत्य करने अथवा हटाने के लिए किये गये प्रत्येक निर्णय की सूचना उपकुलपति को तुरन्त दी जायगी और परिनियमों में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा निर्णय तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उपकुलपति उसका अनुमोदन न कर दें।

कतिपय अन्य उपबन्ध

२९—ऐसे समय जब तक कि विश्वविद्यालय के संगत प्राधिकरण यथाविधि संघटित न हो जायें, इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी समय उपकुलपति, कुलपति की पूर्व स्वीकृति से कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

अध्याय ७

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

३०—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्व विद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिये व्यवस्था की जा सकती है, और विशेषतः निम्नलिखित की व्यवस्था की जायगी :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का संघटन, उनके अधिकार और कर्त्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का चयन, निर्वाचन, नियुक्ति और कार्यकाल तथा रिक्तियों की पूर्ति और उनसे सम्बद्ध अन्य विषय;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें तथा उनके अधिकार और कर्त्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ निवृत्ति वेतन या भविष्य निधि की व्यवस्था तथा बीमा योजना की स्थापना;

(ङ) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति;

(च) उपाधियों तथा डिप्लोमाओं की स्थापना;

(छ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान;

(ज) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं का वापस लेना;

(झ) फैकल्टियों की स्थापना, अनुमेलन, उप विभाजन और उनका बन्द किया जाना;

(ञ) फैकल्टियों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनका बन्द किया जाना;

(ठ) शर्तें, जिनके अधीन कालेज तथा अन्य संस्थाएं, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध की जा सकें और जिनके अधीन सम्बद्धता वापस ली जा सके;

(ड) सम्बद्ध कालेजों का निरीक्षण;

(ढ) निबद्ध स्नातकों के रजिस्टर का रक्खा जाना और निबन्धन की अर्हताएं, शर्तें तथा रीति;

(ण) दीक्षान्त समारोह करना;

(त) अधिछात्रवृत्ति (फेलोशिप), छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों की स्थापना; और

( ) अन्य सभी विषय जिनके लिए परिनियमों द्वारा व्यवस्था करना इस अधिनियम में अपेक्षित हो।

३१—प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जायेंगे और उनकी एक प्रतिलिपि राज्य सरकार विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, उसके एक या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और वे ऐसे परिवर्तनों तथा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध परिनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा। परिनियमों का बनाया जाना।

(२) इस धारा में व्यवस्थित रीति से कोर्ट, समय समय पर, अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा किसी परिनियम को संशोधित अथवा निरस्त कर सकता है।

(३) कार्यकारिणी परिषद्, कोर्ट के समक्ष, उसके द्वारा पारित होने के निमित्त किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकती है, और ऐसे प्रारूप पर कोर्ट अपनी अगली सामान्य बैठक में विचार करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कार्यकारिणी परिषद् किसी ऐसे परिनियम का अथवा किसी परिनियम के ऐसे संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव नहीं करेगी जिससे विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकरण की प्रस्थिति (status), अधिकार या संघटन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त मत पर कोर्ट विचार करेगा।

(४) कोर्ट उपधारा (३) में अभिदिष्ट किसी ऐसे प्रारूप का अनुमोदन कर सकता है और परिनियम पारित कर सकता है अथवा उसे अस्वीकार कर सकता है या उसे कार्यकारिणी परिषद् को, पूर्णतः या अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकता है जिसका वह सुझाव दे।

(५) कोर्ट का कोई सदस्य कोर्ट के समक्ष किसी परिनियम अथवा किसी परिनियम के संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव कर सकता है और कोर्ट या तो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है अथवा ऐसे प्रारूप को कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ अभिदिष्ट कर सकता है, जो कोर्ट को या तो यह प्रतिवेदन दे सकती है कि वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती अथवा उक्त प्रारूप को कोर्ट के समक्ष ऐसे रूप में प्रस्तुत कर सकती है जिसे कार्यकारिणी परि द् अनुमोदित करे और इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार प्रस्तुत प्रारूप पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट के समक्ष प्रस्ता वित प्रारूप पर लागू होते हैं।

(६) कोर्ट द्वारा बनाया गया कोई परिनियम अथवा उसमें किया गया कोई संशोधन या निरसन तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे। कुलपति उसका या तो अनुमोदन कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है या उसे कोर्ट द्वारा और विचार करने के लिए वापस भेज सकता है।

३२—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय की व्यवस्था की जा सकती है जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा इस प्रकार व्यवस्था की जाने की अनुज्ञा दी गयी हो तथा किसी ऐसे अन्य विषय की व्यवस्था की जा सकती है जिसके लिए कार्यकारिणी परिषद् अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना उचित समझे। अध्यादेश

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी विषयों अथवा किसी एक विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्---

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा नामांकन और उनका इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्य-क्रम ;

(ग) शर्तें, जिनके अधीन छात्र उपाधि, डिप्लोमाओं तथा अन्य पाठ्य-क्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रविष्ट किए जायेंगे, तथा वे उपाधियां और डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों का प्रबन्ध;

(ङ) ऐसे छात्रावासों की जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हो मान्यता और प्रबन्ध;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य वैतनिक अधिकारियों की संख्या, उनकी अर्हताएं, उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें, जिनके अन्तर्गत सेवानिवृत्ति की आयु भी है, तथा उनकी सेवा और कार्यकलापों का अभिलेख तैयार करना और उनका रखा जाना;

(छ) शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिए लिये जा सकें;

(ज) शर्तें, जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्रावासों में शिक्षण देने के निमित्त अर्ह माना जाय;

(झ) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (moderators) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यों में सेवायोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें, और

(ड) अन्य समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाय।

अध्यादेशों का बनाया जाना

३३---(१) इस धारा में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अध्यादेश कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाए जायंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे कार्यकारिणी परिषद् निदेशित करे :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा---

(क) जिससे विश्वविद्यालय की आय तथा व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप राज्य सरकार को प्रस्तुत न कर दिया गया हो और उसके द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो; और या

(ख) जिसमें विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्य-क्रमों में प्रवेश पाने के लिए शर्तें निर्धारित हों अथवा जिससे किसी अन्य प्रकार से छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्वत् परिषद् ने प्रस्तावित न किया हो; या

(ग) जिससे किसी पाठ्य-क्रम, किसी परीक्षा के संचालन या स्तर, अथवा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों पर प्रभाव पड़े, जब तककि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्वत् परिषद् ने प्रस्तावित न किया हो, और विद्वत् परिषद् तब तक ऐसे प्रारूप का प्रस्ताव नहीं करेगी जब तक कि सम्बद्ध फैकल्टियों के बोर्ड या फैकल्टी द्वारा अनुरोध न किया जाय; या

(घ) जिससे छात्रों के निवास की शर्तों पर प्रभाव पड़े, जब तककि नियत की जाने वाली शर्तों का, यदि कोई हों, पालन न किया जाय।

(२) कार्यकारिणी परिषद् को उपधारा (१) के अधीन विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकती है या उसे विद्वत् परिषद् को पूर्णतः अथवा अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकती है जिसका कार्यकारिणी परिषद् सुझाव दे।

(३) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये गये अध्यादेश की एक प्रतिलिपि तुरन्त कुलपति और कोर्ट को प्रस्तुत की जायगी और कोर्ट उस पर अपनी अगली बैठक में विचार करेगा। कोर्ट उक्त अध्यादेश को स्वीकार कर सकता है अथवा वह ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यादेश को रद्द कर सकता है और उस दशा में अध्यादेश, ऐसे संकल्प के दिनांक से निरर्थक हो जायगा। कोर्ट उक्त अध्यादेश को यथास्थिति, स्वीकार करने अथवा रद्द करने की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा।

(४) कुलपति, कोर्ट द्वारा किसी अध्यादेश पर विचार कर लिए जाने और उस पर सहमति दिये जाने के पश्चात् किसी समय, या तो उसे स्वीकार कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है, और पश्चात्वर्ती दशा में, कार्यकारिणी परिषद् को इस प्रकार रद्द किये जाने की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से अध्यादेश निरर्थक हो जायगा।

(५) कुलपति यह निदेश दे सकता है कि किसी अध्यादेश का प्रवर्तन उस समय तक के लिए निलम्बित रहेगा, जब तक कि वह उपधारा (४) के अधीन उसके द्वारा स्वीकार अथवा रद्द न कर दिया गया हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का आदेश कुलपति को, अध्यादेश स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोर्ट की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायगा।

(६) यदि विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के प्रारूप को कार्यकारिणी परिषद् ने अस्वीकार कर दिया हो तो, विद्वत् परिषद् कोर्ट के समक्ष अपील कर सकती है, और यदि कोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात्, प्रारूप का अनुमोदन करे तो वह अध्यादेश बना सकता है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार बनाया गया अध्यादेश ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जो कोर्ट निर्दिष्ट करे। कुलपति अध्यादेश को या तो स्वीकार कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है और पश्चात्वर्ती दशा में कार्यकारिणी परिषद् को इस प्रकार रद्द किये जाने की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से अध्यादेश निरर्थक हो जायगा।

विनियम

३४—(१) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या बोर्ड इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकता है, जिनमें—

(क) उसकी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय, जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन, विनियमों द्वारा की जानी हो; और

(ग) किन्हीं ऐसे अन्य विषयों की व्यवस्था की जाय जिनका सम्बन्ध केवल उक्त प्राधिकरण या बोर्ड से हो और जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों में न की गयी हो।

(२) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों में, उसके सदस्यों को बैठकों के दिनांक की, और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था की जायगी।

(३) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या बोर्ड को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा बनाये गये किसी विनियम को इस प्रकार रद्द कर दे अथवा उसमें संशोधन कर दे जो निदेश में निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा प्राधिकरण या बोर्ड तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विश्वविद्यालय का प्राधिकरण या बोर्ड किसी ऐसे निदेश से असन्तुष्ट हो तो वह कुलपति को अपील कर सकता है जो, कार्यकारिणी परिषद् का विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात्, ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

अध्याय ८

प्रवेश तथा परीक्षायें

छात्रों का प्रवेश

३५—(१) छात्र किसी भी उपाधि के पाठ्य-क्रम में उस समय तक प्रवेश पाने के पात्र न होंगे, जब तक उन्होंने बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इन्टरमीडिएट एजूकेशन उत्तर प्रदेश की, अथवा तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इन्टरमीडिएट परीक्षा, अथवा विश्वविद्यालय द्वारा उससे समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा पास न कर ली हो तथा वे ऐसी अतिरिक्त अर्हताएं, यदि कोई हों, न रखते हों, जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायें;

(२) विश्वविद्यालय, कुलपति की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी उपाधि के पाठ्य-क्रम में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी भी उपाधि को अपनी उपाधियों के समकक्ष, या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी परीक्षा को बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता न देगा।

छात्रों की निवास व्यवस्था

३६—(१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र छात्रावास में या ऐसी शर्तों के अधीन रहेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत की जायें।

(२) छात्रावासों के अभिरक्षक (वार्डन) तथा अन्य कर्मचारिवर्ग अध्यादेशों द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(३) कार्यकारिणी परिषद् किसी ऐसे छात्रावास की मान्यता को निलम्बित कर सकती है अथवा वापस ले सकती है जो नियत शर्तों के अनुसार संचालित न किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कार्यवाही करने के पूर्व, छात्रावास का प्रबन्ध करने वाले प्रभारी व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जायगा।

परीक्षाएं

३७—(१) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्वत् परिषद् परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रबन्ध करने का निदेश देगी।

(२) यदि कोई परीक्षक किसी कारण से इस प्रकार कार्य करने में असमर्थ हो तो उपकुलपति उस रिक्ति की पूर्ति के लिए परीक्षक नियुक्त करेगा। प्रत्येक ऐसी नियुक्ति की सूचना कार्यकारिणी परिषद् को दी जायगी।

(३) किसी उपाधि के निमित्त नियत प्रत्येक विषय के लिये नियुक्त परीक्षकों की, यथाशक्य, आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो विश्वविद्यालय, अथवा उसके किसी संघटन या सम्बद्ध कालेज की सेवा में न हो।

(४) प्रत्येक फैकल्टी, का बोर्ड उस फैकल्टी में सम्मिलित किसी विभागों को सौंपे गये प्रत्येक विषय के लिए एक परीक्षा समिति नियुक्त करेगा। समिति में ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें बोर्ड, विद्वत् परिषद् के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, अपने सदस्यों में से अथवा बाहर से नियुक्त करे। समिति को किसी परीक्षा के लिए तैयार किये गये प्रश्न-पत्रों का परिमार्जन करने, किए गए प्रश्न-पत्रों का परिमार्जन करने, किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए कार्य के गुण-दोषों की समीक्षा करने, साफल्य स्तर (Standard of attainment) के सम्बंध में प्रतिवेदन देने तथा इनमें से किसी विषय के सम्बन्ध में सिफारिश करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा की गयी कोई भी समीक्षा, प्रतिवेदन अथवा सिफारिश विद्वत् परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखी जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २६ के उपखण्ड (१) की पंक्ति दो के शब्द "चयन समिति" और पंक्ति ३ के शब्द "द्वारा" के बीच के शब्द हटा दिये जायं। पंक्ति चार "प्रबन्धकारिणी द्वारा" और पंक्ति पांच "नियत रीति से" हटा दिए जायं, उनके स्थान पर शब्द "सम्बद्ध चयन समिति द्वारा" रख दिये जायं। किन्तु चयन समिति में तीन व्यक्ति होंगे जिनमें एक विभागाध्यक्ष और दो उस विषय के, जिसके अध्यापक की नियुक्ति करनी है, दो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ होंगे जिनकी नियुक्ति उपकुलपति द्वारा की जायगी।

वैसे तो जो प्राध्यापक विश्वविद्यालय में होंगे उनकी चयन समिति होनी चाहिए, लेकिन फिर अधिकार सरकार ने ले रखा है कि किस रीति से कैसे नियत होंगे। मैं समझता हूं यह व्यवस्था गलत है। सभी कमीशनों ने मुख्य रूप से सिफारिश की है कि उसमें डीन्स हों, हेड आफ डिपार्टमेंट हों और जिस विषय के अध्यापक की नियुक्ति हो उसके विशेषज्ञ हों। तो इस प्रकार से चयन समिति का स्वरूप निर्धारित होना चाहिए और कम से कम उस विषय के विशेषज्ञ उस समिति में हों, तभी शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जा सकता है।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, इसमें दो तरीके की नियुक्तियां होती हैं। एक तो जो विश्वविद्यालय में होंगे उसके लिए विश्वविद्यालय की चयन समिति बनायी गयी है जिसका निर्माण परिनियमों द्वारा होगा। दूसरे, प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्ति की जायेंगी और वह भी परिनियमों द्वारा निर्धारित की जायगी। तो जो आशंका की गयी है वह निरर्थक प्रतीत होती है, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २६ के उपखण्ड (१) की पंक्ति दो के शब्द "चयन समिति" और पंक्ति तीन के शब्द "द्वारा" के बीच के शब्द हटा दिये जायं। पंक्ति चार "प्रबन्धकारिणी द्वारा" और पंक्ति पांच "नियत रीति से" हटा दिये जायं, उनके स्थान पर शब्द "सम्बद्ध चयन समिति द्वारा" रख दिये जायं। किन्तु चयन समिति में तीन व्यक्ति होंगे जिनमें एक विभागाध्यक्ष और दो उस विषय के, जिसके अध्यापक की नियुक्ति करनी है, दो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ जिनकी नियुक्ति उपकुलपति द्वारा की जायगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २६ से ३७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३८

अध्याय ९

सम्बद्धता तथा मान्यता

सम्बद्ध कालेज

३८—(१) किसी कालेज की सम्बद्धता की शर्तें वहीं होंगी जो नियत की जायें।

(२) कोई सम्बद्ध कालेज, उसी स्थान पर स्थित किसी अन्य सम्बद्ध कालेज या विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकता है।

(३) इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, किसी सम्बद्ध कालेज की प्रबन्धकारिणी कालेज के कार्यों का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगी और उसके साधारण तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी। प्रत्येक ऐसे कालेज का प्रिंसिपल उसमें यथोचित अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(४) प्रत्येक सम्बद्ध कालेज ऐसे प्रतिवेदन विवरणियां तथा अन्य ब्योरे प्रस्तुत करेगा जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् स्वतः अथवा विद्वत् परिषद् के अनुरोध पर मांगे।

(५) कार्यकारिणी परिषद् प्रत्येक सम्बद्ध कालेज का अपने द्वारा तदर्थ प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पांच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेगी।

(६) कार्यकारिणी परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध कालेज को ऐसी अवधि के भीतर, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(७) यदि कोई कालेज कार्यकारिणी परिषद् के निदेशों का अथवा सम्बद्धता की शर्तों का पालन न करे तो उसकी सम्बद्धता परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस ली जा सकती है।

श्री मुरलीधर कुरील--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३८ के उपखण्ड (७) के पश्चात् एक नया उपखण्ड (८) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय--

"(८) कानपुर विश्वविद्यालय स्थापित होकर कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर श्री गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर, कृषि कालेज, आई०आई० टी०, हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर तथा अन्य औद्योगिक व प्राविधिक संस्थाओं को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की कार्यवाही पूर्ण कर दी जावेगी।"

इसमें मुझे यह कहना है कि यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कानपुर में कई ऐसी टेक्निकल व औद्योगिक संस्थाएं शिक्षण कार्य चला रही हैं और वह विश्वविद्यालय से शीघ्र सम्बद्ध हो जायं और उनको भी मान्यता मिल जाय तो उन का कार्य सुन्दर और समय से होने लगेगा। यह बहुत ही सुन्दर संशोधन है। आशा है कि मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश--

इस विषय में मैं अपने विचार दूसरे संशोधन पर रख चुका हूं, इसलिए इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३८ के उपखण्ड (७) के पश्चात् एक नया उपखण्ड (८) निम्नलिखित रूप में जोड़ दिया जाय--

"(८) कानपुर विश्वविद्यालय स्थापित होकर कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर श्री गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर, कृषि कालेज, आई० आई० टी०, हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर तथा अन्य औद्योगिक व प्राविधिक संस्थाओं को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की कार्यवाही पूर्ण कर दी जावेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खण्ड--३९--५०

३९--विश्वविद्यालय, नियत रीति से, किसी ऐसे सम्बद्ध कालेज को जो तदर्थ नियत शर्तों को पूरा करे, उस कालेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिये उन पाठ्यक्रमों में जो विश्वविद्यालय द्वारा नियत किये गये हों, परिवर्तन करने, और इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार दे सकती है। ऐसे कालेज द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की सीमा तथा परीक्षा लेने की रीति प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायगी। ऐसा कालेज नियत रीति से स्वायत्त कालेज घोषित किया जायगा। स्वायत्त कालेज

४०--विश्वविद्यालय ऐसी शर्तों के अधीन जो नियत की जायें, ऐसे व्यक्तियों के लिए उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ जो उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए अन्यथा पात्र हों, किन्तु जो व्यवसाय, व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे रहने, अथवा किसी अन्य प्रकार की सेवा में सेवायोजित होने के कारण पूर्ण कालिक छात्र के रूप में अपना नाम लिखाने में असमर्थ हों, किसी सम्बद्ध कालेज, को कर्मकार कालेज के रूप में मान्यता प्रदान कर सकता है। ऐसे छात्रों के लिए कर्मकार कालेज

पाठ्यक्रम की अवधि अन्य छात्रों के निमित्त ऐसे पाठ्य-क्रमों के लिए नियत अवधि की डेढ़ गुनी से कम न होगी। प्रत्येक ऐसे पाठ्यक्रन का आयोजन पृथक रूप से किया जायगा।

संघटक कालेज

४१—(१) विश्वविद्यालय में ऐसे संघटक कालेज हो सकते हैं जो परिनियमों द्वारा नामित किये जायें।

(२) किसी संघटक कालेज का प्रिंसिपल उस कालेज के छात्रों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उसका उस कालेज के लिपिकीय तथा निम्नवर्ग के कर्मचारियों पर सामान्य नियन्त्रण होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा नियत किये जायें।

अध्याय १०

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

४२—विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद् के निदेशाधीन तैयार किया जायगा और कोर्ट की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जायगा जिसमें उस पर विचार किया जायगा। कोर्ट उस पर अपनी टीकायें, यदि कोई हों, कर सकता है और उस पर संकल्प पारित कर सकता है तथा उसकी सूचना कार्यकारिणी परिषद् को दे सकता है जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जो वह उचित समझे।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

४३—(१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा पक्का चिट्ठा कार्यकारिणी परिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य या प्राप्त समस्त धनराशियां और ऐसी समस्त धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा रखे गए लेखे में दर्ज की जायेंगी।

(२) वार्षिक लेखे और पक्के चिट्ठे की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी जो उनकी लेखा परीक्षा करायेगी।

(३) वार्षिक लेखे तथा पक्के चिट्ठे की लेखापरीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायगा और उनकी प्रतिलिपियां तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

(४) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके सम्बन्ध में यह पता चले कि उसने बजट में संगत मद के लिए व्यवस्थित धनराशि से अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध की उपेक्षा करके अधिक धनराशि व्यय की है या ऐसा करने का अधिकार दिया है, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह इस प्रकार व्यय की गयी अथवा व्यय करने के लिए अधिकृत धनराशि की भरपाई करे और राज्य सरकार इस विषय में ऐसी सभी कार्यवाही कर सकती है जो आवश्यक समझी जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, किसी व्यक्ति से ऐसी किसी धनराशि की भरपाई करने की अपेक्षा करने के पूर्व, उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद् उस दिनांक के पूर्व जो नियत किया जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(६) व्यय की प्रत्येक नयी मद जो ऐसी धनराशि से अधिक हो जो नियत की जाय और किसी बजट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव हो, कार्यकारिणी परिषद्, द्वारा वित्त समिति को उसकी सिफारिशों के लिए अभिदिष्ट की जायगी।

(७) कार्यकारिणी परिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, कोर्ट को परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित वार्षिक लेखे तथा बजट प्रस्तुत करेगी जिनके साथ ऐसी सिफारिशें भी होंगी।

(८) वार्षिक लेखे तथा बजट पर कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगा, और वह इसके सम्बन्ध में संकल्प पारित कर सकता है और उसकी सूचना कार्यकारिणी परिषद् को दे सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (६) में अभिदिष्ट व्यय की किसी मद पर कार्यकारिणी परिषद् तथा वित्त समिति में मतभेद हो तो उसके सम्बन्ध में कोर्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

(९) उस दशा को छोड़कर जब धारा १९ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) में उल्लिखित निधियों में से कोई व्यय किया जाय, उपकुलपति या कार्यकारिणी परिषद् के लिए यह वैध न होगा कि वह कोई ऐसा व्यय करे जिसकी बजट में स्वीकृति न दी गयी हो।

अध्याय ११

विविध

अधिकारियों तथा प्राधिकरणों के सदस्यों को नियुक्त करने की रीति

४४—(१) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा किसी प्राधिकरण के सदस्य ऐसी रीति से चुने जायेंगे जो नियत की जाय।

(२) यदि इस अधिनियम या परिनियमों म, आवर्तन से (by rotation) या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हता के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई उपबन्ध हो तो आवर्तन या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हता निर्धारित करने की रीति वही होगी जो नियत की जाय।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

४५—(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या संस्था के, पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, यथासम्भव सुविधानुसार, उसी रीति से की जायगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या संस्था का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए पद रिक्त करने वाला व्यक्ति सदस्य रहता।

(२) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य संस्था के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य हो, चाहे वह संस्था विश्वविद्यालय की हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकरण में अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह उस संस्था का प्रतिनिधि बना रहे और तत्पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथाविधि नियुक्त न हो जाय।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना और उपाधि डिप्लोमा आदि वापस लेना ।

४६--कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सिफारिश पर, किसी ऐसे सदस्य को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या संस्था की सदस्यता से हटा सकता है जो किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो जो कोर्ट की राय में नैतिक पतन समन्वित अपराध हो अथवा जो लोकापवादजनक आचरण का दोषी हो अथवा जिसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो जो उस प्राधिकरण या संस्था के सदस्य के लिये अशोभनीय हो, और उक्त किसी आधार पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध सदस्य या व्यक्ति को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का समुचित अवसर दिया जयगा ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा संस्थाओं के संघटन के संबंध में विवाद और निर्णयों की वैधता ।

४७--यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या संस्था का यथाविधि सदस्य चुना गया है या नहीं, अथवा वह उसका सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं अथवा यह प्रश्न उठे कि विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकरण का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुकूल है अथवा नहीं, तो वह विषय कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा और उस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

निवृत्ति-वेतन तथा भविष्य निधि ।

४८--यदि विश्वविद्यालय ने अपने अधिकारियों, अध्यापकों या अन्य सेवकों के लाभार्थ कोई निवृत्ति-वेतन या भविष्य निधि की व्यवस्था की हो तो राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि ऐसी निधि पर प्राविडेन्ड फंड ऐक्ट, १९२५ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो । ऐक्ट संख्या १०, १९२५

अध्याय १२

संक्रमणकालीन उपबन्ध

आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा किया जाना

४९--इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुये भी—

(क) कालेज के किसी भी छात्र को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व आगरा विश्वविद्यालय की किसी भी उपाधि के निमित्त अध्ययन कर रहा हो, यथास्थिति, कानपुर विश्वविद्यालय या मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा उस उपाधि के लिये अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जायगी, तथा विश्वविद्यालय और कालेज आगरा विश्वविद्यालय की अध्ययन-विवरण पत्रिका (Prospectus) के अनुसार उस छात्र के शिक्षण तथा परीक्षा की व्यवस्था करेगा, और

(ख) जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी परीक्षा की व्यवस्था न की जाय, तब तक ऐसा कोई छात्र, आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है तथा उसे उस विश्वविद्यालय की वह उपाधि प्रदान की जा सकगी जिसके लिये वह परीक्षाफल के आधार पर अर्ह हो ।

कठिनाइयों को दूर करना

५०—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम को प्रचलित करने के संबंध में किसी कठिनाई को दूर करने के लिये गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा—

(क) निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम और तद्धीन बनाया गया कोई परिनियम, तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि में, जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे प्रभावी होगा; या

(ख) निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों को किसके द्वारा और किस रीति से उस समय तक पालन या सम्पादन किया जायगा जब तक कि ऐसा अधिकारी या प्राधिकरण यथाविधि नियुक्त या संघटित न हो जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य, शीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

श्री रक्षपाल सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"३९—विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रों में ऐसी शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करेगा जिनमें प्राविधिक एवं श्रमजीवी कालेजों की व्यवस्था करेगा जो स्वायत्त कालेज कहलायेंगे।"

श्रीमन्, कल एक संशोधन स्वायत्त शासन की परिभाषा में आया था, परन्तु वहां पर आटोनामस कालेज के अन्दर जो ३९ में परिभाषा थी उसमें कहना यह है कि उसमें अवश्य परिवर्तन कर दिया जाय कि वह चाहे तो अपने मन से ऐसी प्राविधिक एवं श्रमजीवी शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था कर सकेगा विश्वविद्यालय जिनको कि स्वायत्त-कालिक श्रमजीवी संस्था कहा जायगा, यह संशोधन का मतलब है। इसके साथ ही मेरा यह भी संशोधन होगा कि—

खंड ३९ निकाल दिया जाय। उसके स्थान पर मैंने अपना संशोधन रखा है।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, स्वायत्त कालेज एक चीज है और कर्मकार इस बात की व्यवस्था करते हैं कि इस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था हो सके। इसलिये मैं इसको अनावश्यक समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३९) विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रों में ऐसी शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करेगा जिनमें प्राविधिक एवं श्रमजीवी कालेजों की व्वयस्था करेगा जो स्वायत्त कालेज कहलायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३९ से ५० तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कानपुर तथा मेरठ दोनों स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) यह अधिनियम ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे और दोनों विश्वविद्यालयों के संबंध में तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये भी विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। उसका पहला तो कारण यह है कि जो स्वरूप विधेयक का प्रस्तुत किया गया है उससे यह विश्वविद्यालय एक एग्जामिनिंग बाडी बन कर ही रह जायेंगे। दूसरा कारण यह है कि सुझाव यह दिया गया था कि कानपुर के अन्दर एक इन्डस्ट्रीयल यूनिवर्सिटी होना चाहिये थी जो आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती। तीसरा कारण यह है कि इस विधेयक से उस क्षेत्र के लोगों की वह मंशा पूरी नहीं होती जिसको लेकर वहां पर विश्वविद्यालय कायम करने की मांग की गयी थी। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, जितने भी संशोधन पेश किये गये, उनको माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यही कह कर अस्वीकार किया कि वे उनको स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जब कि वे समर्थ थे और उनके द्वारा इस विधेयक के स्वरूप को और अच्छा बनाया जा सकता था। इन सब कारणों से मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है।

श्री रक्षपालसिंह--

मैं विरोध तो नहीं करना चाहता, किन्तु कुछ बातें अवश्य कहना चाहता हूं। आश्वासन दिया गया है कि आगे चलकर इसको टीचिंग यूनिवर्सिटी बनायेंगे। मैं चाहता हूं उस आश्वासन को जल्द से जल्द माननीय शिक्षा मंत्री जी पूरा करें। कानपुर के मेडिकल कालेज को भी धीरे-धीरे इसी के अन्तर्गत लायें। टैक्निकल इन्स्टीट्यूट का भी इसमें समावेश किया जाय। राज्यपाल से लेकर सरकार तक अनेक नियुक्तियों के बारे में जो शंकायें उत्पन्न की गयी ह उनको ध्यान म रख कर ही नियुक्तियां की जायं तथा जो और सुझाव दिये गये हैं उन पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। यही मुझे कहना था।

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं माननीय सदस्यों का बड़ा ही अनुग्रहीत हूं कि सामान्यतः उन्होंने इस विधेयक का स्वागत ही किया है। मैं उनका भी अनुग्रहीत हूं जिन्होंने अपने संशोधनों द्वारा तथा अन्य रूप में अपने सुझाव दिये हैं। इस विधेयक के बन जाने के बाद परिनिमय आदि बनेंगे और उनके द्वारा विश्वविद्यालय के स्वरूप में बहुत महत्वपूर्ण निर्माण किया जायगा। जो सुझाव आये हैं उनके द्वारा परिनियम आदि बनाने में काफी सहायता मिलेगी। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इससे कानपुर तथा मेरठ के लोगों को संतोष नहीं होगा। मैं यह मानता हूं कि यदि यह टीचिंग विश्वविद्यालय होते तो अधिक संतोष होता किन्तु उसकी तो गुंजायश है ही। जैसे-जैसे समय आयेगा, साधन जुटते जायेंगे, उसकी आवश्यकता प्रतीत होती रहेगी, तो वह भी काम उसमें हो सकता है। यह रूप आने से ही संतोष इन क्षेत्रों के सदस्यों को, इन क्षेत्रों के नागरिकों को मिलेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस उद्देश्य से यह रखा गया है कि आगरा विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र बहुत बढ़ता जा रहा था उसका कार्य बहुत बढ़ता जा रहा था, उसके ऊपर जो शिक्षा के प्रसार का दबाव बढ़ता जा रहा था, उसमें सुविधा होगी और यह तीनों विश्वविद्यालय अपने-अपने क्षेत्र में अधिक देख-रेख कर सकेंगे और अधिक कार्य-कुशलता उसमें हो सकेगी, नीतियों को अच्छी तरह से निर्धारित कर सकेंगे। मुझे यही आशा है जैसा कि यहां माननीय सदस्यों ने उम्मीद भी की है कि यह विश्वविद्यालय एक बार स्थापित हो कर उसी तरीके से फूले और फलेगा जिस तरीके से एक बीज बोये जाने के पश्चात् पुष्पित और पल्लवित होता है। मैं माननीय सदस्यों का अनुग्रहीत हूं और आशा करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और विधेयक को पारित करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की बात तो मैंने सुनी। मुझे खतरा मालूम होता है कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय बना और उसने डाक्टर की पदवी डाक्टर सम्पूर्णानन्द को, श्री कमलापति त्रिपाठी को और जो सचिव महोदय थे उनको दी। अखबारों में यह छपा था कि इन तीनों ने मदद की थी उसकी स्थापना में इसलिये इन लोगों को डाक्टर की उपाधि दी गई। तो मुझे भय है कि माननीय शिक्षा मंत्री इसलिये तो इस विधेयक को नहीं लाये हैं कि मेरठ यूनिवर्सिटी की स्थापना होने पर हमारे शिक्षा मंत्री जी को डाक्टरेट की उपाधि मिलेगी और इसके साथ ही साथ माननीय सुचेता कृपालानी को भी मिलेगी तथा सचिव महोदय को भी मिलेगी?

एक बात और है कि और बहुत से सदस्य हैं जिन्होंने उसमें मदद की है। उसमें भी थे, लेकिन जो लोग उसमें थे उनको तो नहीं मिली। खैर, हम लोगों को सन्तोष है अगर कैलाश प्रकाश जी को और माननीया मुख्य मंत्री जी को डाक्टरेट की उपाधि मिल जाय हमें कोई द्वेष नहीं है। लेकिन एक बात है कि यह जो नामिनी की भरमार है उससे हमें भय है कि कहीं ऐसा न हो जाय कि इन्टरेस्ट क्लौश हो जाय। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो नामिनीज हों वह इस आधार पर हों कि यूनिवर्सिटी का इन्टरेस्ट क्लौश न करे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२७ अप्रैल, १९६५।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४० पर)

जिला बांदा

क्रम-संख्या स्थानों के नाम	क्रम-सं० स्थानों के नाम
१—अतर्रा	१४—खपटिया कलां
२—करनी	१५—पिपरहरी
३—चित्रकूट	१६—नरैनी
४—महोखर	१७—पंगारा
५—बसेन्डा	१८—मोनोत्रा
६—कुर्राही	१९—पनहुर
७—ओरन	२०—कैरी
८—बबेरू	२१—हरदौली
९—पचनेही	२२—जुर्रा
१०—पपरेन्डा	२३—बल्लन
११—तिन्दवारी	२४—तिन्दौरा
१२—जौहरपुर	२५—बगहा
१३—बेन्दा	

अनुवाद सेवा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४१ पर)

नत्थी

बत्ती व पंखे	..	३८ पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध)
घरेलू उद्योग धंधे	..	२२ पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध)
छोटे उद्योग	..	प्रथम १५० यूनिट प्रति बी०एच०पी० प्रतिमाह के लिये १४ पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध) किसी एक महीने में इसके अतिरिक्त बिजली उपयोग में लाने पर १२ पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध)।
मध्यम उद्योग	..	प्रथम २०० यूनिट प्रति बी० एच० पी० प्रति माह के लिये १३ पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध) किसी एक महीने में इसके अतिरिक्त बिजली उपयोग में लाने पर ११ पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध)।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४४ पर)

तालिका

(१) जालौन से कोंच बिजली ले जाने से कोंच में वोल्टेज ठीक नहीं मिलता।

(२) कोंच की सप्लाई असुरक्षित रहती क्योंकि उरई जालौन के मध्य किसी भी प्रकार की खराबी होने पर कोंच की भी बिजली बन्द हो जाती।

(३) लाइन में शक्ति की क्षति (Line losses) अधिक होती।

(४) उरई में माताटीला योजना के अन्तर्गत १३२/३३/११ के० वी० मुख्य सब स्टेशन बन रहा हैं और यहां से कोंच की बिजली अधिक सुरक्षित रहेगी।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४५ पर)

जिला फर्रुखाबाद

क्र० सं०	स्थानों के नाम	क्र० सं०	स्थानों के नाम
१	समधिन	३६	किसरौली
२	सिरौली	३७	अतायपुर
३	बरझाला	३८	रोहली
४	तिरवागंज	३९	मुर्शिदाबाद
५	कम्पिल	४०	सिकन्दरपुर
६	रायपुर	४१	राजीपुर
७	धीरपुर	४२	कटरा रहमत खां
८	सराय प्रयाग	४३	मोसिमपुर
९	बरके सहब	४४	खुदना खार
१०	पखना	४५	सौरिख
११	रोहिला	४६	तालग्राम
१२	भूर नगरिया	४७	धनगांव
१३	मदनपुर	४८	रोशनाबाद
१४	मोहम्मदाबाद	४९	तुलसीपुर
१५	खेमसापुर	५०	मधाना
१६	जोती	५१	राजापुर
१७	मोदका	५२	खुदना बंद
१८	पीपरगांव	५३	गदनपुरतुरा
१९	सरायघाट	५४	कतिना मानिकपुर
२०	मीरापुर	५५	लेहराज कुलीपुर
२१	गनेशपुर	५६	जगतपुर
२२	मसखेरिया	५७	बुदाना मऊ
२३	भावलपुर	५८	करवा
२४	उबरी खेरा मरकन्द	५९	नवीगंज
२५	नवाबगंज	६०	जलालाबाद
२६	निबकरोरी	६१	जलालपुर पनदेवा
२७	दिवसनी	६२	यादुतगंज
२८	मिघाघरपुर	६३	खुन्दागंज
२९	मदार	६४	रामपुर
३०	लक्षमनगुनगला	६५	नौली
३१	सिकन्दरपुर	६६	शकरबा
३२	सोना	६७	हाथिन
३३	एतराजपुर	६८	धिलोई
३४	तितराजकेट	६९	खेम्बी पुरवा
३५	कुंया खेरा	७०	बस्ता

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४७ पर)

सिंचन क्षमता (एकड़ में)

जिले का नाम		प्रथम योजना काल के अन्त में	द्वितीय योजना काल के अन्त में	तृतीय योजना काल के अन्त तक सम्भावित
१ झांसी	..	१,८६,८४१	३,०२,३६३	३,९३,४४१
२ जालौन	..	२,४८,४२४	३,१५,९४२	३,७५,११४
३ हमीरपुर	..	२,४०,६९९	२,६०,८२४	२,७४,६५८
४ बांदा	..	१,९७,२०१	२,१५,३२१	२,५१,३११
योग	..	८,७३,१६५	१०,९४,४५०	१२,९४,५२४

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४८ पर)

जिला झांसी में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिए जिला चुनाव कमेटी के सदस्यों के सम्बन्ध में प्रश्न में वांछित सूचना

१	जिलाधीश, झांसी	.. सरकारी सदस्य
२	जिला जज, झांसी	..
३	श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा	..
४	श्री कृष्णचन्द शर्मा, सदस्य, विधान सभा	.. असरकारी सदस्य
५	श्री काशीप्रसाद द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा	..
६	श्रीमती बनीबाई, सदस्या, विधान सभा ..	..
७	श्री कन्छदी लाल सिंघाई, अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी, महरौनी	..
८	डा० गोविन्द दास रिछाया, अध्यक्ष, जिला परिषद्, झांसी	..
९	श्री नानक चन्द वैश्य, स्थानीय बार द्वारा चुने हुये सदस्य	..

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५५ पर)

सूची 'अ'

क्रम-संख्या	नाम काश्तकार				भूमि का क्षेत्रफल जो अर्जित की गयी
१	बसन्त कुमार				
२	फौजदार	..	..	..	०.१००
३	बसन्त कुमार	..	..	..	०,०६०
४	फौजदार	..	..	..	०.०१०
५	बसन्त	..	..	..	०.०२०
६	बसन्त	..	..	..	०.०१०
७	बसन्त	..	..	..	०.१६०
८	बसन्त	..	..	..	०.०३०
९	रमाकान्त	..	..	..	०.०३०
१०	विष्णुदास शर्मा	..	..	..	०.०४५
११	विष्णुदास शर्मा	..	..	..	०.०४५
१२	विष्णुदास शर्मा	..	..	..	०.०४५
१३	विष्णुदास शर्मा	..	..	..	०.०४५
१४	विष्णुदास शर्मा	..	..	..	०.०४५
१५	विष्णुदास शर्मा	..	..	..	०.०४५
१६	शिवमूरत	..	..	..	०.०१०
१७	रमाकान्त ..	..	..	..	०.०१०
		योग	..	..	०.७१०

सत्यमेव जयते विधान सभा

सूची 'ब'

क्रम-संख्या	नाम काश्तकार	भूमि का क्षेत्रफल जो अर्जित की गयी
१	भगौती ..	
२	भागीरथी ..	
३	रामदास ..	०.९५०
४	रामा ..	
५	रामचन्दर ..	
६	सोहन ..	
७	मोहन ..	
८	बुद्धू ..	०.१००
९	बजरंगी ..	
१०	फौजदार ..	
११	रंगी ..	
१२	राम समुझ ..	
१३	राम चरन ..	
१४	शंकर ..	०.७२०
१५	राम नारायन ..	
१६	अनुरुद्ध ..	
१७	राम लगन ..	०.९१०
१८	रामजी ..	
१९	राम सूरत ..	
२०	औतार ..	
२१	छेदी ..	०.०५०
२२	महादेव ..	
२३	गब्बू ..	०.१५०
२४	छेदी ..	
२५	गजराज ..	०.२८०
२६	रामरूप ..	
२७	चन्दन ..	०.१२०
२८	भगौती ..	
२९	भागीरथी ..	
३०	रामदास ..	०.०९०
३१	रामा ..	
३२	राम चन्दर ..	
३३	सुखदेव ..	

सत्यमेव जयते

क्रम सं०	नाम काश्तकार	भूमि का क्षेत्रफल जो अर्जित की गयी
३४	शंकर ..	
३५	राम नरायन ..	
३६	अनुरुद्ध ..	
३७	राम जगत ..	
३८	रामजी ..	०.४२०
३९	राम सूरत ..	
४०	दूबर ..	
४१	औतार ..	
४२	भगवान सिंह ..	
४३	बिजुली सिंह ..	०.४१६
४४	लक्ष्मी सिंह ..	
४५	राम औतार सिंह	
४६	राम लगन ..	०.३८०
४७	रियासत अली	०.४३१
४८	नूरुल हसन	१.८४०
	योग	६.८५७

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५७ पर)

जिला गोंडा

क्रम-संख्या	स्थानों के नाम
१	भैंटौरा
२	धानीपुर
३	वजीरगंज
४	बिशुनपुर
५	खरगूपुर
६	मोतीगंज
७	धोंदीपुर
८	बाबागंज
९	श्रीदत्तगंज
१०	खोरसा
११	रेहराबाजार
१२	बालपुर
१३	रतवागढ़
१४	केशोपुर
१५	पथवलिया (परतार गंज)
१६	चमरूपुर
१७	मंझावन
१८	मुरेखा नफी
१९	पुरेसवा (भटवार)
२०	रमवांपुर कलां
२१	डंडवा कानूनगो
२२	मुरेरा कलां
२३	चिस्तीपुर
२४	बैंजपुर
२५	पिपरा
२६	गोविन्दपुरा
२७	धसवानचन्द
२८	देवी पाटन
२९	महादेव
३०	खेरवा
३१	अहरौरा
३२	बिसवा गनेश
३३	परसा सोनहसा
३४	जगदीशपुर कटरा
३५	कोली जंगले
३६	कमवा शेरपुर
३७	नगवा
३८	भगोर
३९	उमेद जोत
४०	अकसी बरेहरा
४१	धरमाई
४२	पचपुट्टी
४३	चन्दापुर सिरपुरा
४४	लौवा तपरा
४५	अशोकपुर
४६	झन्झनी
४७	टिकरा
४८	रमुआपुर गोबिन्दपुर
४९	माधोपुर
५०	होरखापुर
५१	पादरी किरपाल
५२	देवरिया
५३	लनवा तेपरा
५४	वीरसिंहपुर
५५	बनवरिया
५६	गनवरिया
५७	देवरिया अलावल
५८	रैगांव
५९	धनौली
६०	शोभापुर
६१	तारी परसोहिया
६२	गांदवा
६३	परसारी
६४	सौभागपुर
६५	किशनदासपुर (बेरसाल)
६६	जाट पुरनिया
६७	धारा की पट्टी
६८	ढेकुलावल
६९	धनाई पट्टी
७०	बुधा दोल्पार
७१	दयालपुर
७२	सिखवी
७३	रामपुर नायक
७४	परत सरकार
७५	भाट पुरवा
७६	देवरिया मुबारक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	स्थानों का नाम
७७	कटहु मुफी
७८	सेमरा
७९	पसियाबहारी रामपुर
८०	जानकी नगर
८१	नमधा भारी
८२	नरौरा बहारापुर
८३	गोंदीपुर
८४	धसहा
८५	बेहवा बहेटा
८६	समाई केलां
८७	सरकन्द
८८	इमरती बिशन
८९	जानकी नगर
९०	परसा गौरारी
९१	करवा पारा
९२	सिरसिया
९३	सालपुर सेपरा
९४	लक्षमनपुर
९५	धरौरा

क्रम-सं०	स्थानों का नाम
९६	खगूरपुर
९७	बिशनपुर वेरिया
९८	कोलहनपुर विशन
९९	रुद्रपुरी विशन
१००	पादरी शकर
१०१	टिकरिया
१०२	रामपुर बधौसां
१०३	श्रीनगर
१०४	बिटिहया हलबल
१०५	रामापुर
१०६	करडीह
१०७	सिसबरियह
१०८	कौंचिहिया
१०९	कादीपुर
११०	परसा गौरारी
१११	रुद्रगढ़
११२	खैर भारी
११३	परसी सुदार

अंतर पदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५८ पर)

जिला पीलीभीत में इस वर्ष १९६५–६६ में निम्नलिखित स्थानों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है

१	सुखदासपुर	८	जेथोनिया
२	शारनी	९	हरराय्पुर
३	जमानियां	१०	बिलासपुर
४	भगवन्तपुर	११	उदयपुर
५	अमेरिया	१२	टोंडरपुर
६	केमोर	१३	मुरदाओलिया
७	बोरनियां		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस यू० पी०–ए० पी–४८ एल० ए०—१९६५—८६२।